दसवीं माला, खंड 12, अंक 49

मंगलवार, 12 मई, 1992
22 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

No. 64
Date 12.4.9

(खंड 12 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 12 मई, 1992/ 22 वैशाख, 1914 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
30	6	"श्रीमती रीता वर्मा" के स्थान पर "प्रो· रीता वर्मा" पढ़िये।
76	5	"अलीगद" के स्थान पर "अलीगढ़" पढ़िये।
97	नीचे से 11	"श्री सैयद ममूदल हुसैन" के स्थान पर "श्री सैयद मसूदल हुसैन" पढ़िये।
124	नीचे से 5	"श्री राजगोपाल नायडू रामस्वामी" के स्थान पर "श्री
125	10	राजागोपाल नायडू रामासामी" पढ़िये।
126	नीचे से 15	

विषय-सूची

[दशम माला, खंड 12, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)]

अंक 49, मंगलवार, 12 मई, 1992/22 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ग्लावकोस्मोस पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बारे में	2—23
सभा पटल पर रखे गए पत्र	54—65
राज्य सभा से सन्देश	65
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	66
कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखा गया	
याचिकाएं	66
(एक) बिहार राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में बिहार के खाटवे समुदाय को सम्मिलित करने के बारे में	66
(दो) बंगलादेश के प्रवासियों, जो अब बंगाली कालोनी, हस्तिनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, के पुनर्वास के बारे में	66
मंत्री द्वारा वक्तव्य	66—70
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डायलिंग सुविधा	
श्री राजेश पायलट	66—70
नियम 377 के अधीन मामले	72—76
(एक) राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	72
श्री बीरबल	

	विषय	पृष्ठ
(दो)	आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के किंग जार्ज अस्पताल में सुविधाओं में सुधार करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री रामकृष्ण कौंताला	72—73
(तीन)	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहटी में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता श्री प्रबीन डेका	73
(चार)	देश में बी० बी० ओ० युक्त शीतल पेय की बिक्री रोके जाने की आवश्यकता श्री दाऊ दयाल जोषी	73—74
(पांच)	नेत्र सहायक के पद को राजपत्रित पद घोषित किए जाने की आवश्यकता श्री संतोष कुमार गंगवार	74
(छः)	बिहार के सीतामढ़ी जिले में तरियानी और पूर्वी चम्पारण जिले में पताही में चीनी मिलों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता श्री हरि किशोर सिंह	74—75
(सात)	बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच भोजपुर-बलिया सीमा विवाद का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता श्री तेजनारायण सिंह	75
(आठ)	उड़ीसा में ढेंकानाल में जल आपूर्ति प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री के० पी० सिंह देव	75—76

(नौ) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के सुबकरा गांव में हरिजनों पर अत्याचार की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराए जाने की आवश्यकता 76

श्री राम विलास पासवान

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 78—141

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एन० डेनिस 79—83

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित 83—91

श्री फ्रैंक एन्थनी 91—93

श्री ए० चार्ल्स 93—97

श्री सैयद मसूदल हुसैन 97—99

श्री ई० अहमद 99—103

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम 103—108

कुमारी फ्रिडा तोपनो 108—110

प्रो० रासा सिंह रावत 110—114

श्री तेजनारायण सिंह 114

श्री सीताराम केसरी 115—124

खंडवार विचार 124—136

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सीताराम केसरी 137, 141

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 137—138

श्री सैयद शाहाबुद्दीन 138—139

श्री ई० अहमद 139

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 139—140

श्री पीटर जी० मरबनिआंग 140—141

विषय	पृष्ठ
संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक	141—148
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० विजयभास्कर रेड्डी	141—142
श्री दाऊ दयाल जोशी	143—144
श्री नीतीश कुमार	144
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	144—145
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	145—146
खंडवार विचार	146
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० विजयभास्कर रेड्डी	147
नियम 193 के अधीन चर्चा	148—152
विद्युत इंजनों की खरीद के लिए मैसर्स एशिया ब्राउन बोवेरी (ए० बी० बी०) को क्रयादेश	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	148—151
विदाई उल्लेख	152—155

लोक सभा

मंगलवार, 12 मई, 1992/22 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री हेमराज के निधन की सूचना सदन को देते हुए मुझे दुख हो रहा है ।

श्री हेमराज वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता तथा सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1952-70 के दौरान प्रथम लोक सभा से चौथी लोक सभा तक तत्कालीन संयुक्त पंजाब तथा बाद में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

श्री हेमराज एक योग्य सांसद थे तथा सभा की कार्यवाही में विशेष दिलचस्पी लेते थे। वह दलितों की समस्याओं को उजागर करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। वह कई संसदीय समितियों से भी सम्बद्ध रहे।

समाज सेवा के प्रति उनमें विशेष उत्साह था तथा वे जनजातीय लोगों तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के उत्थान में विशेष रुचि लेते थे। वह साहसिक खेलों, धार्मिक ग्रंथों तथा अन्य साहित्यिक गतिविधियों से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।

श्री हेमराज का निधन 1 मई, 1992 को 88 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

11.02 म० पू०

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ग्लावकॉस्मॉस पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बारे में

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रस्ताव दिए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मिल गए हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हमने विशेषाधिकार हनन के लिए एक सूचना दी है। यह पूर्वोदिहारण होगा।.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज लोक सभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है। मुझे विश्वास है कि सदस्य कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे और उन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन कृपया संक्षेप में कहिएगा और पीछे की बैंचों पर बैठे सदसयों को भी अवसर दें ताकि हम सभी अन्य सदस्य को अवसर प्रदान कर सकें।

मैं श्री फर्नान्डीज के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं उन्हें अपने सुझाव देने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता अगर आप मेरे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते। क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिवस है, इस सत्र में मेरे ख्याल से हर सप्ताह में कम से कम एक बार यह सवाल उठाया गया कि इस देश की सुरक्षा और इस देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए कई सवालों को ले कर अमेरिका की तरफ से हमला हम लोगों पर होता रहा है। आज अमेरिका सरकार ने कहा है दो साल के लिए हमारे स्पेस आर्गेनाइजेशन को ब्लैक-लिस्ट करेंगे। मुझे लगता है कि इसको जिस तरह से आज सामने लाया गया है उससे शायद समझना मुश्किल होगा कि इसके क्या नतीजे होने वाले हैं।

अध्यक्ष जी, नैशनल स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन कोई छोटा रिसर्च सेंटर नहीं है। इसका संबंध हमारे समूचे स्पेस प्रोग्राम से है। जिस स्पेस प्रोग्राम में हम इस साल 6-7 करोड़ रुपया अपने बजट का दे चुके हैं। अपने इस फैसले से, जिसका अमेरिका सरकार ने एलान किया, वहां से टैक्नोलॉजी यहां नहीं आएगी और यहां से वहां नहीं जाएगी।

इस प्रकार की जो खबरें छपी उससे इसकी गंभीरता समझना बहुत ही मुश्किल है इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया और नोटिस दिया था...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडजर्नमेंट मोशन में सैन्सर एलीमेंट होता है और जब तक गवर्नमेंट उस एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होती तब तक एडजर्नमेंट मोशन नहीं लिया जाता। हम इस पर चर्चा की अनुमति देंगे।

श्री आर्चर फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरी यह शिकायत है कि पिछले अनेक महीनों से हम लोगों पर अमेरिका की इन हरकतों के बारे में जिस प्रकार का रवैया रहा, उसमें स्वभाविक था कि आज हम लोगों को यहां आकर पहुंचना था। जैसा मैंने कहा यह मामला केवल स्पेस रिसर्च तक सीमित नहीं है। हमारे जो भी सेटेलाइट प्रोग्राम है, वे चाहे कम्यूनिकेशन सेटेलाइट हो, रिमोट सेन्सींग सेटेलाइट हो या वैदर सेटेलाइट हो तो हर क्षेत्र में आज हम लोगों के पीछे हट होनी है, उसको ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि अमेरिका ने अपना अंतिम मैसेज भी फाईनल मैसेज दिया था कि हम आपके साथ हैं और इस तरह से पेश आ जायेंगे जिसका सामना करना आपको आसान नहीं हो जायेगा। कल जब अमेरिका से एलान हो गया तो आगे मद्रास के इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी के डायरेक्टर प्रो० स्वामी ने एक लंबी बात इस पर कही। उनका एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। गुस्से में आकर वे कहते हैं—

"मारो आगे देखिए होता है क्या।" यह हकीकत है कि अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमें आगे बढ़ने नहीं देना है और जो पैन्टोगन का डाक्यूमेंट है जिसके ऊपर हमने सदन में दो-तीन बार किसी न किसी रूप में बहस की थी जिसमें उन्होंने कहा था भारतीय आधिपत्य की अभिलाषा पर रोक लगाना है और इस देश को ऊंचे नहीं उठने देना है। दक्षिण एशिया और अपने परिसर में इस देश की जो भी महत्वाकांक्षा है, उसी महत्वकांक्षा को हमें आगे नहीं चलने देना है। उसी को आगे एक कदम अमेरिका किस तरह से उठा रहा है, यह बहुत ही स्पष्ट हो रहा है। मुझे परेशानी है हमारी सरकार से और इन बातों को लेकर परेशानी है और आपको याद होगा कि जब हमारे रक्षा मंत्री अमेरिका जाकर आए पिछले महीने में तो मैंने सदन में खड़े होकर आपसे प्रार्थना की थी कि रक्षा मंत्री की अमेरिका में जो बातचीत हो गई, उसके बारे में एक स्टेटमेंट यहां पर करवाइए। वे स्टेटमेंट करने के लिए तैयार नहीं रहे। वे अमेरिका या अन्य जगहों पर बोलें या अखबारों में बोले। लेकिन उन्होंने सदन में किसी प्रकार का स्पष्ट निवेदन नहीं किया। बाहर जो बयान होते रहे तो उसमें उन्होंने दो बातें कहीं। एक तो यह कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और हम हथियार मांगने के लिए नहीं गए थे। हम उनसे टैक्नोलोजी मांगने के लिए गए थे। अब तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि टैक्नोलोजी हम लोगों को नहीं मिलनी है। और टैक्नोलोजी पर हम लोगों को किस तरह से ब्लैकमेल करने का काम हो सकता है.........(व्यवधान) सुपर 301 का कुछ दिन पहले हो गया। अब ट्रान्सफर टैक्नोलोजी पर रोक लगा दी है और इस प्रकार की अमेरिकी

[श्री जार्ज फर्नाण्डीज]

हरकतों से हम बड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं और वह परेशानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका में ऐसी कोई भी रक्षा को लेकर मांगे हैं जिन मांगों को हम पूरा करने में असमर्थ हैं और इसलिए अमेरिका हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सही है कि अमेरिका—विशाखापटनम के बंदरगाह पर कोई नेवल बेस बनाना चाहता है और अपने जहाजों के लिए रीफ्युलिंग फैसिलिटी चाहता है। वह बैलिस्टीक सब-मेरिन को एक बेस के तौर पर उसको इस्तेमाल करना चाहता है चूंकि हम लोग इस दृष्टि से अभी भी अमेरिका की उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है इसलिए अमेरिका हम लोगों पर इस प्रकार का दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हम जरूर आज सरकार से यहां पर इस पर कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे। क्योंकि पिछले साल भर में जो यह सिलसिला चला, एक तरफ अमरिका हम लोगों पर दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ हम लोग अमरीका के साथ ज्वाइंट नेवल एक्ससीईज करने के लिए निकल रहे हैं। हर साल एक बार उनका आर्मी चीफ और हमारा आर्मी चीफ दोनों बैठकें करें, इसके लिए हमने कबूल किया है। इंटेलिजेंस की जानकारी हम उनको देंगे और वे हमें देंगे, हम कौन सी इंटेलिजेंस की जानकारी देने जा रहे हैं और वह कौन सी जानकारी हमें देंगे, उनकी विश्व में जो भी ग्लोबल हेजीमोनेस्टिक कल्पनायें हैं उनको कहां रोकने के लिए तैयार नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हम सरकार से इन सारी बातों के बारे में स्पष्ट खुलासा चाहेंगे।

अन्तिम बात मैं और कहना चाहूंगा। भारत को इस तरह से निःसहाय होकर अपने व्यवहार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग कोई मामूली राष्ट्र नहीं हैं, हम लोग भी एक शक्तिवान राष्ट्र हैं। अमरीका बहुत ही सम्पन्न राष्ट्र है, हमें मंजूर है। हमसे सौ-सवा सौ गुना ज्यादा दौलत हर साल पैदा करता है, यह भी मंजूर है। तकनीकी मामलों में भी बहुत आगे बढ़ चुका है, यह भी मालूम है। लेकिन जिस प्रकार का रूस था, यूनियन आफ सोवियत सुप्रीम रिपब्लिक के नाते उसका अधोपतन हो गया इसलिए हम लोगों को सताने का विचार करके वह बैठा हुआ है। हमें पुलिसिंग करने का काम कर रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारी सरकार इस प्रकार के दबाव में जो अभी तक आती रही है, इस सिलसिले को तुरन्त बन्द करे। दुनिया के उन राष्ट्रों को जो तीसरी दुनिया के सारे राष्ट्र हैं और दूसरा रूस को हम रूस को मामूली राष्ट्र नहीं मानते हैं, यूनियन का भले ही कोलेप्स हुआ हो, लेकिन रशिया के अधिकारियों जिस हिम्मत से हमें राकेट इंजन अमरीका के विरोध के बावजूद भी देने को तैयार हैं, फिर हमारी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने रिश्ते रूस के साथ ठीक ढंग से बनाने का काम करे और तीसरी दुनिया को साथ जोड़ने का काम करे। तीसरी दुनिया को साथ जोड़कर अमरीका का सारे विश्व पर आधिपत्य जमाने का जो प्रयास है उसका मुकाबला करने की पहल करे। अध्यक्षजी, बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पांच या छः सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया संक्षेप में बोलिएगा क्योंकि यहां अन्य सदस्य हैं जो कि अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, फिर भी हम इस विषय पर संक्षेप में अपने वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदय, जिन्होंने पूर्व सूचनाएं दी है, उन्हें बुलाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बशर्ते, कि वे वही मुद्दे न दोहरायें। अब श्री जसवन्त सिंह।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में उन मुद्दों का उल्लेख करूंगा जिनकी मुझे जानकारी है। उस मुद्दे को सभा में पहले भी उठाया गया है। लेकिन पूर्व-अभिव्यक्ति केवल सचेतक संकेत के रूप में थी। सभा ने सरकार को सतर्क किया था कि एक सम्भावना हो सकती है और तत्पश्चात् सरकार से उस सम्भावना के बारे में जवाब देने की मांग की गई थी। अब वह सम्भावना मूर्त रूप ले रही है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि वर्तमान स्थिति में, नई नीतियों निश्चय ही स्वतंत्र विदेशी नीति तथा स्वतंत्र स्थिति में सामंजस्य बैठाने की नई शक्ति ने व्यापार तथा प्रौद्योगिकी को नियंत्रित कर लिया है। मैं इस बात को व्यक्त नहीं करूंगा। लेकिन मैं तीन मूल आमंत्रितों अथवा रूस गणराज्य तथा भारतीय गणराज्य दोनों पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा थोपे गए वर्तमान आर्थिक प्रतिबन्धों के तीन मूल पहलुओं का उल्लेख करूंगा। वे संयुक्त राज्य अमरीका के रुख को प्रकट करते हैं।

सर्वप्रथम, यह पहलू है कि इन आर्थिक प्रतिबन्धों के पीछे संयुक्त राज्य अमरीका के व्यावसायिक हितों के संरक्षण की अमरीका की इच्छा निहित है। इसलिए मैं भारत सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस 'क्रियोजैनिक इंजिन' की सप्लाई के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा संयुक्त राज्य अमरीका अंतरिक्ष संगठनों के बीच पहले किसी समझौते की बातचीत नहीं हुई थी?

दूसरा, क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा मांगी गई इतनी ऊंची कीमतों पर ध्यान नहीं दिया था और फ्रांस से इस 'क्रियोजैनिक इंजिन' की सप्लाई के लिए समझौते की बातचीत आरम्भ कर दी थी?

तीसरे, क्या इसलिए संयुक्त राज्य अमरीका ने फ्रांस के साथ कोई आपत्ति नहीं उठाई कि वे भारत को इस 'क्रियोजैनिक इंजिन' की सप्लाई करते हैं तो उन्हें ही इसकी सप्लाई करने दी जाए? यह ठेका रूस के ग्लावकॉस्मॉस के साथ हस्ताक्षरित कर दिया गया था। क्या ऐसा नहीं है? संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उठाई गई आपत्तियां क्या इस बात का संकेत नहीं देती हैं कि वे अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए हर प्रकार की झूठी अथवा सच्ची, स्वीकार्य अथवा अस्वीकार्य कोशिश कर रहे हैं?

[श्री जसवन्त सिंह]

अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए वे इस सीमा तक उतर आए हैं कि वे रूस तथा भारत दोनों पर आर्थिक प्रतिबन्ध थोप रहे हैं, फिर इस बात पर जोर देते हुए कि आज के विश्व की धुरी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी है।

दूसरा आपत्तीजनक पहलू है मिजाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली का प्रश्न (एम०टी० सी०आर०)। भारत ने एम०टी०सी०आर० पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एम०टी०सी०आर० पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संयुक्त राज्य अमरीका भारत पर एम० टी० सी० आर० थोपने अथवा एम० टी० सी०आर० की शर्तों को भारत पर बांधने का एक तरीका निर्णय नहीं ले सकता है जबकि भारत ने एम० टी० सी० आर० के मूलाधार को स्वीकार नहीं किया है। जैसा कि मैंने कहीं और भी उल्लेख किया है कि यदि एम० टी० सी० आर० के मूलाधार को स्वीकार करना था, जैसा किया गया है, तो जो भी रासायनिक पदार्थ राकेट के प्रमोदन में आवश्यक हैं उन्हें एम० टी० सी० आर० का भाग माना जाए और उनके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। उदाहरण के लिए, यहां तक कि एल्यूमीनियम जैसी साधारण धातु को भी एम० टी० सी० आर० का एक हिस्सा माना जा सकता है। कल को संयुक्त राज्य अमरीका बदल सकता है और कह सकता है कि हम एम० टी० सी० आर० के कारण भारत पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। इसलिए वे एल्यूमीनियम का व्यापार नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस बात को स्पष्ट करे।

यहां एक तीसरा पहलू है। मैं उस पहलू को विडम्बनायुक्त पाता हूं। संयुक्त राज्य अमरीका को इस बात पर अनेक कही अथवा अनकही आपत्तियां हैं कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने प्रक्षेपण वाहन को अनेक जगहों पर विकसित करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे बहुत विडम्बनापूर्ण पाता हूं कि एम० टी० सी० आर० के भाग के रूप में, संयुक्त राज्य अमरीका इस बात को अजीब नहीं समझता है कि उन्होंने पाकिस्तान को 'हारपून मिजाइलज' सप्लाई किए हैं। तो एम० टी० सी० आर० बीच में कहां से आया? तो एम० टी० सी० आर० कहां था? यदि वे 'हारपून मिजाइल' पाकिस्तान को सप्लाई कर सकते हैं तो निश्चय ही स्वतंत्र भारत को विश्व में कहीं से भी 'क्रियोजैनिक इंजिन' खरीदने का अधिकार है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस दूसरे पहलू को भी स्पष्ट करें।

मेरा कहना है कि संयुक्त राज्य अमरीका की कोशिश है कि एम० टी० सी० आर० और आई० एस०आर० ओ० के अन्तरिक्ष कार्यक्रम के जरिए भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला जाए ताकि वह एन०पी०टी पर हस्ताक्षर कर दें। मैं इस मुद्दे की व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन मैं इस पहलू पर भी भारत सरकार से जवाब चाहूंगा। मैं तीन साधारण कारणों से इन स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध करता हूं।

सर्वप्रथम, कारण है, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा आई०एस०आर०ओ० और 'ग्लावकोस्मॉस' पर थोपे गए इस विशेष प्रतिबन्ध पर भा० ज० पा० के निर्णय को स्पष्ट रूप

से स्पष्ट करना। दूसरा कारण है भारत सरकार के निश्चय को बढ़ावा देना, और मजबूत करना और सरकार की स्पष्ट नीति जानना है ताकि उन्हें मालूम हो क्योंकि यदि व्यापार तथा प्रौद्योगिकी आने वाले वर्षों में दबाव डालने का माध्यम बनने वाले हैं तो अब हमें स्पष्ट रूप से अपनी नीति तथा निर्णय से व्यक्त करना चाहिए।

तीसरे, जबकि हमने विभिन्न अवसरों पर पहले भी कहा है, यह कोशिश है इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति पर पहुंचने का एक तरीका और उस राष्ट्रीय सहमति द्वारा इस विषय पर राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करना क्योंकि स्वतंत्र आत्म-निश्चयात्मक और आत्म-विश्वासी विदेशी नीति की राह बहुत एकान्त है। इस एकान्त राह पर भारत को अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन इसे राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट विचारधारा को बनाए रखना है। इसलिए हम आज का दिन समाप्त हो जाने से पहले, क्योंकि इस सत्र का यह आखिरी दिन है, सरकार से मांग करते हैं कि वह इस मुद्दे पर स्पष्ट उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह कह सकता हूं कि आपने प्रश्न पूछे हैं न कि अपने विचार व्यक्त किए हैं?

श्री जसवन्त सिंह: मुझे माफ कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : हमारे भी यही विचार है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन सका, मैंने जो कुछ कहा वह मेरे विचारों की अभिव्यक्ति और मेरा अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही प्रश्न भी किए हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, पूरा राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन पर और हमें अन्य मिसाइल तकनीक देने पर प्रतिबंध लगाये जाने के उनके निर्णय से बहुत चिन्तित हैं। हमें मालूम है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है और हम पर बड़े भाई के नाते सभी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। महोदय मैं "बड़े धौंसिया" शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वह इससे कुछ अधिक है। मैं समझता हूं कि यही समय है जब पूरे सदन को एक मत हो जाना चाहिए और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक कठोर संदेश देना चाहिए कि हमारा देश विश्व के किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने शुरू में ही जब हमारे देश पर थोपे गए खतरे को पहले हो महसूस करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

[श्री ए० चार्ल्स]

वह इस बात से सहमत है कि इस मुद्दे पर अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए इस पर किसी तरह की चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका की सुपर 301 और डंकल प्रस्ताव जैसी धमकियां इस समय तलवार की तरह हमारी गर्दन पर लटक रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे इतना अधिक खिलाफ इसलिए है क्योंकि सरकार ने साहस के साथ उसके दबावों का प्रतिरोध किया है। यदि हम किसी तरह से उसके दबावों के आगे झुक जाते हैं तो वह बहुत खुश होता और वह हमारे विरुद्ध इतनी सख्त कार्रवाई नहीं करता। उसके दबाव के आगे झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज समूचा विपक्ष इस समय अपना संदेश देने के लिए एकजुट है। परन्तु पिछले कुछ सप्ताहों में पूरे सत्र के दौरान पूरा प्रयास यह था कि यह सरकार देश के हितों को बेच रही है। यह ठीक नहीं है। इस सरकार ने इस देश की अखण्डता को बनाए रखने के लिए इसका सम्मान फिर से प्राप्त करने के लिए हरेक कार्रवाई की है। ....(व्यवधान)..........

आप नाराज क्यों हैं? वास्तव में मैं कोई अप्रिय बात नहीं कहना चाहता हूँ। परन्तु इसके बजाय मुझे यह दुख है कि केवल दो दिन पूर्व संसद के अत्यधिक जिम्मेदार सदस्य, इस देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस देश को बेचने का मतलब यह है कि फर्नीचर बेचना है। हमारी आसूचना व्यवस्था भी अपर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय: श्री चार्ल्स, कृपया वास्तविक बात पर आइए, आप इसका विस्तार करें या न करें इसका कोई महत्व नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स: महोदय, इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। फिलहाल आयात पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है और न ही भारत और रूस के बीच ऐसा कोई समझौता है जिससे अमेरिका को कोई लेना-देना हो। मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज के विचारों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। यह ऐसा समय है जब तीसरी दुनिया के सभी देशों को एक साथ उठ खड़ा होना चाहिए और भारत को इसका नेतृत्व करने के लिए बड़े उत्साह से आगे आना चाहिए और पूरे विश्व से यह कहना चाहिए कि इस देश ने विदेशी शासन की दासता का प्रतिरोध किया है और भारत छोड़ो आंदोलन से हम इस देश से विदेशियों को निकाल बाहर करने में सफल हुए थे। 850 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह देश सभी दबावों का प्रतिरोध करने के लिए काफी साहसी है और हम एक स्वर में यह कहेंगे कि हम यहां पर केवल अपने आप को जालने के लिए नहीं हैं बल्कि इसलिए हैं कि आगे बढ़ें और इस महान देश का निर्माण करें।

[हिंदी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि यह हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक गंभीर चुनौती का समय आ गया है। मैं इसको साधारण घटना नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि आज इस देश का हर नागरिक इस बात से चिन्तित हो रहा है कि हमारी आजादी के लिए, हमारी सार्वभौमिकता के लिए और हमारे देश की प्रगति और उत्थान के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, आज अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश की तरह उस पर

खुलकर हमला कर रहा है और मैं श्री चार्ल्स की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चूंकि हमारी सरकार बहुत मजबूत है। अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा है, घुटने नहीं टेक रहा है, इसलिए वे हमारे खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं मगर बात उल्टी है। हमारी सरकार पिछले दिनों में अमेरिका के सामने हिम्मत नहीं है कि मजबूती के साथ खड़ी हो सके, हर प्रश्न के ऊपर, सीक्योरिटी कौंसिल में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, और जिस तरीके से दुनिया में आज अमेरिका वातावरण बना रहा है, हिन्दुस्तान की वह राष्ट्रीय परम्परा, जो आज से नहीं, आजादी के जमाने से, हमने इस देश में बनायी थी कि हमारे देश का अपना राष्ट्रीय सम्मान है, हम कुछ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों के लिए काम करते, आज उन तमाम परम्पराओं के लिए खतरा पैदा हो गया है।

जब हम आजाद नहीं थे, उस वक्त महात्मा गांधी और पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सारी दुनिया में उन मूल्यों के लिए काम किया कि हर देश को आजाद होने का हक है, हर देश को अपनी आर्थिक और सामाजिक नीति चलाने का हक है, हर देश चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र भूमिका है, मैं समझता हूँ कि आज 43–44 साल की आजादी के बाद, क्या हो रहा है। मार्गरेट टूटवेलर, जो यूनाइटिड स्टेट्स में, स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स-परसन हैं...... (व्यवधान)...... क्यों नहीं नाम लूं, मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने एक हफ्ता पहले धमकी दी कि मैं भारत के खिलाफ कार्यवाही करूंगी, उसका प्रशासन भारत के खिलाफ कार्यवाही करेगा। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब एक सप्ताह पहले इस प्रकार की धमकी हमको दी गई, उसके पहले सुपर-301 इम्पोज किया गया, बावजूद इसके कि हमारे राजदूत यह रिपोर्ट भेजते रहे कि नहीं, अमेरिका हमारे खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, अमेरिका ने कार्यवाही स्थगित कर दी है, हमें कोई चिन्ता की जरूरत नहीं है, न केवल सरकार को, बल्कि सारे देश को अंधेरे में रखा गया, गलत-फहमी में रखा गया और अमेरिका ने यह समझा कि हिन्दुस्तान घुटने टेकता चला जा रहा है।

कल जो कार्यवाही हुई कि दो साल के लिए ट्रांसफर टैक्नोलोजी के ऊपर बैन और हमारे इसरो को ब्लैक-लिस्टेड कर दिया गया, हमारा अपराध क्या है, बावजूद इसके कि भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी तरीके के फौजी हथियार बनाने के लिए, इस टैक्नोलोजी या स्पेस के कार्यक्रम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसका इस्तेमाल पीसफुल परपजेज के लिए, पीसफुल प्रोग्राम्स के लिए करेंगे। हम इसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी हासिल करने के लिए, कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए करेंगे, इसके बावजूद हमारी बात नहीं मानी गई।

मैं आपसे पहली दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हमने अपने देश के स्वाभिमान को रक्षा करनी है तो कोई न कोई संकेत भारत सरकार की ओर से जाना चाहिए। इण्डो अमेरिकन ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज को अभी खत्म करिए। आप सिग्नल दीजिए। यदि हम ऐसा नहीं

[श्री चन्द्रजीत यादव]
करेंगे तो देश को तबाह करेंगे। मैं कहता हूँ, मेरी पहली डिमाण्ड है कि आप इस ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज को खत्म करिए, वहीं न वहीं देश के आत्मसम्मान का परिचय दीजिए कि हम आपके गुलाम नहीं। आज अमेरिका ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हम उसके गुलाम हों और यह बात आज से नहीं है।

लाखों लोग मर गए, लाखों बच्चे मर गए इराक में। लड़ाई खत्म हो गई लेकिन इराक के बच्चों के लिए दूध और दवाएं नहीं आ पायीं और हम बैठे रहे, सीक्योरिटी कौंसिल के अंदर, सिवाय बहुत मामूली ढंग से प्रोटेस्ट करके कि यह मत करिए और हम चुपचाप बैठे रह गए।

आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन के 30 साल दुनिया में शान्ति के लिए, अपने देश की आजादी और गौरव की रक्षा करने में लगाए हैं। आज मुझे इस बात का सबसे बड़ा धक्का लगा, मेरे दिल को लगा कि इतने दिनों बाद हमारा मुल्क, हमारा आत्मसम्मान कहां है। हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कहां है। चार्ल्स साहब, आज आपने जार्ज साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, मुझे खुशी है। सरकार जो भी करे या न करे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने चैम्बर में सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाईयें और एक प्रस्ताव इस सदन से, सदन सरकार नहीं है, पार्लियामेंट से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए अमेरिका के इन कदमों की निन्दा करते हुए और सरकार को निर्देश देते हुए कि नहीं, इस प्रश्न के ऊपर सरकार झुके नहीं। इन्हीं मांगों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस सम्बन्ध में आप भी कदम उठायें।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (बारसाट) : महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन और रूसी अन्तरिक्ष संगठन पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर अत्यधिक चिन्ता और उत्सुकता व्यक्त करने के लिए मैं सदन के अपने साथियों के साथ हूं। इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है यह पहले ही कहा जा चुका है और मैं भी अपने देश के लोगों की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद से यह मांग करने में उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने यह मांग की है। यह सरकार के प्रवक्ता की प्रतिनिधि नहीं है। यह इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और इस संसद को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के दृष्टिकोण और न केवल भारत के आन्तरिक मामलों में बल्कि तीसरी दुनिया के देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उसकी आधिपत्य नीति की भर्त्सना की जानी चाहिए।

यह सब कहने के बाद मैं चाहता हूँ कि सरकार इस संबंध में दो या तीन बातें स्पष्ट करे। महोदय, चाहे यह सत्य है या नहीं है कि तकनीक स्थानान्तरण का यह मामला अर्थात् मिसाइल तकनीकी स्थानान्तरण का मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय

सुरक्षा कार्यों के विदेश उप मंत्री ने हमारे रक्षा मंत्री श्री शरद पवार के साथ पिछले वर्ष उस समय उठाया था जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे।

क्या यह भी सत्य है कि नहीं कि श्री पवार ने स्पष्ट किया कि इस तकनीक का इस्तेमाल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि अनेक लोगों ने उल्लेख किया है और इसका उपयोग विशेष रूप से भूस्थिर कक्ष में उपगृह छोड़ने में किया जाएगा जिसका उपयोग रिमोट सेंसिंग, मौसम संबंधी भविष्यवाणी और दूर संचार के लिए किया जाएगा।

क्या यह बात सच नहीं है कि विदेश उप मंत्री ने भारत सरकार को यह आभास कराया था कि वह भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विश्वास करते हैं? यदि ऐसी बात है तो क्या भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपनी वचनबद्धता से फिर जाने के बाद कठोर दृष्टिकोण अपनाएगी जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या रक्षा विभाग के प्रवक्ता श्री बुचर ने भी यह घोषणा की थी कि सुपर कम्प्यूटर आयात करने के भारत के प्रयासों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? यदि यह बात सत्य है तो भारत सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि सुपर कम्प्यूटर का आयात करने के प्रश्न पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या समझौता हुआ था?

क्या भारत पर एन०टी०सी०आर० में शामिल होने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है? और अन्त में क्या सरकार सदन को यह आश्वासन दे सकती है कि जहां तक इस मिसाइल तकनीक का संबंध है इस संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी कारगर उपाय किए जाएंगे। यदि हम आत्मनिर्भरता की स्थिति में हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार को राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहिए कि इसरो की गतिविधियां किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगी।

अन्त में, मैं मांग करता हूँ कि इस सदन में इस तरह का एक प्रस्ताव भी पारित किया जाए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अभी तक किसी ने भी अमेरिकी प्रशासन को धन्यवाद नहीं दिया। मैं यह काम करूंगा। यह तीव्र अनुक्रमण में पूरे विश्व को यह बताने में सफल रहा है कि सार्वभौमिकता का मतलब क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था में क्या अर्थ है, तेजी से अनुक्रमण में इसने यह भी संकेत दे दिया है कि न्याय का अर्थ क्या है। दंगों के द्वारा उनके जातीय दंगों से और साथ-साथ लीबिया के नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों में इसी तरह के न्याय की मांग करते हुए उसने इस बात का संकेत दे दिया है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसने व्यापार और तकनीक पर पहले ही रोक

[श्री निर्मल कांति चटर्जी]

लगा दी है। हमें दूसरी बात भी नहीं छोड़नी चाहिए। वह ऐशियाई विकास बैंक से मिलने वाले आसान ऋण पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। अतः वित्तीय मोर्चे पर, तकनीक मोर्चे पर आदि जैसे सभी मोर्चों पर वह हमारी विकास प्रक्रिया का दमन करना चाहता है। इस विकास प्रक्रिया के माध्यम से हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अतः स्थगन प्रस्ताव का इस संदर्भ में भी कुछ अर्थ है। हमें दुनिया को बताना होगा कि हमें इस प्रकार के दमनकारी उपायों से दबाया नहीं जाना चाहिए और विशेष स्वरूप और जैसी कि मांग की गई है भारत-अमेरिकी अभ्यास को तत्काल समाप्त करना होगा। यह पूरे विश्व के लिए और सभी विकासशील देशों के लिए बेहतरीन संकेत होगा कि हम बदले में क्या कार्रवाई कर सकते हैं।

दूसरे यह मांग की गई है कि आपके नेतृत्व में संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इस संसद से न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को बल्कि सभी विकासशील देशों के लोगों गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों का आह्वान किया जाना चाहिए कि भारत दुनिया के सभी लोगों का आह्वान करता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन के वर्चस्व को न माने। ऐसा प्रस्ताव पारित करना होगा और इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि यह आपके नेतृत्व में होना चाहिए। .....(व्यवधान)..... मुझे श्री ए० चार्ल्स और श्री शरद पवार से सहानुभूति है। यदि वह यह समझते हैं कि नतीजों का उन पर प्रभाव पड़ा है और वह इसकी तह तक जाने से इन्कार करते हैं तो हम सब को उनके दृष्टिकोण से सदमा पहुंचेगा। .....(व्यवधान).....

श्री ए० चार्ल्स : हम भी आपकी तरह साहस रखते हैं। .....(व्यवधान)..... हमने दबाव के आगे समर्पण नहीं किया। आपको हमारा समर्थन करना होगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं मानता हूँ कि आप साहसी हैं। ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : यह क्यों आवश्यक है? क्या मैं आपसे इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का अनुरोध कर सकता हूँ, अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों पर नहीं?

......(व्यवधान)..........

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उस पक्ष में भी इस प्रकार की समझबूझ के विकास हेतु अमरीकी प्रशासन द्वारा कुछ और कार्यवाही की जानी आवश्यक है लेकिन जिस आर्थिक नीति का पालन आप विगत दो वर्षों से कर रहे हैं और आज जिसमें तेजी ला रहे हैं, इस प्रकार की बातें भारत में नहीं हो सकती हैं। क्या आप उसकी प्रतीक्षा करेंगे या आप अभी ये कहेंगे कि हम और अधिक समय तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष पर निर्भर नहीं रहेंगे? यह केवल अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और प्रशासन की निधियां हैं। हमें आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व बैंक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था के लिए

अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ताकि हम एक चुनौती प्रस्तुत कर सकें और शेष गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों के साथ बने रह सकें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझसे पहले बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने अपना क्षोभ प्रकट कर दिया है। मैं भी इसको घोर अपमान का कृत्य समझता हूँ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसरो और ग्लावकोस्मॉस पर दो वर्ष के लिए यह प्रतिबंध लगाकर सभी सीमाओं को पार कर दिया है। परन्तु वास्तव में कुचक्र यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सामान्य निगम डायनमिक कारपोरेशन और फ्रांस के एरियन कारपोरेशन ने भी 1989 में इस विशेष परियोजना के बनते समय इसमें भाग लिया था। अपने व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए यह तथाकथित सभ्य सरकार इस प्रकार की निकृष्टतम कार्यवाही कर सकती है। ऐसा अनेक बार कहा गया है और विगत समय में हमारी नैतिक-स्थिति यह मानी जाती रही है कि हम इस प्रौद्योगिकी का सैनिक कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी अथवा रॉकेट-प्रौद्योगिकी का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कर रहे हैं, न कि सैनिक कार्यों के लिए। उन्होंने अपने संबद्ध एवं मित्र देशों के साथ मिलकर यह जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की है, उसका एकमात्र प्रयोजन तीसरे विश्व के देशों पर यह लागू करना है कि वे देश उनकी अपनी अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उद्देश्यों, कृषि की प्रगति, मौसम-पूर्वानुमान, रिमोट-सैंसिंग-प्रणाली तथा ऐसी अन्य बातों के लिए विकास न कर सकें। वे चाहते हैं कि विश्व के देशों को आज प्रत्येक देश को आगे ले जाने के लिए सभी प्रकार जिस प्रगति की आवश्यकता उन्हें है, उसके लिए वह देश उनकी कृपालुता और उनके विवेकाधिकार के अधीन हैं। इस परिपेक्ष में यह जरूरी है कि हम कठोर कदम उठायें। मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि यह सभा इसके विरुद्ध एक संकल्प पारित करे। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं यह भी मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार की कार्यवाई का खण्डन करें और एक वक्तव्य सदन में दे। यह आवश्यक है। उस आधार पर इस सभा द्वारा एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया जा सकता है।

इस संबंध में मुझे यह कहना ही चाहिए कि रूस की सरकार द्वारा अभी तक की प्रतिक्रिया सराहनीय है। मैं आशा करता हूं कि हालांकि भूतपूर्व सोवियत संघ–और फिर बाद में एक बड़ा देश रूस, भूतपूर्व सोवियत संघ का गणराज्य–में अनेकों दुर्भाग्य-पूर्ण-अगतियां होने के बावजूद भी वे हमारे देश से किए गए वायदे से नहीं मुकरेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि रूस के लोग अमेरिकी प्रशासन द्वारा उनके अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन पर दी गई धमकी का भी सामना करेंगे। उनके दिलों में भी अपने देश का सम्मान है। हमारे देश के लोगों के दिलों में भी अपने देश के प्रति सम्मान है। तीसरी विश्व के लोग और विभिन्न देशों के लोग अब यह आशा करेंगे कि इस चुनौती का सामना करने के लिए

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

उन्हें एकत्रित होकर आगे आना होगा। इस बारे में हमें पहल करनी ही चाहिए। भारत को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेता होने के नाते पहल करनी चाहिए।

मैं मांग करता हूँ कि सरकार को एक कठोर कार्रवाई को परिभाषित करने के लिए सामने आना चाहिए। यह कार्रवाई संयुक्त राज्य अमेरिका से संयुक्त जलसेना अभ्यासों को रद्द करना भी हो सकती है। मैं नहीं जानता कि वह अभ्यास किसके लिए किया जा रहा है। यदि यह अभ्यास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जिसकी हम संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे सैनिक प्रयोजनों के लिए आशा करते हैं, के लिए है, तो मुझे यह कहना ही चाहिए कि इस परिपेक्ष्य में वे भरोसे के मित्र नहीं हैं। हम उन पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु निर्भर नहीं रह सकते। मैं शर्म महसूस करता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उन छोटे अधिकारियों—मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ—ने भारत जैसे एक बड़े देश और एक बड़े लोकतंत्र को धमकी देने का साहस कैसे किया। यह बड़ी शर्म की बात है। उनके प्रवक्ताओं—मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं—ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हम अपने देश के लिए जिस सुपर कंप्यूटर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इससे प्रभावित होगा। मैं पुनः कहता हूँ कि भविष्य में हम उन पर प्रौद्योगिकी के लिए, हमारे अपने अनुसंधान क्षेत्रों के विकास के लिए तथा सैनिक प्रयोजनों के लिए निर्भर नहीं रह सकते।

अतः, हमारे अनुसंधान कार्यों के लिए, हमारे सैनिक और सुरक्षा मामलों के स्वतंत्र अनुसरण करने के लिए, हमें एक कड़ा रुख अपनाना होगा। मैं मांग करता हूं कि सरकार को सामने आना चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन मामलों में बिल्कुल भी विश्वास का पात्र नहीं है। उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे संसार के लोगों को काफी प्रेरणा मिलेगी।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो सप्ताहों की अवधि में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की प्रभुसत्ता पर दो बार हमला किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन पर प्रतिबंधों तथा 'ग्लावकॉस्मॉस' के प्रतिबंधों के विरुद्ध मुझ से पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। प्रतिबंध इन्हीं दो संगठनों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये इन दो देशों के विरुद्ध हैं। हम, भारत में, इसके बारे में पूर जोर रूप से इसके बारे में महसूस करते हैं क्योंकि, जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी ने भी संकेत किया है, आज परिवर्तित संसार में अन्य देशों के वशीभूत होने का अर्थ भी बदल गया है। मैं महसूस करता हूँ कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागू करने और व्यापार प्रतिबंधित करने के प्रतिबंध लगाने में आज के युग में गोलियों का स्थान ले लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लागू किए गए इन प्रतिबंधों के समूचे व्यावहारिक प्रयोजनों ने भारत और भारत की प्रभुसत्ता के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है। मैं ऐसी कार्रवाई कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और

मैं महसूस करता हूँ कि, जैसा कि मुझ से पहले वक्ताओं ने पहले ही व्यक्त किया है, सारी सभा को इस प्रकार की कारंवाई की निंदा करते हुए एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। महोदय, यहां पर मैं यह भी स्मरण करवा दूं कि जब भारत से ईरान को एक 'न्यूक्लियर रियेक्टर' के हस्तांतरण की चर्चा हो रही थी, तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे सौदे का विरोध किया था। लेकिन एक 'न्यूक्लियर रियेक्टर' जोकि ईरान में अभी पड़ा है, उसकी आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। आज यदि परमाणु शस्त्रों का प्रसार है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से नहीं है; यदि 'मिसाइल' प्रौद्योगिकी का प्रसार है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से नहीं है और आज जिस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस मामले पर निर्णय लिया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि परमाणु अस्त्रों के प्रसार के लिए जिम्मेदार भारत और अन्य विकसित देश ही हैं, न कि संसार में परमाणु अस्त्रों और मिसाईलों के प्रसार के लिए संयुक्त अमेरिका जिम्मेदार है। महोदय, आज वह समय आ गया है जब गुट-निर्पेक्ष आंदोलन, जिसमें पिछले कुछ महीनों और कुछ वर्षों के दौरान एक परिवर्तन हुआ है, को इस मौके पर खड़े होना होगा। भारत को गुट-निर्पेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते और इसका नेता होने के नाते इस आंदोलन को पुनर्जीवित करना होगा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को उचित ढंग से उत्तर देना होगा। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूँ कि इस सभा को संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाई की निन्दा करते हुए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा कि किसी तथ्य की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं एक सवाल से ही शुरू करता हूं। मैं आज इस संसद् के सामने एक सवाल को छेड़ना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान लीबिया से कमजोर है? मैं इसलिए इस सवाल को छेड़ रहा हूं कि गद्दाफी को कम से कम उनके देश की खातिर, देश के सम्मान की रक्षा करने हेतु जो दो आदमियों को नहीं भेजा, जिनको अमेरिका चाह रहा था कि हमारे देश को भेज दो ताकि हम इनके खिलाफ एक एयर एक्सीडेण्ट के सिलसिले में कारंवाई करें।

अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ को हथियार बन कर जो लीबिया के खिलाफ सेंक्सन किया तो हिन्दुस्तान खामोश रहा, इस सिलसिले में। मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि जिस तरीके से करुनिक जी और चार्ल्स जी ने इस सवाल को उठाया उससे लगता है कि इसके बारे में वह भी क्षुब्ध हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि कर्म के सिलसिले में एक छोटा राज्य लीबिया हिम्मत के साथ अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने हेतु, सोवरेनिटी की रक्षा करने हेतु कुछ कदम उठाया लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि सारे अपमान के बावजूद हमारे रक्षा मंत्री अमेरिका जाकर और वहां से लौटने के बाद पूरे देश को बता रहे हैं, सदन को बता रहे हैं, देशवासियों को कह रहे हैं कि हम नेवल एक्सरसाइज को जारी रखेंगे, बरकरार रखेंगे। तो हमारा यह सवाल है कि पिछले

[श्री रवि राय]

10 दिन के दरम्यान दो सैंक्संस अमेरिका हमारे खिलाफ कर चुका है, आज के बारे में जो बहस हो रही है, उसको मिलाकर। एक तो 301 लागू कर चुका है और एक स्पेस टैक्नोलोजी को लाने के बारे में दो साल के लिए पाबन्दियां लगा चुका है। मैं कह चुका हूं कि म किसी तर्क की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा लेकिन मैं आपके समक्ष एक ताजा उदाहरण दूंगा कि अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है। आप जानते हैं कि न्यूयार्क टाइम्स अमेरिका का सबसे नामी अखबार है, उसने 28 अप्रैल के एडीटोरियल में लिखा है और न्यूयार्क टाइम्स के बारे में माना जाता है कि अमेरिकी सरकार का करीब-करीब वही राय होती है, जो न्यूयार्क टाइम्स कहता है। न्यूयार्क टाइम्स में 28 अप्रैल के एडीटोरियल में लिखा है कि—

[अनुवाद]

"अमरीकी प्रशासन ने बड़े अर्थपूर्ण शब्दों में यह सुझाव दिया है कि विश्व-राजनीति में हाल ही के परिवर्तनों द्वारा भारत पर जो प्रतिबंध लगाए हैं कि वह अपने राजनैतिक और आर्थिक संबंधों को विश्वव्यापी रूप से देखें, वह सभी देशों के लिए परमाणु-मुक्त भारत में एक रुचि सहित राजनैतिक उत्तोलन का एक स्त्रोत है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इनका क्या रुख है, ये क्यों हिन्दुस्तान को दबाना चाहते हैं, इस बारे में "न्यूयार्क टाइम्स" 28 अप्रैल में स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसा यहां कहा गया है, हिन्दुस्तान पर अमरीका ने दबाव डाला कि न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान को न बेचा जाय। हिन्दुस्तान की फैसला करने की जो इच्छाशक्ति है, वह खत्म हो चुकी है। क्यूबा को राइस देने की बात, फैसले के बारे में हम नहीं जानते हैं कि सरकार का क्या रुख है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने एक सवाल है, अमरीका के एक आफिसर ने एक स्टेटमेंट किया और हमारा सारा सदन उसके ऊपर चर्चा कर रहा है। यह रिसपांस कहां तक प्रपोरशनेट है।

श्री रवि राय : इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो तर्क दिया, उससे साबित हो चुका है, हमको अपमानित किया जा चुका है। हमें न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं भेजा। हमने जो सवाल पूछा, उससे लगता है कि उसके जवाब पर सरकार कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद एक इस तरह से हम लोगों के खिलाफ सैंक्शन होती जा रही है। अमरीका की सरकार और उनके प्रैजिडेंट के दिमाग में है कि हम लोग उसको रजिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए सरकारी पक्ष की तरफ से यह प्रस्ताव आया है और विरोधी दल की तरफ से यह प्रस्ताव नहीं आया है। वासनिक जी ने अभी सदन को बताया, इस के बारे में सदन का प्रस्ताव होना चाहिए कि कम से

कम हम लोगों का रुख बताएं। हम लोगों का इस के बारे में प्रतिरोध बताएं, देश का और सारे जनमानस का अमरीका के खिलाफ जो प्रतिरोध है, जो अपोजीशन है, जो विरोधाभास है, उसको किस तरीके से रख दें। हिन्द-महासागर में जो ज्वाइंट नेवल-एक्सरसाइज के सिलसिले में भारत सरकार तय कर चुकी है, उसके लिए हम यह कहें कि हम इसको वापिस लेते हैं। हम आपके साथ नेवल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। यह एक सबूत होगा कि हम लोग हमारी प्रभुसत्ता और देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सारे सदन की राय दुनिया को, खास कर अमरीकी सरकार को मालूम हो जाए कि सारा सदन, सारा देश इसके खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहिए कि हम नेवल एक्सरसाइज को रद्द कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपने एक बहुत अहम् टिप्पणी की है कि इस पर यहां चर्चा की जानी कितनी आनुपातिक है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूँ कि हमारे सरकारी अधिकारी इसका उचित तरीके से उत्तर दे सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: उसके प्रत्युत्तर में, मैं कह सकता हूं कि हमारे रक्षा विभाग के उप-सचिव संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को एक पत्र लिख सकते हैं कि हम एतद्द्वारा संयुक्त नवीनतम अभ्यास को रद्द करते हैं। मेरा मानना है कि यह आनुपातिक होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, अपने दल की ओर से बोलने के लिए मौका दिया जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ......(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मैं आपको स्मरण करवा दूं कि हम ऐसा मूल्यवान समय नष्ट कर रहे हैं; जबकि तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर सारा सभा एकमत है। उस दिन, जब मैंने इस मुद्दे को उठाया था, तो सभी सहमत थे। यदि उसी दिन हमने यह घोषणा करते हुए कि संयुक्त जलसेना अभ्यास नहीं होगा, एक संकल्प पारित कर दिया होता, तो अभी तक ये सभी बातें सम्भवतः रुक गई होतीं। हमने पहले ही कीमती समय गवां दिया है और आज इस अधिवेशन का अन्तिम दिन है। हम आगे और समय कैसे व्यर्थ गवां सकते हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके बोलने के खत्म होने के बाद ही बोलेंगे। आप जब बोल रहे हैं, वे तब ही उठ कर बोलेंगे।

[अनुवाद]

आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे इशू पर बोलूंगा, लेकिन मैं इस संबंध में एक ही लाइन कहना चाहता हूं। चन्द्रजीत जी का जो सुझाव है, मैं उस सुझाव से सहमत हूं। लेकिन इसके साथ-साथ.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, एक ही बात समझने है और वह यह है कि किसी एक दूसरे देश के एक छोटे आफिसर ने स्टेटमेंट दिया है और उसके रिसपांस में....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आर्ज फर्नान्डीज: महोदय, सम्मानपूर्वक मैं यह कह दूं कि यह एक अधिकारी का वक्तव्य नहीं है; संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने यह निर्णय लिया है।...**(व्यवधान)** ...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी जो भावना व्यक्त कर रहे हैं मैं उसकी सराहना करता हूं। जो कुछ आपने कहा है, कोई भी उसके विपरीत नहीं कह सकता। लेकिन, मैं इस प्रकार से देखता हूं। जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूं, कृपया उत्तर न दें। आओ हम इस मुद्दे पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करें और इसका एक आनुपातिक ढंग से उत्तर दें। हम एक ऐसे तरीके से उत्तर न दें, जोकि अपेक्षित नहीं है। यह उत्तर कम-से-कम अपेक्षित से उत्तर नहीं होना चाहिए। केवल तभी हम एक सही और प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएंगे।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप संकल्प पारित न करें; मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप संकल्प पारित करें। सरकार को उत्तर देने दें। दल के नेता बैठकर इस पर विचार कर सकते हैं। हम इसके बारे में निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल कहना चाहता हूं कि यह अमरीका सरकार का फैसला है इसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पासवान जी को बोलने दीजिए। देखिए, अच्छी तरह से डिबेट चल रहा है उनको बोलने दीजिए। आप उनकी बात को सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक किसी ऑफिसर का मामला नहीं है, यह अमरीका सरकार का फैसला है और भारत के सम्मान का प्रश्न है इसलिए भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि जो चन्द्रजीत जी का सुझाव है उस सुझाव का मैं समर्थन करता हूं लेकिन भारत सरकार अपनी रेस्पोंसिबिलटी को हट नहीं सकती है इसलिए भारत सरकार यदि पहले ही आ जाए और अपना रिएक्शन दे दे या सबेरे ही आने पर अपना स्टेटमेंट दे देती तो आप जो कह रहे हैं उसकी इतनी आवश्यकता न पड़ती लेकिन भारत सरकार जानबूझ कर भारत के सम्मान को, आत्म-सम्मान को गिरवी रखने का काम कर रही है यही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है और यही सदन के लिए भी चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, झा जी, अगर आप बोलेंगे तो मैं दूसरों को बोलने का मौका क्यों नहीं दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं दल की ओर से बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : दल की ओर से सैफुद्दीन जी बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप दो दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करिए।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, आपने सही कहा है कि हमारी प्रतिक्रिया न अधिक हो, न कम हो लेकिन जो हम लोगों को इतिहास का अनुभव है, जो गनबोट डिप्लोमेसी

[श्री योगेन्द्र झा]

की बातें हैं जो हम सुनाते थे उसी को साकार रूप में आ गया है। (व्यवधान) इसलिए अध्यक्ष जी, इस मामले पर जो हमारे मित्रों ने कहा है, चन्द्रजीत जी ने तथा और भी मित्रों ने कहा है उनका समर्थन करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि यह बात सही है कि सरकार जो झुकती गई उससे अमरीका का मन बढ़ गया है। यह भी सही है चटर्जी ने कहा है कि सौ फीसदी सरकार नहीं झुकी है, इसलिए भी उसने ऐसा नहीं किया है इसलिए अभी संभालने का हमारे लिए मौका है और इस मौके पर जो युधिष्ठर ने बनवास के समय कहा था, जब सुयोधन, जिसको हारने के बाद हम लोग दुर्योधन कहते हैं, गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो युधिष्ठर ने कहा बचाओ, अर्जुन ने कहा नहीं इसने हमको छल कर बनवास भेजा है, युधिष्ठर ने कहा ठीक है हम उससे लड़ेंगे। हम पांच हैं वे सौ हैं पर यहां पर हम 105 हैं, हम पांच और सौ नहीं हैं, हम 105 हैं। (व्यवधान) इसलिए इस सदन में हम 105 का सबूत दें। इसलिए सरकार इसमें कमजोरी न दिखाए और इसका माकूल जवाब तुरंत दे। जो आयोग का अभ्यास है उसको रद्द करें और देश का आह्वान करें कि हम स्वावलम्बन के आधार पर और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसके लिए देश कोई भी बलिदान देने को तैयार रहेगा।

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : महोदय, आज सुबह हमने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन के प्रस्तावित प्रतिबंध के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्टों को पढ़ा है। इसके मात्र दस मिनट बाद ही हमें सरकारी संदेश प्राप्त हुआ कि रिपोर्टें सही हैं। अब प्रस्तावित विभिन्न प्रतिबंधों के क्या प्रभाव पड़ेंगे इस का अध्ययन करने के लिए हमें समय चाहिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपको कितना समय चाहिए? क्या आप ऐसे गम्भीर मुद्दे पर अपने आप प्रतिक्रिया नहीं दे सकते? । (व्यवधान)

12.00 मध्याह्न

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह इतना गम्भीर मुद्दा है कि प्रधान मंत्री को अब यहां आना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नई आर्थिक नीति के प्रभाव क्या हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आप बोल रहे थे, तब किसी ने विरोध नहीं किया था। अब उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दें। उन्हें अपनी बात पूरी करने से पूर्व, आप यह सब कुछ कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैंने सही समझा है, तो यह सभा एक ही आवाज में बोल रहे हैं। यही कारण है कि अब सभा को विभाजित न किया जाए। मंत्री महोदय को भी बोलने दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रधान मंत्री को सभा में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, आप हर समय प्रधान मंत्री को यहां आने और उत्तर देने के लिए कहते रहते हैं, जबकि एक उप-सचिव अथवा किसी व्यक्ति ने उत्तर दे दिया है। ठीक है, आप विचार कर सकते हैं कि यह सही बात है अथवा नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें दोषारोपन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसी स्थिति, जिसमें राष्ट्र सुदृढ़ता से खड़ा हो सकता है, पैदा करने के बारे में अति गम्भीर है, तो कृपया राजनीति न खेलें।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : सभा के सभी दलों के सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किया है, उस पर हमें चिन्ता है। हम सभा को यह विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की शान की सुरक्षा के लिए हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं और मैं अपनाए गए रुख को भी दोहराना चाहती हूं, जोकि हरेक को बार-बार बताया गया है कि हमारा अन्तरिक्ष कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बिल्कुल एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। रूस के साथ यह समझौता किसी भी रूप में एम०टी०आर०पी०/एम०टी०सी०आर० के उपबंधों की उल्लंघन नहीं करता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि यह सही नहीं है। आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। आप हर वक्त खड़े हो रहे हैं और उन्हें अपनी बात पूरी करने से पूर्व व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : यह मुद्दा सभी सदस्यों ने उठाया था, कि हमें अपना रुख दोहराना ही चाहिए और मैं यह कह रही हूं कि हम अपना रुख दोहरा रहे हैं। मुझे यह भी कहना ही चाहिए कि हमें विश्वास है कि भारतीय वैज्ञानिक इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं। अंत: मैं सभा को विश्वास दिलाती हूं कि इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, कर दिया जाएगा।

श्री वासुदेव आचार्य : क्या आप संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को रद्द कर रहे हैं? कृपया सदन को बताइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने एक घण्टे तक इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है। कुछ सदस्य चुपचाप बैठे हुए हैं और वे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। यह एक बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सभा के समक्ष इस मुद्दे को उठाकर तथा सरकार को इस बात के लिए सचेत करके कि वह किसी भी ताकत के सामने न झुके, अपने अपना कर्तव्य निभाया है। इसके साथ-साथ आपने एक तरह से एकता का परिचय दिया है। एक अलग ढंग से आवाज उठाकर कृपया हम इस एकता को नष्ट होने न दें। इस एकता को इसी तरह रहने दें। न तो हमें किसी की बात का खण्डन करने में उत्सुकता दिखानी चाहिए और न ही हमें किसी की प्रशंसा करने में अपनी उत्सुकता दिखानी चाहिए। हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है और इस देश तथा संसद के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम उस हद तक ही जवाब देंगे, जितनी कि हमें जवाब देने की जरूरत है और उससे बढ़कर हम जवाब नहीं देंगे।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष जी, आपकी अभी दी हुई सलाह का सम्मान करते हुए भी मैं समझता हूं कि अभी मंत्री जी की ओर से जो जवाब दिया गया है और जिस प्रकार की चिंता व्यक्त हुई, उस चिंता का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता जो है वह केवल "इसरो" के खिलाफ जो संयुक्त अमेरिका ने लगाया है, उसी के कारण नहीं है। विगत दिनों में एक के बाद एक कुछ घटनाएं होती रही हैं सुपर 301 से लेकर के और फिर डुंकल प्रस्ताव के संदर्भ में। भारत के बारे में जो दृष्टिकोण अमेरिका ने अपनाया है तो हम डुंकल प्रस्ताव की चर्चा भी फिर से नहीं कर सके। मुझे लगता है कि आज सदन स्थगित होगा अगले सत्र के लिए, उससे पूर्व अगर अधिकृत रूप से सरकार नीति का प्रतिपादन करे केवल चिंता में हम सहभागी हैं, इतना कहना पर्याप्त नहीं है। ये जो एक के बाद एक कई प्रकार के प्रसंग खड़े हुए हैं, कई जटिल समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिनका एक हल दिया जाता है मेरे साथियों की ओर से कि आप केवल एक्सरसाइज को समाप्त कर दीजिए, मैं और मेरी पार्टी उस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। हम उसको नीजरके रिएक्शन मानते हैं। लेकिन साथ-साथ हम इस बारे में सुविचारित नीति की अपेक्षा करते हैं कि वह सुविचारित नीति करें। शाम को सदन स्थगित होने से पहले प्रधान मंत्री जी आएं तो बहुत अच्छा है अन्यथा और मंत्री आकर के यहां सदन के सामने रखें कि अमेरिका की ओर से इस प्रकार के दबाव के प्रकरण एक के बाद एक जो आये हो रहे हैं, उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। किस प्रकार से इसका सामना करना चाहते हैं तो शायद समाधान हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह उत्तर ठीक है और हम इस सदन में किसी भी प्रकार के दो मत हैं, यह भी धारणा पैदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सदन इससे संतुष्ट नहीं है।......... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगराजन कुमारमंगलम जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं केवल एक मिनट ही लूंगा। जैसा कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी ने ठीक ही कहा है, हमें दस मिनट पहले जानकारी मिली थी। जैसा कि आपने बताया था, मैं समझता हूँ कि लोगों को इस स्थिति को समझना चाहिए। माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए था कि सरकार को इस विषय में क्या कदम उठाना चाहिए, मुझे विश्वास है कि वे हमारी बात से सहमत होंगे। जैसा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा है, यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हमें वास्तव में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इस सभा में, इस विषय पर, सभी की राय एक जैसी है। मैं नहीं समझता कि इस विषय में कोई मतभेद है। यदि वे इसे उचित समझते हैं, तो हम बाद में आपके कक्ष में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि हमें इस विषय में कैसे आगे बढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव दिया गया था कि आप इस तरह की परिस्थिति का कैसा सामना करेंगे? सभा इस विषय में जानना चाहती है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम एक होकर इस परिस्थिति का सामना करना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि इस विषय में सबकी राय एक जैसी है। किसी की कोई अलग राय नहीं है। इस मुद्दे पर हम एक है। हम इस पर चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया जाए। सरकार भी बैठक के लिए तैयार है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बैठक का आयोजन किया जाए। हमारा हल्के तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति न दी जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम एक बैठक का आयोजन करेंगे। मुझे वहां पर आपका स्वागत करते हुए बहुत हर्ष होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमान जी धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं सभा का ध्यान, रेल मंत्री श्री जाफर शरिफ द्वारा किए गए विशेषाधिकार का उल्लंघन तथा सभा की अवमानना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं पहले ही आपको नियम 222 के अन्तर्गत एक नोटिस दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्रीजी से टिप्पणी देने के लिए कहा है।

श्री राम नाईक: मैं कहूँगा कि सच्चाई यह है कि 9 मई को मुम्बई में, वाशी-मनखुर्द क्षेत्र पर मुम्बई और नवी मुम्बई को जोड़ते हुए एक नई उपनगर रेल लाईन शुरू की गई थी। ऐसा करते हुए रेल मंत्रालय ने एक तरफ यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी पर 1.50 पैसे तथा प्रथम श्रेणी पर 3.75 पैसे का अधिभार लगाया। एक महीने के लिए, यात्री को द्वितीय श्रेणी पर 50 रुपए तथा प्रथम श्रेणी पर 125-00 रुपए लगेंगे। इस निर्णय से एक लाख रेल यात्री प्रभावित होंगे। महोदय जी, जैसा कि आप जानते ही है, यह वित्तीय बढ़ोतरी है और किसी भी वित्तीय बढ़ोतरी के लिए आय-व्यय सम्बन्धी प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि संसद की अनुमति ली जानी चाहिए। रेल मंत्रालय द्वारा संसद की अनुमति नहीं ली गई।

जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था तब उन्होंने कहा था—बजट बुक मेरे पास है—ये नई रेल लाईन वर्ष 1992–93 में पूरी की जाएगी और रेल लाईन बिछा देने के बाद इसे चालू किया जाएगा। और तदनुसार इसे चालू कर दिया गया है। महोदय, जब इसे चालू किया गया और जब मंत्रीजी ये जानते हैं कि ये शुरू हो जाएगी तब उन्हें बजट के समय कराधान के प्रस्ताव को लेकर आना चाहिए था। कभी-कभी ऐसा कहा गया है कि यह अधिभार है और रेल मंत्री ने उसे अधिभार के रूप में ही दर्शाया है। फिर भी उन्होंने संसद को इसकी सूचना नहीं दी। जब समारोह का आयोजन हुआ, इसे पत्रकारों के समक्ष एक विज्ञप्ति के रूप में जारी किया गया था और प्रेस के द्वारा हम यह जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने टिकटों की कीमतों में वृद्धि कर दी है। और भले ही वह किराया हो अथवा अधिभार हो उसे बढ़ा दिया गया। इस तरह से शुरू किए गए नए अधिभार के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है।

उदाहरण के तौर पर, शायिका प्रभार पर अधिभार लगाया गया। बजट को प्रस्तुत करते हुए पृष्ठ 2, पैरा 3.4 पर प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए ज्ञापन में कहा गया है:

> "शायिका अधिभार: 501 कि०मी० से 1000 कि०मी० के बीच की यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का स्लीपर अधिभार 22 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का प्रस्ताव है।"

इसका मतलब है, अधिभार को बढ़ाने के लिए भी मंत्री जी संसद की सहमति के लिए पहले आये थे। अब विशेषकर इस मामले में वे नहीं आये। विद्यमान अधिभार को नहीं बढ़ाया जा रहा है; अब तो पूर्णतः नया प्रभार लगाया जा रहा है। अतः यह एक गम्भीर मामला है और उस दृष्टिकोण से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। उन्होंने जानबूझकर संसद की उपेक्षा की है और उन्होंने कार्यपालिका की तुलना में संसद के महत्व को कम आंका है। और विशेषकर जबकि संसद का सत्र चल रहा है, संसद की अनुमति के बिना अधिभार को लगाना, विशेषाधिकार का उल्लंघन और सभा की अवमानना करता है।

अतः महोदय मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मुझे कृपा करके अपनी सहमति दीजिए और मुझे इस विशेषाधिकार के उल्लंघन को प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। और कृपया इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह मात्र स्वीकृति नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुझे ऐसी कोई अधिसूचना मिली है जिसमें इस तरह का अधिभार लगाने की बात कही गई हो। और यह ध्यान देने योग्य बात है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसे पूर्वोदाहरण भी हैं जब वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में सभा पटल पर अधिसूचनाएं रखी गई थीं। प्रेस की ओर से भी इसकी भर्त्सना की गई थी भले ही इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं माना गया हो। लेकिन यदि इस तरह की कोई घटना घटी हो तो अध्यक्षपीठ द्वारा इसकी कठोर निन्दा की गई क्योंकि इस तरह से वित्तीय उत्तरदायित्व की अपेक्षा की गई थी। यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरे वरिष्ठ साथी, श्री राम कापसे जी सभा को इस विषय की जानकारी देंगे।

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मेरा विशेषाधिकार संबंधी नोटिस मिल गया होगा। "संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन" पुस्तक के पृष्ठ 636 में अनुदान की मांगों पर चर्चा के विषय-क्षेत्र के संबंध में ऐसा कहा गया है कि "जबकि बजट पर सामान्य चर्चा के समय, सभा सारे बजट पर या उसमें निहित किसी सिद्धांत के प्रश्न पर विचार कर सकती है।" 'उसमें निहित सिद्धांत' ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।

यदि आप बम्बई वी टी से यात्रा करते हुए मानखुर्द पहुंचेंगे तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप और आगे की यात्रा करेंगे और यदि आप मानखुर्द से वाशी तक जाएंगे जो कि सात किलोमीटर का रास्ता है, उसपर अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। इस तरह का अतिरिक्त किराया लगाना ही नई नीति है। वे लगभग 200 करोड़ रुपए वसूल करना चाहते हैं और वे इसे अधिभार के रूप में वसूल करना चाहते हैं। वे इस लाईन पर केवल सात किलोमीटर के लिए 200 करोड़ रुपए अधिभार के रूप में वसूल करना चाहते हैं। उन्होंने इससे संसद को अवगत नहीं कराया।

यहां, कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 636 पर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनुदान की मांगों के समय इसमें निहित सिद्धांत के रूप में इस पर चर्चा की जा सकती है। इसमें एक सिद्धांत निहित है। एक नई नीति—एक नया सिद्धान्त शुरू हो रहा है। रेलवे के इतिहास में ऐसा अलग-अलग किराया कभी नहीं रखा गया।

उपनगरीय यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। मद्रास में, मुम्बई में, कलकत्ता में तथा दिल्ली में सभी स्थानों पर समान रूप से किराया लगता है। लेकिन मुम्बई और नवी मुम्बई के बीच की यात्रा के लिए उनसे अलग किराया लिया जाता है। उन यात्रियों को बम्बई

बी० टी० से मानखुर्द की यात्रा के लिए एक किराया देना पड़ता है और मानखुर्द से वाशी की यात्रा के लिए अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। यह अतिरिक्त किराया ही अधिभार है।

किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो बजटीय प्रावधान है। जहां तक रेलवे बजट का प्रश्न है, उस विषय में एक भी शब्द नहीं कहा गया। और इसके साथ-साथ जहां तक अधिसूचना का प्रश्न है, मंत्रीजी संसद के समक्ष ये कहने नहीं आए कि वे इस नई नीति के विषय में विचार कर रहे हैं तथा एक नए सिद्धांत को विकसित किया गया और आप इसके लिए अनुमति दीजिए। ऐसे कई सन्दर्भ हैं जब शुल्क लगाए गए थे अथवा किसी तरह का अधिभार लगाया गया था। मैं आपको विशेषाधिकार डाइजेस्ट 123, 1980 दे सकता हूं। हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिनांक 9 जून, 1980 को यह मुद्दा उठाया था। यह मुद्दा कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतों के सन्दर्भ में था। और अध्यक्ष जी ने यह विनिर्णय दिया था कि:

"जब संसद की बैठक हो रही हो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हो तो मैं इस बात को उपेक्षा नहीं कर सकता कि, सभा को सूचित किए बिना ऐसे निर्णय लेना अनुचित है।"

अनेक निर्णय लिए गए हैं।

वर्ष 1983 में प्रो० मधु दंडवते द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। वर्ष 1982 में राज्य सभा में हमारे नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसी मुद्दे को उठाया था; हर जगह माननीय सभापति महोदय द्वारा यह विनिर्णय दिया गया है कि बजट के समय आपको समूचे मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए आप उस समय चर्चा कीजिएगा। अभी वह कहां है? यह अधिसूचना द्वारा किया जाएगा। आज सत्र का अन्तिम दिन है। इस संबंध में भी "कौल और शकधर" में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : विशेषाधिकार के हनन के अतिरिक्त यह गैर कानूनी है।

श्री राम कापसे : यह गैर कानूनी और पक्षपात पूर्ण है। इसे सदन के ध्यान में नहीं लाया गया है।

अधीनस्थ विधान के सम्बन्ध में नियम 234 में कहा गया है:

"(1) जब संविधान के या संसद् द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सभा के सामने रखी जाए, तो संविधान या तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिए उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पहले पूरी की जाएगी.........."

यह स्थिति 'आज' है। उन लोगों ने हमसे सम्पर्क नहीं किया। अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं..

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी टिप्पणी मालूम करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, मैं एक ही बात कह रहा हूं। अब आप तय कर लें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं और जो इसमें लिखा है, उसे देखिये :

[अनुवाद]

अब मैं वित्तीय विषयों सम्बन्धी प्रक्रिया; बजट का पेश किया जाना, के पृष्ठ 627 से पढ़ रहा हूं :

"प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार का "वार्षिक वित्तीय विवरण" या प्राक्कलित आय तथा व्यय का विवरण रखवाता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है और यह दो भागों में रखा जाता है, अर्थात् रेलवे बजट, जो कि रेलवे वित्त के सम्बन्ध में होता है और सामान्य बजट, जिसमें रेलों को छोड़, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति का समूचा चित्र दिया जाता है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, बात बहुत ही स्पष्ट है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार की ओर से आता है, उसमें इनकम-एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू-एक्सपेंडिचर दोनों हिस्से हैं, यहां रखा जाता है, आप दो भाग करिये। इसलिए जो जिस चीज के लिए नियम सरकार के नीचे एकाउंट के लिए लागू हैं, वे रेलवे फाइनेंसेज के लिए लागू हैं मगर सरकार कोई भी टैक्सेशन का कोई रेवेन्यू का मामला सदन के सामने आये बगैर नहीं लागू कर सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई शंका नहीं है। चाहे कर हो या अधिभार संसद की अनुमति के बिना एक पैसे का भी कर नहीं लगाया जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यह राजस्व का हिस्सा है।

[हिन्दी]

आप सरचार्ज के रूप में उसको लीजिए, किसी भी तरह से लीजिए। इसे बहुत गंभीरता से लेकर किस तरीके से इसको हल करना है, उसको देखें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में देखूंगा । श्री मनोरंजन भक्त ।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी है तो इस सभा के माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति भी दी जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री ई० अहमद : महोदय, नियम 225 बिल्कुल स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । मैंने कहा है कि उन्होंने सूचना दी है ।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : नियम 225 के अन्तर्गत, माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति से माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होंगे......

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैंने सहमति नहीं दी है। क्या आप श्री मनोरंजन भक्त जी के भाषण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ?

श्री ई० अहमद : मैं श्री भक्त को बाधा नहीं पहुंचा रहा हूँ। मैं यहां सिर्फ नियम 225 के अन्तर्गत कही गयी बात का उल्लेख कर रहा हूँ। इस मामले में हमें भी बोलने की अनुमति दी जा सकती है। नियम 225 बहुत ही स्पष्ट है और इसमें कहा गया है :

"अध्यक्ष यदि नियम 222 के अन्तर्गत सम्मति है और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उस से संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा ।"

मैं सिर्फ यह जानना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय उन्हें अनुमति दिये हैं अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं । क्या मुझे प्रत्येक सदस्य को पीठासीन अधिकारी से प्रश्न करने की अनुमति देनी चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ । मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ । क्या माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी है या नहीं । यदि नहीं, तो महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय : अहमद जी, आप समय क्यों ले रहे हैं । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उन्होंने नोटिस दिया है और मैं उनकी टिप्पणी को मालूम करूंगा और फिर मैं फैसला करूंगा । क्या अन्य माननीय सदस्यों का इतना समय लेना आवश्यक था ?

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि देश के अंदर कई केन्द्र शासित प्रदेश हैं जहां कोई विधान सभा नहीं है और उनके बजट प्रस्ताव इस सदन के अंदर पास होते हैं । जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं उनमें पाण्डिचेरि को छोड़कर बाकी जो 5 प्रदेश हैं—अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ और दमन-दीव, जिनमें विधान सभा का कोई प्रावधान नहीं है और इनका बजट गृह मंत्रालय की मांगों के अंतर्गत पास होता है लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और चर्चा नहीं होने से इन केन्द्र शासित प्रदेशों में जो सरकार की धनराशि खर्च होती है, जो कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपया खर्च होता है, वह रुपया किस प्रकार से खर्च होता है, सही ढंग से खर्च होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च होता है या लोगों की उसमें क्या प्रायॉरिटीज हो सकती हैं, इस पर उल्लेख करने का मौका हमें सदन में नहीं मिला ।

अध्यक्ष जी, आपको पता होगा, मैंने एक बार आपके सामने यह निवेदन किया था कि केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक बार चर्चा का मौका दिया जाए जिससे हम लोग जो इन इलाकों से आते हैं जहां की रोज की समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करने का हमें मौका मिले । आप सोचकर देखिए कि अंडमान में एक लेबर की पोस्ट को क्रिएट करना होता है तो वह दिल्ली में उस मंत्रालय के पास भेजी जाती है और वहां दो तीन साल फाइल पड़ी रहेगी और उसके बाद इस पर कोई निर्णय होगा, तभी जाकर यह पोस्ट भरी जा सकती है । इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब देश के अंदर हम यह देखते हैं कि कहीं हिंसा फैलती है तो उस समय पर सरकार तुरंत जाकर उनसे बातचीत करके उस काम को करती है । ......(व्यवधान)....

आपको तो हमें टाइम देने में ध्यान रखना चाहिये, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में छोटे इलाकों के लिये हमेशा दर्द रहा है । इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, सदन से, कि जितने छोटे छोटे केन्द्र शासित प्रदेश हमारे देश में हैं, उनके लिये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बंदोबस्त होना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं

अब इन सभी प्रदेशों में भी हिंसा का वातावरण पैदा होगा, जिससे देश की एकता के लिये खतरा पैदा हो जायेगा ।

अतः मैं आपके जरिये सरकार से मांग करता हूँ कि तमाम केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये भी, जैसा प्रावधान आपने अभी दिल्ली के लिये किया है, उसी तरह असैम्बली बनाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि सही तरीके से उन प्रदेशों का प्रशासन भी चल सके।

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं पूरे सदन का ध्यान कल 11 मई, 1992 के जनसत्ता में प्रकाशित धनबाद के कोयला खनन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की मृतप्रायः सी होती जा रही स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ । धनबाद पूरे देश को कोयला सप्लाई करता है और उसके सड़क, पानी, सामुदायिक विकास इत्यादि का कार्य कोयला खनन विकास प्राधिकरण ही करता है । इसके लिये बी० सी० सी० एल० कोयले की बिक्री पर 3 से 4 रुपये प्रति टन सैस वसूल करके प्राधिकरण को देता है । सारे खर्चों के बाद प्राधिकरण करीब करीब 2 करोड़ रुपये सालाना विकास पर खर्चा करता था किन्तु 6 नवम्बर, 1991 को पटना हाई कोर्ट की रांची बैंच के द्वारा दिये गए एक फैसले का बहाना करके, बी सी सी एल, प्राधिकरण को उसका जो हक है, वह सैस देने से इंकार कर रहा है । इस फैसले में सैस की वसूली पर रोक लगायी गयी थी किन्तु उसमें कहीं भी सी एम ए डी ए के सैस और सैस ऑन रॉयल्टी पर रोक नहीं लगायी गयी है । लेकिन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने इस फैसले को अपनी सुविधानुसार व्याख्या करके सी एम ए डी ए को घोर आर्थिक संकट में डाल दिया है । उसने इस फैसले के आधार पर धनबाद स्थित विकास प्राधिकरण को सैस देना बंद कर दिया है जबकि बगल में आसनसोल विकास प्राधिकरण को रूरल एम्प्लायमेंट और डेवलपमेंट सैस, पी० डब्ल्यू० सैस और प्राधिकार सैस का भुगतान जारी है । मैं माननीय कोयला मंत्री से जानना चाहती हूं कि यदि आसनसोल स्थित विकास प्राधिकरण को सैस का भुगतान किया जा रहा है तो फिर धनबाद विकास प्राधिकरण के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है ।

दूसरी तरफ इस मामले में बिहार सरकार की उदासीनता की जितनी निन्दा की जाये, वह कम है । उसने आज तक बी०सी०सी०एल० से यह नहीं पूछा कि वह धनबाद के विकास प्राधिकरण और आसनसोल के विकास प्राधिकरण के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे कर सकता है । फिर कोयला व्यापारियों से इस मद में अप्रैल, 1990 तक जो सैस वसूल किया गया, उस रकम को भी उसने अभी तक प्राधिकरण को क्यों नहीं दिया । लेकिन बिहार सरकार की लापरवाही का तो यह हाल है कि सैस ऑन रॉयल्टी के अंतर्गत वसूले गये करोड़ों रुपये किस खाते में रखे गये, उसका भी फैसला वह आज तक नहीं कर पायी है । बी०सी०सी० एल० के तरफ अभी भी 370 लाख रुपये से ज्यादा राशि बाकी है ।

अतः मैं माननीय कोयला मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे जल्दी से जल्दी भारत कोकिंग कोल को बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दें और यह स्पष्ट रूप से बतायें कि अभी तक कुल कितना रुपया उसकी तरफ बाकी है और कब तक वह इस राशि को देने वाला है। अन्यथा प्राधिकरण के समक्ष ऐसी स्थिति आने वाली है कि अपने कर्मचारियों को देने के लिये, वेतन देने के लिये, उसके पास पैसा नहीं रहेगा। बिहार सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है और न वह बकाया के भुगतान के लिये किसी किस्म का दबाव डाल रही है और न विकास प्राधिकरण की तरह सी एम ए डी ए को सैस देने के लिये, उस पर जोर दे रही है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो सुबह चर्चा किये गये मुद्दे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने डंकल प्रस्ताव पर आधारित 'गैट' समझौता का उल्लेख किया है। माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि डंकल प्रस्ताव पर इस सभा में पूरी तरह से वाद-विवाद कराये बगैर सरकार 'गैट' संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगी।

नियम 193 के अन्तर्गत गत सप्ताह एक चर्चा की जानी थी परन्तु यह चर्चा नहीं हो पायी। दलगत सम्बन्धों से परे हट कर यह सभा इस मामले के प्रति चिन्तित है। सम्पूर्ण राष्ट्र इस सम्बन्ध में चिन्तित है। हमारी कृषि व्यवस्था सेवायें, विदेशी निवेश में हमारी स्वतन्त्रता तथा अन्य अनेक चीजें खतरे में पड़ जायेंगी। इस समझौते से आने वाली पीढ़ियों पर प्रतिबन्ध लग जायेगा। यह मुद्दा इतना बड़ा है कि वाणिज्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों या मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा इसका निर्णय नहीं हो सकता है। मैं विशेष रूप से तीन बातें कहना चाहता हूँ।

पहली बात यह है कि संसद की अनुमति के बिना और इस मुद्दे पर पूरे वाद-विवाद के बिना सरकार को डंकल प्रस्ताव पर आधारित इस 'गैट' संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। सरकार को जिनेवा में इस मुद्दे को फिर से उठाना चाहिए और विभिन्न मुद्दों को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरे 'गैट' उरुगे वार्ता के सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए शीघ्र ही एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए।

अन्त में एक महत्वपूर्ण बात देश के प्रशासकों द्वारा की गई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की संसद द्वारा स्वीकृति के सम्बन्ध में है। आम तौर पर हमारे पास सम्पन्न कार्य ही आते हैं और हम उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को

सम्पन्न करने में प्रशासकों के अधिकार के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान तथा इन संधियों के समर्थन के लिए संसद के अधिकार के सम्बन्ध में इस सभा को गम्भीरता पूर्वक और मिलकर विचार करना चाहिए । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैंने एक सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि इस मामले में सभा माननीय सदस्य के साथ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहना चाहिए कि आप मंत्री महोदय से मांग कर रहे थे और लिखा मुझे था । हमने ऐसा निश्चित किया था लेकिन कार्यसूची में जो विषय थे उन पर चर्चा नहीं हुई और जो विषय नहीं थे उन पर चर्चा हुई । यही कारण है कि इसके लिए आपके पास समय नहीं था ।

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम आज इसे बन्द कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, इस प्रकार से नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके पीछे जो सदस्यगण बैठे हुए हैं आज आपको उनका पक्ष लेना है ।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन व पुलिस ने रेहड़ी पटरी व रिक्शा वालों को उजाड़कर बेरोजगार बना दिया है जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं । लोगों के घरों में चूल्हे जलने बन्द हो गए हैं । 45 साल की आजादी के बाद भी करोड़ों पढ़े-लिखे लोग पहले ही बेकारी, बेरोजगारी के शिकार हैं ऊपर से सरकार की गलत नीतियों के चलते और आग में घी डालने का काम प्रशासन कर रहा है । हजारों, लाखों की संख्या में पटरी वालों ने उपराज्यपाल महोदय के यहां प्रदर्शन किया है और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पुलिस व प्रशासन नहीं मान रहा है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटरी वालों को उजाड़ने से पहले बसाने का प्रावधान किया जाए । मेरी सरकार से मांग है कि वह हस्तक्षेप करे और इन लोगों को बैठने के लिए जगह दे ताकि ये लोग अपनी रोजी-रोटी चला सकें । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं । (धन्यवाद) ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही मानवीय प्रश्न आज इस सदन के सामने रख रहा हूं । त्रिपुरा की आज जो हालत है वह बहुत ही गम्भीर है । इस पार्लियामेंट के 8 सदस्य 9 और 10 तारीख को त्रिपुरा के उन इलाकों में गए, जहां एक महामारी के शिकार होकर करीब-करीब हम लोगों की जानकारी के अनुसार इस साल 24 मार्च से 3 मई के बीच में 102 आदिवासी कालकवलित हो गए । सरकार ने जो हम लोगों को आंकड़े उपलब्ध करवाए, उसके अनुसार 82 लोग मर गए । पिछले साल श्रीमन इसी महीने में यह महामारी आई जिसमें हम लोगों को जो सूचना मिली, उसके अनुसार 142 लोग और सरकार के अनुसार 121 लोग मरे, इतनी कम आबादी वाले इलाकों में किसी महामारी से मरने वालों की संख्या हिन्दुस्तान में किसी भी जगह मरने वालों की संख्या के अनुपात में सबसे अधिक है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो व्यवस्था वहां होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है । हम लोग मुख्य मंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा कि 15 तारीख के बाद उस क्षेत्र में एक योजना चलाई है जिसके अनुसार जिनके परिवार में लोग मर गए है, उनके परिवार के लिए 500 रुपये प्रति परिवार धनराशि दी जाएगी उनके रख-रखाव के लिए । यह कितने शर्म की बात है कि आजाद हिन्दुस्तान में एक मौत की कीमत केवल 500 रुपये आंकी गई । हमने वहां वीडियो फिल्म बनाई और दस्तखत दी । एक व्यक्ति ने शिकायत की कि साधन के अभाव में, वह मानिकपुर गांव के टोला मोह-रमपुर का रहने वाला प्रदीप देव वर्मा है, पैसे की जरूरत के चलते मुझे अपने दो बेटों, रमेश जिसकी उम्र 5 वर्ष और माफिक जिसकी उम्र 3 वर्ष थी, को उस गांव के पविन्द्र त्रिपुरा और कविन्द्र त्रिपुरा को 40–40 रुपये में बेचना पड़ा । इससे बड़ी शर्म की बात आजाद हिन्दुस्तान में नहीं हो सकती । मानव मूल्य कितना गिर गया है ।

हमने हस्पताल में विजिट किया, जो सी०एम०ओ० मिले, डिस्ट्रिक्ट मैजीस्ट्रेट मिले, उन्होंने जो आंकड़े उपलब्ध कराए, दो हजार मरीज पिछले दो महीने में वहां भर्ती हुए । 30–30 किलोमीटर दूर से मरीजों को लाना पड़ता है । जब रास्ते में वे मरने लगे तो उनके घरवाले रास्ते में ही छोड़कर भाग गए । कुछ परिवार बंगलादेश चले गए, कुछ आसाम और कुछ बगल के मिजोरम चले गए । इस तरह से उन्होंने रास्ते में लाश छोड़ दी जिसको कुत्ते, चील और गिद्ध खा रहे हैं । इस आजाद हिन्दुस्तान में मानव मूल्य यदि इस तरह का हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह आजाद हिन्दुस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है ।

मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । ट्राईबल बैल्ट की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी होती है । मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एक विशेष टीम त्रिपुरा के उस गांव में, जहां महामारी से इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, जाए । वहां पीने का पानी बहुत गन्दा है, मिलता ही नहीं है । 50 किलोमीटर दूर से टैंकर पर पानी आता है जो कभी आता है और कभी नहीं आता है । मजबूरन वहां के लोगों की मजबू

पड़ती मीना पड़ता है । वहां खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं है, केवल दो दिन राशन की दुकान खुलती है । 30 किलोमीटर दूर से आने वाला कोई भी आदिवासी खरीद पाता है, नहीं खरीद पाता है, उसकी क्रयशक्ति नहीं है कि वह खरीदे । नतीजा यह है कि जंगली घास-पात को खाने के लिए वह मजबूर है जिसके चलते महामारी के शिकार होकर सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं । इस सवाल पर केन्द्र सरकार का ध्यान जाना चाहिए और एक टीम वहां का आकलन करने के लिए जाए । वहां के आदिवासियों को न केवल दवा, भोजन बल्कि सामूहिक तौर पर भोजन का इंतजाम सरकार की ओर से हो और राशन के लिए मोबाइल दस्ते केन्द्र सरकार की ओर से कायम किए जाएं जिससे सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को राशन मुहैया हो सके।

जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनमें भागकर मजबूरी में, रोजीरोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है, वह मजबूरी न हो । हम केन्द्र सरकार से आग्रह करते हैं कि रिलीफ वर्क तत्काल प्रारम्भ किया जाए और जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको मुआवजे के तौर पर कम से कम 50 हजार रुपये की व्यवस्था केन्द्र सरकार करें ।

इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है। आप सभी खड़े हो गये हैं। श्री मोहन सिंह जी ने जो कुछ कहा है आप सभी उसका समर्थन कर रहे हैं अब माननीय मंत्री महोदय जी को जवाब देने दीजिए। फिर हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने ऐसा मान लिया है कि आप सबों के विचार समान है।

(व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, कोई कारण नहीं है कि मैं माननीय सदस्य महोदय, जिन्होंने स्वयं कुछ अन्य सदस्यों के साथ उस क्षेत्र का दौरा किया है, के वक्तव्य पर अविश्वास करूं। मुझसे कहा गया है कि मुख्य मंत्री जी के साथ, जो वहां उपस्थित थे, उनकी बात-चीत हुई थी। जो संकट आया था उस बारे में उन्होंने मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया। यह एक तथ्य है। ऐसा गत वर्ष हुआ है और इस वर्ष भी दुहराया गया है। गत वर्ष जब यह हुआ था तो मैंने माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री एम०एल० फोतेदार जी के साथ इस मामले को उठाया था। एक केन्द्रीय दल ने वहां का दौरा किया तथा इस विशेष बिमारी के कारणों का पता लगाया तथा इसकी एक रिपोर्ट भी पेश की। इसके बाद की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा भी की गयी थी। इस वर्ष जब यह हुआ तो मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी से इस पर बात-चीत की और उन्होंने एक अन्य दल को वहां का दौरा करने का निर्देश दिया। मैं नहीं जानता हूं कि यह दल गया है या नहीं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसके पुनः होने से उस क्षेत्र में भय

उत्पन्न हो गया है। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूँ कि लोग बांग्लादेश या अन्य स्थानों में जा रहे हैं या नहीं। इस पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। मैं माननीय सदस्य महोदय से पूरी तरह से सहमत हूँ कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि ऐसा फिर से न हो। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूँ कि मैं पुनः इस पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से बात करूंगा। मैं उनमें से एक हूं। मैं सिर्फ यह अनुरोध करता हूँ कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान) मैं यह नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान) क्या मैं यह कह रहा हूँ कि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कृपया वह चर्चा यहां मत कीजिए। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि इसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : इसलिए मैं यह कहता हूँ कि यह एक मानवीय त्रासदी है और उस पहलू से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इस मामले में देख रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि उचित कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालकाड) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मानवीय समस्या को उठा रहा हूँ। बीड़ी मजदूर हमारे समाज का सबसे अधिक पिछड़ा और असंगठित वर्ग है। यद्यपि सरकार ने इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए और रोजगार सुरक्षा तथा अन्य अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, कई योजनायें बनायी हैं। लेकिन इन योजनाओं को अब तक ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। एक ऐसे देश में जहां लाखों लोग बेरोजगार हैं यही एक क्षेत्र है जहां थोड़ी सी पूंजी निवेश से हजारों मजदूरों को रोजगार दिया जा सकता है। जब तक सरकार सभी राज्यों में बीड़ी-सिगार अधिनियम को कड़ाई से लागू न करे और उन के लिए कम से कम मजदूरी का भुगतान न करे तब तक लाखों बीड़ी मजदूरों की हालत दयनीय ही रहेगी। इसके अलावा ये मजदूर जिनकी आयु 50 वर्ष हो गयी है उन्हें 250 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जानी चाहिए। असंगठित बीड़ी मजदूरों के लिए एक निगम की स्थापना की जानी चाहिए। जो मजदूर सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पूरी ग्रेच्युटि नहीं मिलती है। उन्हें जिस ग्रेच्युटि की राशि का भुगतान किया जाता है उसमें काफी कमी की गयी है। अतः ग्रेच्युटि अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है। सरकार को बीड़ी मजदूरों के लिए 150 रुपये चिकित्सा भत्ते के रूप में देने की बात पर विचार करना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन मांगों पर तत्काल विचार करे।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूँ। यह मुद्दा केरल के उत्तरी जिलों में मलयालम कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रसारण सुविधाओं की कमी के

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बारे में है। आज पालकाड, कोजीकोड, कन्नुर, वायनाड आदि के लोग केवल राष्ट्रीय कार्यक्रम देख पाते हैं और मलयालम कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं। यह कहा गया कि चैनल उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अब आप्टिकल फाईबर केबल और माईक्रोवेवलिंक के पूर्ण हो जाने से चैनल काम करने लगे हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार पालकाड और उत्तरी केरल के अन्य जिलों के लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल मोती बाग, आर.के. पुरम, नेताजी नगर, लोदी रोड, किदवई नगर और लक्ष्मी बाई नगर इत्यादि जगहों में रहने वाले लगभग 25 कालोनियों के लोगों ने मुझ से आकर कहा है कि उन्होंने अपने घरों के बाहर जो 20-25 साल से खोखे बनाये थे, उनको गिराया जा रहा है। जब वर्षा आती है तो अपने स्कूटर और चारपाई अन्दर रखने के लिये उन्होंने ये खोखे बनाये थे लेकिन एस्टेट आफिस वालों ने एक मुहिम जारी की हुई है। वह उनके सारे खोखे तोड़ रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के अन्दर बहुत भारी असंतोष है। एमरजेंसी के दिनों में भी यह खोखे तोड़े नहीं गये थे। वे कमरे नहीं हैं। गरीब सरकारी कर्मचारियों ने अपना सामान रखने के लिये, बिस्तर व चारपाई रखने के लिये उनको बनाया था। इनको गिराने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर इसके बदले में उनसे किराया ले लिया जाये तो अच्छा होगा लेकिन उनको किसी भी कीमत में गिराया नहीं जाना चाहिये।

श्री शिव शरण वर्मा (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर में ब्लाक मंडारीऊरा, जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पीठापुर में 6 मई, 1992 तारीख को साढ़े चार बजे एक भयंकर अग्निकांड हुआ। इस अग्निकांड में 33 घर जल गये। इसमें से 23 घर हरिजनों, दो घर कहारों और आठ घर गड़रियों, पालों के हैं। वे सब निर्धन और भूमिहीन हैं। उनका सारा सामान कपड़े, बर्तन, जेवरात और खाद्यान्न खत्म हो गया। इस अग्निकांड में उनके बच्चे पेड़ों के नीचे इनके बच्चे रह रहे हैं। 8 घंटे के बाद जिला हैडक्वार्टर से वहां दमकल पहुंच पायी है। अभी तक मौके पर केवल तहसीलदार ही पहुंचे हैं और केवल 9000 रुपया उन्होंने सहायतार्थ लोगों में बांटा है। मैंने मौके पर देखा है, इस अग्निकाण्ड में जो अनुमान लगाया गया है उसमें 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। वहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और कांधरपुर से लेकर पीथापुर तक जाने के लिए रास्ते का कोई साधन नहीं है। इस गांव का विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है और जिला हैडक्वार्टर तक समाचार पहुंचाने में 5 घण्टे का समय लगता है।

मेरा अनुरोध है कि इस गांव के हर व्यक्ति को 10 हजार रुपये तात्कालिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि वह कुछ खरीद सकें, अपने बच्चों के रहने की व्यवस्था कर सकें। उनके बच्चों के शरीर पर जो कपड़े पहने हैं, वही वस्त्र उनके पास है। वहां जानवर बिना चारे के मर रहे हैं इसलिए वहां चारे का तत्काल इन्तजाम किया जाय।

मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री राहत कोष से इस गांव की भरपूर सहायता की जाय। यह हरिजनों का मामला है। उनके मकानों का निर्माण उ.प्र. सरकार के राहत कोष से किया जाये वह भूमिहीन लघु कृषक हैं और उन्हें किसी का कोई सहारा नहीं है ....

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

एक माननीय सदस्य : इसमें पशु भी मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी इसका समर्थन करते हैं।

श्री शिव शरण वर्मा : इसमें जानवर भी मर गये और आबादी के पेड़ वह जल गये हैं। यह बहुत ही वीभत्स घटना घटी है इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर युवकों के बीच में मादक द्रव्यों का सेवन काफी बढ़ा है, जो कि वाकई में चिन्तनीय विषय है।

हमारे यहां मध्य प्रदेश में अफीम उगाई जाती है और लगभग एक लाख क्विंटल जो पॉपी हस्क पैदा होता है, चूंकि अफीम की अब रिफाइण्ड फोर्म में, ब्राउन शुगर और स्मैक की मांग बढ़ गई है इसलिए डोडा चोरी, जो कि जला दिया जाता था, आज उसकी कीमत 10 हजार से 30 हजार रुपये क्विंटल पंजाब और राजस्थान में हो चुकी है। एक लाख क्विंटल डोडा चोरी वहां पैदा होता है, उसका लाइसेंस मध्य प्रदेश शासन देता है लेकिन लाइसेंस इश्यू करने में भेदभाव किया जा रहा है। उसमें लाइसेंस फीस एक वर्ष में व्यापारियों की एक हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई लेकिन दूसरी तरफ सेल्स टैक्स 12 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट कर दिया गया। इस कारण से छोटे व्यापारी तो उस व्यापार से अलग हो गये हैं। कुछ बड़े व्यापारियों के समूह बनाकर, एक कार्टेल बनाकर पूरे का पूरा जो डोडा चोरी का उत्पादन है, उसकी तस्करी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, यदि इन लोगों को मौका दिया गया तो एक वर्ष में ये लोग 100 करोड़ रुपये का मुनाफा कमायेंगे, तस्करों का जो एक समूह वहां पर है, उसको लाभ पहुंचेगा। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि जो बड़े पैमाने पर डोडा चोरी

6—1 LSS/ND/93

की, पॉपी हस्क की जो तस्करी आज इस देश में चल रही है, जिसकी वजह से हजारों परिवारों को नुकसान हो रहा है, इसपर नियंत्रण करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को कानून बनाना चाहिए, राज्य शासन से लाइसेंस देने के अधिकार को लेकर अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि अवैध तस्कर व्यापार पर रोक लगाई जा सके।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है लेकिन अफीम के बारे में एक पॉलिसी बननी चाहिए और मैंने बार-बार कहा है कि उसके बारे में ऐसी पॉलिसी बने, जिसमें किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा, आप जरा आराम से बैठिये। बार-बार आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं?

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अफीम की सर्वाधिक पैदावार मेरी कांस्टट्वेंसी में ही है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने अपने दायरे में ही काम किया है। उन्होंने जो कुछ लाइसेंसिंग के लिए किया है, वह एक अलग विषय है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई—दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुम्बई में बंद मिलों का मामला बार-बार इस सदन में उठा चुका हूं। एक ओर तो सरकार बंद कपड़ा मिलों को खोलने में असमर्थ रही है और दूसरी ओर कुछ अन्य मिलों को भी बन्द करने जा रही है। इस तरह से एनटीसी—नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन—की जो मिलें हैं, उनके बन्द हो जाने से मिल मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। अभी ये मिलें बन्द हो जाने से 25 हजार से ज्यादा मिल-मजदूर बेकार हो जायेंगे। एनटीसी ने कुछ मिलों की भूमि निजी व्यक्तियों को बेचने के लिए टैंडर मांगे। वे टैंडर 20 अप्रैल, 1992 को नौ बजे खुलने वाले थे, लेकिन वहां के मिल मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने इसका विरोध किया। कार्यालय में घेराव किया और इस वजह से टैंडर खुल नहीं सका। इस संबंध में मैंने कपड़ा मंत्री जी से एक सवाल पूछा था, सदन के इसी सत्र में, क्या आप उस भूमि को बेचने वाले हैं? उन्होंने कहा—हम मिल की भूमि को बेचने के लिए नहीं देंगे। लेकिन उस मिल की भूमि को बेचने जा रहे हैं। एनटीसी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

होनी चाहिए और उसकी सीबीआई के जरिए जांच होनी चाहिए, जैसे आरसीएफ के अधिकारियों की हो रही है। मैंने रेलवे में चोरी का मामला उठाया था, उसकी भी सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है और दो करोड़ रुपए की चोरी को रेलवे मंत्री जी मान लिया है। एनटीसी के जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर, टैक्नीकल डायरेक्टर (सेल्स), परचेज डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर और अन्य जो अधिकारी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। कारण यह कि मिल को चलाने के लिए वे माल मंगाते हैं, वह लोअर-क्वालिटी का माल होता है। मशीनों के जो स्पेयर पार्ट्स मंगाए जाते हैं, वे भी लो-क्वालिटी के मंगाते हैं। इस कारण से मशीनें चल नहीं पाती हैं। यह भी हो रहा है, एक बोगस पार्टी के नाम पर टेंडर भर दिए जाते हैं और एक ही पार्टी को टेंडर दिया जाता है। अलग-अलग नामों से वे टेंडर भरते हैं। ठेकेदार और अधिकारी मिले-जुले रहते हैं। उत्पादित माल को ये मिले-जुले अधिकारी कम भाव पर बेचते हैं। सेना, दल, पुलिस में और अस्पताल में जो कपड़ा लिया जाता है, वह सब्लिक एजेंट द्वारा लिया जाता है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी मशीनें स्क्रेप में बेचते हैं और ये सभी मशीनें भिवण्डी और अहमदाबाद में, मुम्बई के बाहर, अच्छी चलती हैं। मेरी आपसे विनती है कि हर महीने एनटीसी मिल को 25 लाख रुपए का एनटीसी मिल को घाटा हो रहा है। इसके लिए एन्क्वायरी होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। कपड़ा मंत्री जी की तरफ से यह आना चाहिए कि इस मिल को बेचने के लिए नहीं देंगे। एनटीसी मिल को बन्द नहीं होने देंगे।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री हरराम मोल्लाह (उड़ीसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री और सरकार प्रति दिन घोषणा करते हैं कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने के मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे जायेंगे क्योंकि रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए बी.आई.एफ.आर. रामबाण का कार्य करता है। इस तरह की रुग्ण इकाइयों के कई मामले बी.आई.एफ.आर. के पास भेजे गये लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बी.आई.एफ.आर. में सदस्यों के कुछ स्थान काफी समय से खाली पड़े हैं। दो वर्तमान सदस्य जल्दी ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन पदों को भरने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं। परिणामस्वरूप बी.आई.एफ.आर. बोर्ड सदस्यों की कमी के कारण सैकड़ों मामलों को नहीं सुन सकती है। जब बी.आई.एफ.आर. स्वयं बीमार है तो यह रुग्ण इकाइयों की देखभाल कैसे कर पायेगी? यदि ये मामले बिना सुनवाई के महीनों पड़े रहेंगे तो इन रुग्ण इकाइयों को पुनः कैसे चालू किया जायेगा?

दूसरी बात यह है कि, महोदय, इस निकाय के पास अधिक शक्तियां नहीं हैं। इसके निर्णयों की कौन परवाह करता है? इसकी कई सिफारिशों का वित्तीय संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जा सकता है। ऐसा एक उदाहरण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में धमोरिया जूट मिल का

है। यह कई वर्षों तक बन्द रही और 4500 मजदूर रोजगार विहीन हो गये। इसको पुनः चालू करने का मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया और कई बार विचार विमर्श करने के बाद एक स्वीकार्य पैकेज को अन्तिम रूप दिया गया तथा बी.आई. एफ.आर. ने कनोरिया जूट मिल को पुनः चालू करने की सिफारिश की। मजदूरों, नये प्रबन्धन मंडल, बैंक और वित्तीय संस्थाओं सहित सभी संबद्ध पक्ष उपस्थित थे और उन्होंने इसके निबन्धन स्वीकार किये। लेकिन कुछ वर्षों के लिए मजदूरों को कम मजदूरी स्वीकार करके नुकसान उठाने के लिए मजबूर किया गया। और बी.आई.एफ.आर. ने किसी भी तरह से इस पैकेज को स्वीकार किया। इसने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड को निर्देश दिये कि एक माह के अन्दर पैसा दें। जूट मिलों को पुनः चालू किया गया और मजदूर अपनी पूरी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इकाई ठीक चले। वे पिछले 14 या 15 माह से कम मजदूरी ले रहे हैं। लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। मजदूरों की स्थिति गंभीर है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड ने पैसा नहीं दिया तो इकाई पुनः बन्द हो जायेगी। भारतीय औद्योगिक वित्त नियम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड को तत्काल पैसा जारी करना चाहिए। यह बहुत गंभीर स्थिति है।

वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय को इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि समय पर पैसा मिले और कारखाना बन्द न हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में पहल करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्दूभाई देशमुख (भड़ौच) : अध्यक्ष जी, हमारा आदिवासी जो जंगल में जन्म लेता है, जंगल में जवान होता है और जंगल में ही मर जाता है उन प्रकृति पुत्रों के साथ गुजरात सरकार का रवैया ठीक नहीं है, गुजरात सरकार उनके साथ ठीक से पेश नहीं आ रही है। गुजरात में वन विभाग की ओर से आदिवासियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। अभी तक कितने ही आदिवासी मारे गए हैं। अध्यक्ष जी, गुजरात में वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई है फिर भी गुजरात में 36 करोड़ का जंगल गैर कानूनी तौर पर कट चुका है और आज तक सरकार ने किसी को पकड़ा नहीं है। हमारे आदिवासी जो पेट भरने के लिए जंगल में जाकर बांस काटते हैं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से यह सरकार पेश आ रही है। हमारे आदिवासी जब मरते हैं तो उन्हें हजार, दो हजार रुपए का मुआवजा दिया जाता है और अगर कोई इंसान अकस्मात मरता है या जहरीली शराब पीने से मरता है तो गुजरात सरकार घर जाकर 20-25 हजार रुपए देती है लेकिन जब हमारा आदिवासी मरता है तो उन्हें हजार, दो हजार रुपए देकर छोड़ दिया जाता है। अध्यक्ष जी, ऐसे हादसे गुजरात में दिन-प्रति-दिन बढ़ रहे हैं।

गुजरात में आज अकाल है, पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है। हमारे आदिवासी लोग बहुत जंगलों में भटकते हैं, पानी की बूंद के लिए और कई जगह तो आदिवासी गन्दा पानी, बदबू से भरा हुआ पानी भी पीते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है और भारत सरकार से अनुरोध है कि हमारे आदिवासियों को ठीक तरह से मुआवजा दिया जाए और पानी की समस्या को तुरंत हल किया जाए।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : अध्यक्ष जी, हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है वह कोल का खदान ऐरिया है और वहां जमीन का पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है, उस पूरे ऐरिया में पीने का पानी नहीं मिलता है यह समस्या है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पीने का पानी देने के लिए उस जगह बहुत से, एक-एक गांव में 4-5 कुएं खोदा है और ट्यूबवेल भी लगाया है लेकिन इसमें भी पानी सूख जाने के कारण लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस इलाके में पानी देने के लिए रानीगंज कोल फील्ड वाटर सप्लाई स्कीम एक तैयार की है लेकिन कोल इंडिया इस स्कीम को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी जगह आपत्ति कर रही है। ऊपर पानी का टैंक बनाया नहीं जाता है और जमीन के नीचे पाइपलाइन ले जाने के लिए व्यवस्था है लेकिन कोल इंडिया कहता है कि इस इलाके में टैंक और पाइपलाइन नहीं बन सकता है क्योंकि यह सबसिडेंस ऐरिया है और इस कारण से यहां नहीं बन सकता है और यह भी बोलते हैं कि यह फर्जी कोल है इसलिए भी यहां नहीं बन सकता है तो कैसे उसको बनाया जाए। इसलिए इसका खर्चा जो पांच करोड़ रु० से 20 करोड़ और अभी सौ करोड़ आ गया है, इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र पूरा पैसा दे और यह भी मेरा निवेदन है कि इसमें तीन स्टेप्स लेने चाहिए—इमर्जेंसी स्टेप, लोंग टर्म एण्ड शार्ट टर्म, यह तीन स्टेप्स लें और पश्चिम बंगाल सरकार इस ऐरिया में पूरा पानी दे सके इसके लिए केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को पूरा पैसा दे ताकि वह पूरा पानी दे सके।

श्री सुनिल दत्त (मुम्बई-उत्तर-पश्चिम) : आज इस सत्र का आखिरी दिन है और मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने यह सारा सत्र बड़ी अच्छी खूबसूरती से निभाया और बाकी जो अब थोड़े से घंटे रह गये हैं उसको भी आप निभा लेंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि 11 दिन हो गए हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो 750 का स्टाफ है वहां बोर्ड जो पालिसी अख्तियार किए हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ही पेसेंजर्स हैं। आजकल छुट्टियों के दिन भी हैं और माता-पिता अपने बच्चों को छुट्टियों में घुमाने ले जा रहे हैं।

1·00 म० प०

फ्लाइटस हमेशा डिले हो रही हैं। उसके साथ-साथ हमारी सरकार का चार-पांच करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले मैंडिंग का टाइम नहीं देते

और हवाईजहाज आसमान पर 15-20 मिनट तक घूमता रहता है कई बार घण्टों पैसेंजर्स को वेट करना पड़ता है। पैसेंजर्स हवाईजहाज में चले जाते हैं उसके बावजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले उनको टेक-आफ करने के लिए ओ.के. नहीं देते हैं। सरकार इसको देखें।

ट्रैफिक कंट्रोल के लोगों की डिमाण्ड लॉजिकल है। मेरा ख्याल है अब दोनों बैठेंगे तो उसका फैसला हो सकता है। इसके साथ ही, मैं यह बता देना चाहता हूं कि इण्डो तिब्बितन बार्डर पुलिस के तीन जवान समिटियर में 29000 फीट माउंट ऐवरेस्ट पर पहुंचे हैं। उन्होंने 29 हजार फीट के ऊपर माउंट एवरेस्ट पर गंगा जल छिड़का। मैं चाहता था कि गंगा जल के साथ आबेज़मज़म भी मिला होता तो सैक्यूलेरिज्म और नैशनल इंटीग्रेशन की एक मिसाल कायम हो जाती। मैं उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं, आपके जरिए और सभी माननीय सदस्यों के जरिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ हम सब लोग उस समिटियर का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान जम्मू काश्मीर से जो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कर्मचारी माइग्रेट हो कर देश के दूसरे हिस्सों में आए हैं, उनकी दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। बार-बार विरोधीपक्ष के नेता श्री आडवाणी और मैंने सरकार को पत्र लिखे। लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं तीन प्वाइंटस, शार्ट में, आपके सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"एच.एम.टी. घड़ी कारखाने में आये कर्मचारियों को अन्य इकाइयों में समा-योजन के दौरान दो ग्रेड नीचे किया गया।

दूसरे, इस माइग्रेशन काल में 350 एच.एम.टी. कर्मचारियों को वेतन का केवल 75 प्रतिशत ही भुगतान किया गया।

तीसरे, अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों को उचित ग्रेड, वेतन और अन्य लाभ दिये गये लेकिन कम्पनी के मजदूर वर्ग के साथ भेदभाव बर्ता गया।"

[हिन्दी]

डिप्टी स्पीकर साहब से भी उनका एक डैपूटेशन पूर्व में मिला था। उनको गैस कनैक्शन नहीं मिल रहा, उनके राशन-कार्ड नहीं बन रहे, वाइफ को कहीं नौकरी मिली है, हजबैंड को कहीं रखा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मानवीय मामला है। सरकार की नाकामयाबी के कारण जम्मू काश्मीर की स्थिति बिगड़ी, वहां से लोग माइग्रेट कर के आए, इसके बावजूद सरकार उनको पूरी सहायता देने में असफल रही है। जो उनका अधिकार था वह भी उनको नहीं दिया जा रहा है। यह उनकी दिलाया जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री तड़ित बरन तोपदार (बैरकपुर) : अध्यक्ष जी, जो बी.आई.एफ.आर. का मामला हन्नान मोल्लाह साहब ने उठाया, मैं अपने को भी इसके साथ जोड़ता हूं। बी.आई.एफ.आर. जो संस्था है, सरकार को जानना चाहिए, हाउस की जानकारी के लिए मेरा जो तुजुर्बा है वह बताता हूं। बी.आई.एफ.आर. में मामला जाने से वे कह देते हैं कि 8 करोड़, 10 करोड़ का जुगाड़ कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो खुलेगा, नहीं कर सकते तो नहीं खुलेगा। यह बात बोलने के लिए कोई भी आदमी काबिल है। इसके लिए बी.आई.एफ.आर. की जरूरत नहीं है। मैं एक मामला आपके सामने लाता हूं। टीटागढ़ पेपर मिल के बारे में बी.आई.एफ.आर. का फैसला आई. एफ. सी. आई. और आई.आर.बी.आई. नहीं मान रहा है, वह उसको मान्यता नहीं दे रहा है, वह सुनता नहीं है, जो एग्रीमेंट हुआ है वह उसके खिलाफ चल रहा है।

[अनुवाद]

"बी.आई.एफ.आर. के गठन के बाद टीटागढ़ पेपर मिल का रजिस्टर संख्या एक है और समझौता होने के पश्चात् कामगारों ने ये निबंधन स्वीकार किये, यूनियन ने निबंधन स्वीकार किये, प्रबंधन मंडल ने निबंधन स्वीकार किये। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने थे। उन्होंने यह किया। लेकिन आई.एफ.सी.आई., केन्द्रीय वित्तीय संस्थान जो कि इस समझौते में सहभागी था, समझौते का पालन नहीं कर रहा है।"

कोई नियम नहीं है; कोई कानून नहीं है और नहीं बी.आई.एफ.आर. ने या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि ऐसा नहीं हो।

[हिन्दी]

मैं एक दूसरा मामला उठाना चाहता था, मंत्री जी से बात हो गई इसलिए नहीं उठायेंगे। फिल्म्स डिवीजन के आफिस में जो इर्रेगुलिटी चल रही है तो इसके लिए सी बी आई की जांच होनी चाहिए खासतौर से बैंगलोर और कलकत्ता में।.... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हम संविधान की धाराओं का सवाल उठाना चाहते हैं। संविधान का उल्लंघन हो रहा है और हम किसी इंडीविजुअल की बात नहीं कह रहे हैं..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, आप मेरे पास आकर इस बारे में चर्चा कर चुके हैं इसलिए मैं उस प्वाइंट को अलाऊ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहां पर नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोशिश न करें। मैंने एक निर्णय लिया है, यह अन्तिम है। आपको नहीं बोलना है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं अन्य सदस्यों को भी इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ और इसीलिए मैं आपको भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी सब बातों को अलाऊ करते हैं लेकिन इस बात को अलाऊ नहीं कर रहे हैं। आप बैठ जाइए। कभी-कभी हम अपनी अथारिटी का इस्तेमाल करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम सत्र के अंतिम दिन आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखा है, बड़ी भारी क्षति हो रही है। वहां कुएं सूख गए हैं। इतना पानी का अभाव हो गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुओं में पानी नहीं है, तालाब सूख गए हैं और ट्यूबवैल्स से भी पानी बहुत कम निकल रहा है। नदियों का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां की हालत बहुत खराब हो गई है। यहां पर हमारे विरोधी दल के नेता हैं जिनकी सरकार वहां पर है, उनको आप आदेश दें कि कम से कम वे इधर ध्यान दें और अभी आगे आने वाली बाढ़ है। बाढ़ के दिनों में सूखा कम होगा और फिर बाढ़ आ जायेगी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न आने वाली बाढ़ के बारे में ही कुछ सोचा है। एक ओर तो पानी का अभाव है और दूसरी ओर आने वाला संकट है और तीसरा सबसे बड़ा संकट उत्तर प्रदेश में पुलिस जुर्म है।

अध्यक्ष महोदय : पीने के पानी का प्रश्न हो चुका है, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उत्तर प्रदेश में पुलिस जुर्म चरम सीमा पर पहुंच गया है और वहां पर विभेद किया जा रहा है। मुसलमानों, अनुसूचित जाति के लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। गाजीपुर के पास मऊ में जब मिनिस्टर पहुंचता है तो वहां पर एम एल ए के परिवार को बुरी तरह से बेइज्जत किया जाता है... (व्यवधान) आप गृह मंत्री जी को निर्देश दें कि कम से कम इस प्रकार का जो अत्याचार हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की खुली साजिश है, वे इसको जरूर देखें और इसको नियंत्रण में करें।........(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय सदस्य ने बिल्कुल असत्य बातें कही हैं।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। बिना वजह क्वेश्चन-आन्सर क्यों चला रहे हैं। जो बात हो गई तो उसको दुबारा रिकार्ड पर क्यों ला रहे हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : हमारी बात रिकार्ड में आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बिना वजह छोटी-छोटी बातों को यहां पर बड़ा नहीं बनाना है।

(व्यवधान)

श्री गुरचरण सिंह गालिब (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको पता है यू. पी. में तराई का इलाका है। उसमें मिलीटंसी बहुत बढ़ गई है। मैं आपको इसका उदाहरण बताना चाहता हूं। वहां पर एक परिवार है पंडित गुरबचन लाल का। क्योंकि उनके लोगों ने जो जनरल सुबेग सिंह थे उनको मारा था इसलिए वे इनके खिलाफ थे और इनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन मिलीटेंट्स ने उसके भाई को उठा लिया, पंडित गुरबचन लाल के लड़के को उठा लिया। उसकी एवज में वहां पर चीमा परिवार है जो काफी अमीर है और उनकी कागज की मिलें हैं, बलदेव सिंह चीमा को उठा लिया। वे लोग पुलिस स्टेशन गये और प्रशासन के पास भी गये और कहा कि हमारा इसमें क्या कसूर है, मिलीटेंट्स हमें भी तंग करते हैं, हमारे लड़के को उठा लिया है। उन्होंने कहा कि इनके लड़के को वापस कर दो, तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं किसने उठाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मिलीटेंट्स ने इनके लड़के को मार दिया तो हमारा क्या बनेगा। तब प्रशासन का जवाब था कि आप लड़के की लाश ले जायें। वही बात हुई, मिलीटेंट्स ने उनके लड़के को मार दिया। अगले दिन बलदेव सिंह चीमा का लड़का मार दिया और उन्होंने डी.आई.जी., डी.जी. और पुलिस प्रशासन को कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा लड़का बचाओ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। स्पेशली यह बात कही कि ऐसा ही होगा सरदारों के साथ अगर यहां पर रहना है तो। यू.पी. की सरकार को कहना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा न हों। क्योंकि वहां पर जो भी जमींदार हैं खासतौर से सिख हैं वे स्वयं मिलीटेंट्स से तंग हैं। वे उनको मारते हैं। उनके लोगों को मारते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यू.पी. की सरकार से दरख्वास्त करें और इस केस की इन्क्वायरी की जाये।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : यह मामला मेरे इलाके का है, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि आप जवाब दें।

श्री बलराज पासी : यह दो गुटों का संघर्ष है, उनमें आपसी दुश्मनी है, यह बहुत पुराना झगड़ा है.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप बैठ जायें। मैं बोल रहा हूं उसको आप समझें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय,.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम बैठकर बात करेंगे। यहां कुछ भी नहीं होगा, मैं उनको बता दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, असम के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीग्राफ और टेलीफोन प्रणालियां बिलकुल भी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं विशेष रूप से बारक घाटी में। छोटे टेलीफोन एक्सचेंज केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं लेकिन वहां ट्रंक कॉल की सुविधा मिलती असंभव है। कई मामलों में स्थानीय पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध कराये गये हैं। लेकिन ये सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से बेकार हैं। यही बात टेलीग्राफ के साथ है यह भी ग्रामीण डाक घरों में टेलीफोन की तरह बेकार है—विशेष रूप से बारक घाटी में। एक तार को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में कम से कम पांच दिन लगते हैं क्योंकि इसे केवल एक साधारण पत्र की तरह ही पहुंचाया जाता है।

अतः मैं संचार मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर तत्काल गौर करें।

श्री सुखेन्दु खां (विष्णुपुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को इस सभा में उठाता हूं।

बांकुरा जिले के अन्तर्गत कोटुलपुर प्रखंड की सितर ग्राम पंचायत के निकट जायरम्भाटी नाम का एक स्थान है। जायरम्भाटी 'श्री श्रीमां शारदा देवी' की पूज्य जन्म भूमि है।

कितनी ही संख्या में पर्यटक देश के विभिन्न भागों से यहां आते हैं। यहां तक कि पूरे वर्ष विदेशी पर्यटक भी इस पूज्य स्थान की यात्रा करते हैं। पर्यटन के आकर्षण के रूप में इसके महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र के लोगों को उस समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब इस क्षेत्र में कोई अपराधिक मामला घट जाता है और इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को कोटुलपुर थाने में अधिकारियों को सूचित करने के लिए जाना पड़ता है जोकि जायरम्भाटी से 15 कि० मी० की दूरी पर है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां तत्काल टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करें ताकि इस क्षेत्र के लोग वहां किसी भी अपराधिक घटना के होने पर पुलिस के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकें। यहां यह बात भी कही जा सकती है कि देशरा-कोलपारा डाक घर जोकि जायरम्भाटी से केवल 4 कि० मी० दूर है—वहां यह सुविधा उपलब्ध है और वहां दूर संचार विभाग को यह सुविधा प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं है।

प्रो० उम्मा रेड्डी वैंकटेश्वरलु (तेनाली) : महोदय यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। दक्षिण मध्य रेलवे मंडल में आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मुड़कुरु रेलवे स्टेशन पर न्यूनतम आधारभूत प्लेटफार्म सुविधाएं भी नहीं हैं। इस स्टेशन पर कोई भी रेलवे प्लेटफार्म नहीं है। रेलगाड़ियों के रुकने के इस सीमित समय में यात्रियों को विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बूढ़े व्यक्तियों को रेलगाड़ी में चढ़ने में बहुत कठिनाई

होती है। ऐसे भी उदाहरण हैं जबकि कई यात्री रेलगाड़ियों में चढ़ते और उतरते वक्त गिर गये और घायल हुए तथा यहां तक कि कइयों की मृत्यु भी हुई।

कई बार इस मुद्दे को जनता द्वारा रेलवे अधिकारियों के समक्ष उठाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने भी इस मामले को माननीय रेल राज्य मंत्री और मंडलीय रेलवे प्रबन्धक बिजयवाड़ा के ध्यान में लाया ताकि वे मोरकुरु रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म के निर्माण पर विचार करें लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक असुविधा के मामले पर गौर करें और वहां तत्काल प्लेटफार्म बनाने की व्यवस्था करें।

श्री के० तुलसिया वाण्डायार (तंजावुर) : महोदय, तंजावुर में पिछले 35 वर्षों से धान, केला और नारियल अनुसंधान केन्द्र है। तन्जावुर दक्षिण का सबसे बड़ा धान उत्पादक केन्द्र है जहां लगभग 14 लाख एकड़ भूमि पर इसकी खेती होती है। इसके बावजूद तन्जावुर में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है जिसकी काफी समय से मांग की जा रही है। सरकार को तंजावुर के लोगों के फायदे के लिए तंजावुर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। देशीय प्रौद्योगिकी और प्रादेशिक समझबूझ से हम अपने देश को अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय रसी दल से मुक्त रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरी कांस्टीट्यून्सी के साथ नदिया जिला की असेम्बली सेगमेंट करीमपुर है और उसके साथ लगा हुआ बंगलादेश का बार्डर है। इस बार्डर एरिया में एक नया सवाल पैदा हो गया है कि वहां पर एक नदी माथाभांगा है लेकिन इस नदी के पूर्वी हिस्से में बंगलादेश की तरफ से भारत का एक गांव जमालपुर है और नदी के पश्चिमी किनारे में भारत के साथ लगा हुआ बंगलादेश का एक गांव चरमेघना है। उस चरमेघना गांव से जो लोग उठकर आये हैं उन्हें मालूम है कि यह बंगलादेश का हिस्सा है लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि जमालपुर भारत का एक हिस्सा है तो इस प्रकार दो गांव एक दूसरे देश के साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं कि चरमेघना के जितने लोग हैं वे अपना हाट-बाजार और कारोबार भारत में करते हैं क्योंकि उनके ऊपर यह इम्प्रेशन है कि यह भारत का हिस्सा है। फिलहाल उस एरिया में तनाव पैदा हो गया है क्योंकि अपने देश के लोगों ने मांग की थी कि वहां सड़क बने। अब यह सड़क बनी है तो लोगों को महसूस हो रहा है कि यह बंगलादेश का हिस्सा है और उनके दिल के अन्दर यह बात पैदा हो गयी है कि सड़क होने के बाद से बंगलादेश के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको उधर जाना पड़ेगा और भारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जमालपुर गांव माथाभाड़ा नदी के पूर्वी पार में होने से यह बंगलादेश के साथ जुड़ा हुआ है, उनके यहां आने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि जो आपकी सड़क बन रही है, आपकी ओर से यह बहुत मुश्किल है कि बंगलादेश का जो एरिया है, चरमेघना के पास सड़क बनायें, यह नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में बैठकर बातचीत करें तो मैं सुझाव दूंगा कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। मैं इस समय कोई सुझाव नहीं देना चाहता क्योंकि इसका और मतलब निकल सकता है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमलापुरम) : महोदय मैं सार्वजनिक महत्व के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं। गोदावरी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 350 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट बनाई गई थी और सरकार द्वारा पत्र संख्या 1377-सिचाई-III-I/81-19 दिनांक 28-8-1985 के माध्यम से केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को भेजी गई थी। इसके बाद केन्द्रीय जल आयोग ने अपने पत्र संख्या 2/37-84 पी० पी० ओ०/1524 दिनांक 2-11-1988 में इस अनुमानित लागत पर कुछ टिप्पणियां की गयी थी और ये सरकार के ज्ञापन संख्या 1852/सिंचाई-II-I/87-10 दिनांक 24-11-88 द्वारा प्रेषित किए गए तथा इसमें हिदायतें थीं कि केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर गौर करते हुए लागत को संशोधित करके गोदावरी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजें।

केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर गौर करते हुए कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये का अनुमान और 5 प्रतिशत ब्याज पर 10·99 : 1 के लागत अनुपात के लाभ तथा दस प्रतिशत ब्याज पर 6·898 : 1 के लागत अनुपात से लाभ के साथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभार सहित 226 करोड़ रुपये के अनुमान का सामान्य निष्कर्ष सरकार को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक जी डी एम/आधुनिकीकरण/I दिनांक 21-7-1990 के माध्यम से भेजे गए और सरकार ने इसे पत्र क्रमांक 2050/सिंचाई-II/89-9 दिनांक 23-7-1990 के माध्यम से केन्द्रीय जल आयोग को भेज दिया।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सी ई/जी डी एस/टी एस-I/एई-12/200 दिनांक 26-10-1990 के माध्यम से उपरोक्त परियोजना की विस्तृत योजनाएं तथा अनुमान सरकार को दिए गए। सरकार ने इन्हें केन्द्रीय जल आयोग को भेज दिया है और उत्तर का इन्तजार किया जा रहा है।

जल उपयोग के बारे में इसमें प्रस्ताव है कि नालियों से पुनः चालित करके छह टी एम सी जल का उपयोग करे। इसके अलावा कुछ चुने हुए फैलाव को सीमित करके

6 टी एम सी जल की बचत होगी। आधुनिकीकरण के बाद 20,000 एकड़ अतिरिक्त कटौती होगी। इसके अलावा फसल क्षेत्र जो इस समय 15.35 लाख एकड़ है 23.65 लाख एकड़ बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें और मामले पर तीव्र कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाएं और आवश्यक धनराशी तत्काल जारी की जाए।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राम (पलामू) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि सारे राष्ट्र में कहीं न कहीं पेयजल की समस्या है फिर भी बिहार के पलामू जिले में पेयजल की अत्यंत गंभीर समस्या है। वह पहाड़ी इलाका है और वहां शहरों में भी पानी दुर्लभ है। वहां ट्यूबवेल वगैरह खराब होने पर सरकार की ओर से उसे ठीक करने की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि विशेष रूप से बिहार के पलामू जिले की पेयजल की समस्या का समाधान करें, यही मेरी आपसे मांग है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी राजस्थान में सूखे की स्थिति बड़ी गंभीर है। श्रीमन्, वहां पर कई इलाकों में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि न तो कुओं में पेयजल मिलता है और न किसी प्रकार के ट्यूबवेल हैं, न अन्य प्रकार के साधन हैं। इसी प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के द्वारा बाड़मेर में प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके पश्चात् 10 किलो के स्थान पर 2 किलो या डेढ़ किलो या तीन किलो धान दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में रहने वाले ग्रामीण जो सुबह से शाम तक वहां मजदूरी करते हैं, उनको एक माह में डेढ़ किलो धान मिले, यह कितना बड़ा अन्याय है! मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इसके लिए राजस्थान सरकार को धान मुहैया कराए ताकि कम से कम 10 किलो नहीं तो 5 किलो धान प्राप्त हो सके। अभी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए चारे और अन्य साधनों को मुहैया कराने के लिए प्राप्त राशि राजस्थान सरकार को अनुदान में दी जाए। राजस्थान सरकार बड़ी होशियारी से इस समस्या का हल निकालने में लगी हुई है लेकिन साधनों के अभाव में जहां पर रेगिस्तान है और हमेशा से वहां पर पानी का और खाने का अभाव रहा है, वर्षा का अभाव लगा है, वहां पर केन्द्रीय सरकार के विशेष ध्यान की अधिक आवश्यकता है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी धान का उचित प्रबंध करवाएं ताकि वहां कम से कम 35 किलो धान तो मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम हर संभव सहायता देंगे, लेकिन कम से कम पानी तो मुहैया कराएं, यह मेरी मांग है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं इनका समर्थन करता हूं क्योंकि मैं स्वयं दो दिन वहां था, पिछली 9 और 10 तारीख को वहां होकर आया हूं। सूखे

की भीषण स्थिति है। वहां तो लोग कहते हैं कि भगवान वही है, जो पानी दे। जो पानी दे देगा, वही उनके लिए भगवान है। इसलिये मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं।

इसके साथ साथ, एक दूसरी चीज है, अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके सम्बन्ध में मैं लगातार पिछले 10 दिनों से नोटिस देता आ रहा हूं — वह है कि जब हम लोग सरकार में थे तो हमने बोडो समस्या के हल के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दे दी है। हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करेंगे कि 31 मार्च को जब उस कमेटी ने सरकार के पास, होम मिनिस्ट्री को वह रिपोर्ट दे दी है तो उस रिपोर्ट को आप सदन में सभापटल पर रखने का काम करें। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० इन्द्रकरण रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र आदिलाबाद में कोयला क्षेत्र में दो लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। पहले स्थानीय निकायों की कोयला खानों से कोयला उपकर के रूप में प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक मिलते थे। यह राशी ग्राम पंचायतों, मंडलों और जिला परिषद को क्रमशः 18:22:60 के अनुपात में दी जाती है। इस राशि का उपयोग कोयला क्षेत्र में पेयजल के लिए नलकूप लगाने, बच्चों को शिक्षा हेतु स्कूल भवन, सड़कों, संचार, निकासी व्यवस्था और बिजली के लिए किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों से हमारे स्थानीय निकायों के लिए सिंगरेनी कोयला खान अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार से कोयला उपकर नहीं मिल रहा। इस क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं है और मल व्यवस्था भी नहीं है। अधिकांश श्रमिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और बहुत पीड़ित हैं क्योंकि पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा और वे सभी तरह की बिमारियों से ग्रस्त हैं। यह एक गम्भीर समस्या है। श्रमिक पहले ही हतोत्साहित हैं और आन्दोलन कर रहे हैं तथा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री से आग्रह करता हूं कि सरकार पहल करे और कम से कम 3 करोड़ रुपये सिंगरेनी कोयला क्षेत्र के लिए पेयजल, सड़क सम्पर्क, निकासी और बिजली उपलब्ध कराने हेतु दे। मैं माननीय कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह निजी रूप में इस पर गौर करें और कोयला क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को जिनमें अधिकांश आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायत, मंडल और जिला परिषद के लिए समुचित धनराशि जारी करने हेतु आवश्यक निदेश जारी करें। स्थिति के और बिगड़ने से पूर्व माननीय कोयला

मंत्री हस्तक्षेप करें और स्थानीय निकायों के लिए समुचित धनराशी उपलब्ध कराएं क्योंकि अधिक पहले ही आन्दोलन कर रहे हैं धमकी दे रहे हैं कि कौनसा क्षेत्र से कोनसा नहीं से जाने देंगे।

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव (लोहरदगा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बिहार के बीशनपुर प्रखण्ड में 1966 से लगातार आज तक फौज की चांदमारी का अभ्यास चलता आ रहा है, जिससे लगभग 15-20 गांव काफी प्रभावित हैं। उन 15-20 गांवों में आदिवासी लोग रहते हैं, जो प्रिमिटिव ट्राइब के हैं, असुर लोग रहते हैं। जब से, 1966 से, उस क्षेत्र में चांद-मारी प्रारम्भ हुई तो उन लोगों को क्षतिपूर्ति के नाम पर, प्रत्येक बालिग व्यक्ति को डेढ़ रुपया और नाबालिग व्यक्ति को 75 पैसे, गवर्नमेंट ने देना शुरू किया। आज आप समझते हैं कि मजदूरी कहां से कहां पहुंच गयी है, कितनी बढ़ गयी है लेकिन आज भी उस क्षेत्र में वही स्थिति बनी हुई है—जो बालिग लोग हैं उन्हें एक रुपया पचास पैसे और जो नाबालिग हैं उसे 75 पैसे की दर से मजदूरी दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, वे असुर लोग, उस क्षेत्र के मूल निवासी हैं, बाशिन्दे हैं। दिन भर अपना काम धाम छोड़कर वे लोग उस क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं और शाम को फिर वहीं लौट आते हैं। आज भी इतनी महंगाई के जमाने में उन्हें वही मजदूरी के नाम पर, क्षतिपूर्ति सिर्फ डेढ़ रुपये या 75 पैसे दी जाती है, जो बिल्कुल नाकाफी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या की ओर ध्यान दे और उन लोगों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा को बढ़ाये जाने की व्यवस्था करें।

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, पिछले दिनों 9 और 10 तारीख को राष्ट्रीय मोर्चा और वाम-मोर्चे की तरफ से हम कुछ लोग त्रिपुरा गये थे और उस जगह पर भी गये जिस जगह पर खाने के बिना और पानी के बिना करीब 142 की संख्या में लोग अब तक मर चुके हैं। इसलिये भाई मोहन सिंह की बात का समर्थन करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि वहां अभी तक सरकार की ओर से जो कुछ करना चाहिये था, मैं समझता हूं कि कुछ नहीं किया गया है। वहां अनेक डाक्टरों से हम लोगों ने बात की। चीफ मैडिकल आफिसर ने हमें बताया कि इतने लोगों के मरने का एकमात्र कारण है कि वहां पानी शुद्ध नहीं मिलता है और खाना भी नहीं मिलता है।

अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही इलाका है जहां के लोग चावल और गेहूं नहीं खाते हैं। उन्हें चावल और गेहूं नहीं मिलते हैं। वे लोग वहां जंगली आलू खाते हैं। जो आलू बाजार में मिलता है, वह नहीं, वहां का जंगली आलू खाते हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वे चावल खरीद सकें। यह स्थिति है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उस इलाके में दवा का प्रबन्ध किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में पीने का पानी भी नहीं है। पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। इसके साथ-साथ उन्हें वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाए। इसके साथ मेरा यह निवेदन भी है कि फूड फोर वर्क का प्रोग्राम चलाया जाए जिससे उस इलाके के लोग भूख से न मरें। मैं समझता हूं कि भारत में यही एक मात्र ऐसा इलाका है जहां लोग भूख से मरते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार तत्काल ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोग भूख से न मरें। इतना कहकर मैं आपको बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : कर्नाटक में तुमकुर, कोलार, बंगलौर (ग्रामीण), बीदर और बेल्लारी जिलों में पेयजल को विषम समस्या है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समस्या के समाधान हेतु पहल करे।

बिजली की पूर्ति भी बहुत खराब है और बिजली उत्पादन की कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। इन परियोजनाओं को मंजूरी दी जाए और इनके शीघ्रता को जाए।

तीसरे ड्रिप सिंचाई के लिए हमने 6 करोड़ रुपये की मांग की है लेकिन केवल 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। बारिश नहीं हुई है और व्यापक सूखा है और लोग पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि ड्रिप सिंचाई के लिए मांगी गई राशि तुरन्त दी जाए।

बाढ़ राहत के लिए कुछ राशि का वायदा किया गया था। लेकिन यह राशि पूर्णतः जारी नहीं की गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि पूरी राशि जारी की जाए।

अन्त में, संचार मंत्री यहां मौजूद हैं और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि वह तुमकुर में सी-डॉट टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सहमत थे। लेकिन इस पर कार्य बहुत धीमा चल रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तेजी लाएं।

अन्त में कर्नाटक में 290 जनगणना कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं क्योंकि उनको छंटनी की जा रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें नौकरी में रखने की अनुमति दी जाए।

श्री रूप चन्द मुरमु (झाड़ग्राम) : महोदय, झाड़ग्राम रेलवे स्टेशन की निकट एक स्थान पर दक्षिण पूर्वी रेलवे पर हावड़ा—बम्बई रेलवे लाइन को पार करने वाली झाड़ग्राम-बहीचरी सड़क पर तत्काल एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता है क्योंकि सैकड़ों मोटर गाड़ियां जैसे ट्रक, बस, कार, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा आदि और साईकिल तथा गाड़ियां इस जंक्शन पर से रोजाना गुजरते हैं। इसके अलावा इस स्थान से रात दिन हजारों लोग

पैदल गुजरते हैं। लेकिन ऊपरी पुल के न होने से रेलवे फाटक ग्रामीण लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो गया है और ये अधिकांशत: आदिवासी हैं। हर वर्ष औसतन आठ से दस लोग मारे जाते हैं। वे रेलगाड़ियों द्वारा कुचले जाते हैं। अनेक पशु हर वर्ष चलती गाड़ियों के शिकार बन जाते हैं।

इन परिस्थितियों के तहत में केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर तुरन्त ध्यान दें और उपरोक्त जंक्शन पर ऊपरी पुल के निर्माण में तेजी लाएं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय द्वारा अनुसंधान परिषद् के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जाती है, लेकिन आज इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थिति यह बन गई है कि वे अनुसंधान और नये तरीकों की जानकारी कृषकों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह इनकी कोई नीति न होने की वजह से हो रहा है। अत: मेरा निवेदन है कि एक समान नीति सभी प्रदेशों में सन्तुलन से इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना में अपनाया जाए। जहां-जहां इन केन्द्रों की आवश्यकता है, वहां-वहां ये बिना भेदभाव के स्थापित किए जाएं और जहां-जहां इनके कार्यकरण में दोष है, उनकी जांच की जाए।

विशेषकर अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मध्य प्रदेश के जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने जो कुछ क्षेत्रों में केन्द्र कृषि अनुसंधान के लिए स्थापित करने की सिफारिश की है, मैं चाहता हूं उनमें मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर जिलों में भी, स्थापित किए जाएं और एक निश्चित नीति के कार्यक्रम के अनुसार इनके कार्यों को देखा जाए।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा): महोदय, माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह तथा श्री तेजनारायण सिंह ने त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में महामारी और भुखमरी से हुई मौत के संबंध में जो कुछ कहा है उसके पक्ष में मैं केन्द्र सरकार का ध्यान देश भर में सूखे तथा असम में बाढ़ की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। असम में तिनसुकिया जिले में हाल की बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। आगामी दिनों में बाढ़ के खतरे के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ बेकी, मानस और आई नदियों में भू-कटाव से चिंतित हैं। ब्रह्मपुत्र के अलावा इन नदियों से हर वर्ष काफी भू-कटाव होता है। इस भू-कटाव से हजारों एकड़ भूमि नष्ट हो जाती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भू-कटाव रोकने और किसानों को कृषि योग्य भूमि को बचाने

के लिए समुचित उपाय नहीं किए गए हैं। इसलिए भू-कटाव विरोधी और बाढ़ विरोधी उपाय लागू न करने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों में आक्रोश तथा अभाव का कष्ट है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि त्रिपुरा के महामारी और भुखमरी से प्रभावित आदिवासी लोगों तथा देश भर में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत के लिए सहायता देते समय मेरे राज्य में बाढ़ पीड़ितों की मदद भी करे। मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि बेकी, मानस और आई नदियों द्वारा भू-कटाव रोकने के लिए तत्काल पर्याप्त उपाय करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अढ़ाई घंटे के लिए इन अनुरोधों हेतु अनुमति दी है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

1.36 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की बैठकों के विनियम, जो 19 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 42 में प्रकाशित हुए थे तथा इसके अंग्रेजी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र, जो 28 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 550 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा० का० नि० 146, जो 9 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 23 में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा इसके हिन्दी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र, जो 28 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 551 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सा० का० नि० 147, जो 9 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 13 के खंड (2) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा इसके अंग्रेजी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र, जो 28 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 552 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) सा०का०नि० 148, जो 9 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अध्यादेश के खंड (3) के उपखंड (दो) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) सा०का०नि० 692, जो 14 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 का परिनियम 28 बनाया गया है।

(छः) सा०का०नि० 476, जो 24 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 10क के खंड (71) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सात) सा०का०नि० 528, जो 14 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 13(2) के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 608, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के कैरियर एडवांसमेंट आफ टीचर्स के संबंधी अध्यादेश जारी करने के बारे में है।

(नौ) सा०का०नि० 609, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 1 के खंड (5) के उपखंड (चार) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2010/92]

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2011/92]

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 मर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2012/92]

(4) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2013/92]

(6) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षाप्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2014/92]

(8) (एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मोतिलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मोतिलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2015/92]

(10) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2016/92]

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नालोजी, रांची के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नालोजी, रांची के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नालोजी, रांची के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2017/92]

(14) दि मेनटेंड इंस्टिट्यूशन्स आफ यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2018/92]

(16) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2019/92]

(18) पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राजसहायता देने पर व्यय की गई धनराशि के बारे में श्री पी० पी० कालियापेरूमल द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6237 के 9 सितम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2020/92]

(19) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 44 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पांडिचेरी विश्वविद्यालय सामान्य भविष्य निधि तथा पेंशन तथा उपदान योजना, जो 20 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2021/92]

(20) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) संशोधन नियम, 1990 जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 617 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2022/92]

(21) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2023/92]

(23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी दिल्ली संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी दिल्ली संस्थान, नई दिल्ली के 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी दिल्ली संस्थान, नई दिल्ली के 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2024/92]

वायु सेना (संशोधन) नियम, 1990 तथा रक्षा उत्पादन और सप्लाई विभाग तथा भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के बीच हुए समझौते संबंधी पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री शरद पवार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 191क के अंतर्गत वायु सेना (संशोधन) नियम, 1990 जो 6 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 5(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2025/92]

(3) रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन और सप्लाई विभाग तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2026/92]

(4) (एक) पंजाब में भारतीय वायु सेना के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में श्री सनत कुमार मंडल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7949 के 24 अप्रैल, 1992 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने; और (दो) उत्तर में

शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2027/92]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्रीमती शीला कौल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2028/92]

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच तथा फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री संतोष मोहन देव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2029/92]

(2) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2030/92]

(3) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2031/92]

(4) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2032/92]

(5) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2033/92]

(6) कुद्रमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2034/92]

(7) धातुकर्मीय तथा इंजीनियरी परामर्शदाता (भारत) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2035/92]

(8) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2036/92]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री कमल नाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) का०आ० 813(अ), जो 2 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो 1 मास की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिक्रमण और यह निदेश देने कि श्री ए० के० भट्टाचार्य, परियोजना निदेशक, गंगा परियोजना निदेशालय केन्द्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संपादित तथा निर्वहन की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, के बारे में है।

(2) का०आ० 814 (अ), जो 2 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2037/92]

भारत अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री बलराम सिंह यादव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारत अल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2038/92]

9—1 LSS/ND/93

(2) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2039/92]

(3) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और खान मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2040/92]

वित्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से मैं अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 396(अ), जो 2 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 12 अप्रैल, 1992 से 21 अप्रैल, 1992 तक की भारत की यात्रा पर आए सर जॉन बार्न, ब्रिटेन के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक तथा दल के 3 सदस्यों को वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2041/92]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रालयों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं 8वीं, 9वीं तथा 10वीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

आठवीं लोक सभा:

(1) विवरण संख्या 29 —— आठवां सत्र, 1987 का भाग 2

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2041/92]

(2) विवरण संख्या 28 —— दसवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2042/92]

(3) विवरण संख्या 23 —— ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2043/92]

(4) विवरण संख्या 20 —— तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2044/92]

(5) विवरण संख्या 17 —— चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2045/92]

(6) विवरण संख्या 13 —— पहला सत्र, 1989 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2046/92]		
(7) विवरण संख्या 14 —— दूसरा सत्र, 1990 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2047/92]		
(8) विवरण संख्या 10 —— तीसरा सत्र, 1990 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2048/92]	नौवीं लोक सभा	
(9) विवरण संख्या 8 —— छठा सत्र, 1990 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2049/92]		
(10) विवरण संख्या 7 —— सातवां सत्र, 1991 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2050/92]		
(11) विवरण संख्या 6 —— पहला सत्र, 1991 (खंड 1 और खंड 2) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2051/92]		
(12) विवरण संख्या 3 —— दूसरा सत्र, 1991 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2052/92]	दसवीं लोक सभा	
(13) विवरण संख्या 1 —— तीसरा सत्र, 1992 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2053/92]		

पाइराइट्स, फोस्फेट और कैमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : डा० चिन्ता मोहन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पाइराइट्स, फोस्फेट्स और कैमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2054/92]

(दो) हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2055/92]

(तीन) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2056/92]

(2) (एक) केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2057/92]

(दो) केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2058/92]

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 6), (1992 का संख्या 7), (1992 का संख्या 9) आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): श्री दलबीर सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 6)—संघ सरकार (सिविल)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2059/92]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 7)—संघ सरकार (डाक तथा दूरसंचार)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2060/92]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 9)—संघ सरकार (रक्षा सेवायें—वायु सेना तथा नौ सेना)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2061/92]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 10)—संघ सरकार (रेल)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2062/92]

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 11)—संघ सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2063/92)]

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 8)—संघ सरकार—रक्षा सेवायें (सेना और आयुध निर्माणी)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2064/92]

(सात) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 13) — संघ सरकार—रक्षा सेवायें—अन्य रैंकों की भर्ती और प्रशिक्षण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2065/92]

(आठ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1992 का संख्या 14)—संघ सरकार—रक्षा सेवायें—आर्मी बेस वर्कशाप।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2066/92]

(2) रेलवे के वर्ष 1990-91 के विनियोग लेखाओं, भाग-एक—समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2067/92]

(3) रेलवे के वर्ष 1990-91 के विनियोग लेखाओं, भाग-दो—विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2068/92]

(4) रेलवे के वर्ष 1990-91 के खण्ड लेखाओं (पूंजीगत विवरण जिसमें ऋण लेखे शामिल हैं सहित), तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2069/92]

1.38 म०प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य प्रचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे वित्त विधेयक, 1992 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 6 मई, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा के उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

1.38½ म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री प्रवीन डेका (मंगलदोई) : महोदय, मैं 5 मई, 1992 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.39 म०प०

याचिकाएं

(एक) बिहार राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में बिहार के सातवें समुदाय को सम्मिलित करने के बारे में

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव (लोहरदगा) : महोदय, मैं बिहार राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में बिहार के सातवें समुदाय को सम्मिलित करने के बारे में श्री कामेश्वर चौपाल, 8 वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना (बिहार) द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(दो) बंगलादेश के प्रवासियों, जो अब बंगाली कालोनी, हस्तिनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, के पुनर्वास के बारे में

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं बंगलादेश के श्री भारतेन्दु मल्लिक और अन्य प्रवासियों, जो अब बंगाली कालोनी, हस्तिनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, के पुनर्वास के बारे में उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

1.40 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डायलिंग सुविधा

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): मैं सदन को उन दो महत्वपूर्ण उपायों के बारे में सूचित करना चाहता हूं कि जो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डायलिंग सुविधा और स्थानीय कालों तथा ट्रंक कालों (मैनुअल तथा उपभोक्ता द्वारा

डायल दोनों) के लिए शुल्क (टैरिफ) के तदनंतर यौक्तिकीकरण की व्यवस्था करने के संबंध में कर रही है ।

2. सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा की तेजी से व्यवस्था करने के लिए उपाय किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज 15,000 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं जबकि वर्ष 1982 में यह संख्या लगभग 8000 थी। 31 मार्च, 1995 तक लगभग 2,20,000 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा से जोड़ने के सरकार के कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा के लिए और अधिक मांग उत्पन्न होगी ।

3. इन विकासात्मक कार्यक्रमों के परिणामतः ग्रामीण समुदाय ने मांग की है कि उन्हें ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान की जाए । ग्रामीण उपभोक्ताओं ने भी एस टी डी सुविधा की मांग करना शुरू कर दी है । सभी ग्रामीण एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा की व्यवस्था करने के लिए समय लगेगा । प्रथमोपाय के रूप में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप डायलिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है इसके साथ ही ग्रुप डायलिंग क्षेत्र और लम्बी दूरी के क्षेत्र के अन्तर्गत कालों के लिए शुल्क वसूल करने के तरीकों का यौक्तिकीकरण करना भी अपेक्षित है ।

4. देश में सभी एक्सचेंजों को राष्ट्रीय एस टी डी के साथ जोड़ने के लिए तकनीकी अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा कम दूरी प्रभारण (चार्जिंग) क्षेत्र की संकल्पना है जिससे अन्य कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के सन्दर्भ में नम्बरिंग और चार्जिंग के लिए अनन्य पहचान बनती है इस प्रकार कम दूरी प्रभारण क्षेत्र संघटन से ग्रामीण क्षेत्रों में एसटीडी सुविधा का तेजी से विस्तार हो पाएगा ।

5. काल प्रभारों (मैनुअल और उपभोक्ता द्वारा डायल दोनों) का निर्धारण करने के लिए मौजूदा प्रभारण योजना के संबंध में प्रत्येक एक्सचेंज से किसी बड़े क्षेत्र में अवस्थित टेलीफोन एक्सचेंजों की एक बड़ी संख्या तक वास्तविक दूरी को मापने की आवश्यकता होती है । इससे न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को एसटीडी सुविधा प्रदान करने में तकनीकी बाधाएं सामने आ जाती हैं, बल्कि दूरसंचार नेटवर्क में अत्यधिक वृद्धि और प्रति वर्ष चालू किए जा रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की बड़ी भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए इनका संचालन करना भी कठिन हो जाता है ।

6. अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि दूरियों को मापने के लिए देश को 321 लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों में बांट दिया जाए जो गौण स्विचन क्षेत्रों के आनुषंगी है जिनसे प्रशासनिक इकाई बनती है :—

(i) लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों के अन्तर्गत सामान्यतया एक अथवा दो राजस्व जिले शामिल होते हैं ।

(ii) प्रत्येक लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र को पुनः अनेक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जिसके अन्तर्गत सामान्यतया यथास्थिति एक अथवा

[श्री राजेश पायलट]

दो तहसीलें शामिल होती हैं । प्रत्येक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 से 2000 वर्ग कि० मी० के बीच है । कुछ अपवादों, विशेषकर उत्तर पूर्व के बिना आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर कुल 2,570 कम दूरी प्रभारण क्षेत्र होंगे ।

संशोधित प्रभारण योजना

7. इस समय ग्रामीण उपभोक्ताओं को मुख्यतः पड़ौसी एक्सचेंजों से बात करने के लिए मैनुअल ट्रंक सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है । यहां तक कि उन्हें पड़ौसी एक्सचेंजों से बात करने के लिए ट्रंक काल प्रभार भी अदा करने पड़ते हैं जो दूरी के साथ-साथ बढ़ते हैं और ये प्रभार अपेक्षाकृत अधिक होते हैं । ग्रुप डायलिंग सुविधा की व्यवस्था से उनके लिए अब उसी कम दूरी प्रभारण क्षेत्र में बिना आपरेटर की सहायता के उपभोक्ताओं को सीधे डायल करना सम्भव हो जाएगा । कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र के भीतर सीधे डायलिंग सुविधा के लिए 0 से 20 कि० मी० स्लैब या इससे अधिक की किसी दूरी को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक 3 मिनट (1 रु०) की एक काल यूनिट के प्रभारों में भी छूट दी जाएगी ।

7.2. यद्यपि इस प्रस्ताव से विभाग को काफी नुकसान होगा, तथापि यह आशा की जाती है कि दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि होने से, भविष्य में इस नुकसान की प्रतिपूर्ति हो जाएगी । तथापि 0–20 कि०मी० की दूरी के लिए 3 मिनट की अवधि की एक काल यूनिट हेतु मैनुअल ट्रंक काल प्रभारों में 2 रु० से 5 रु० तक संशोधन करने का प्रस्ताव है जो कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर और बाहर एक समान रूप से लागू होंगे ।

8. कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र के बाहर की गई काल के संबंध में उस क्षेत्र के केन्द्र के आस पास के एक एक्सचेंज विशेष को प्रत्येक कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए कम दूरी प्रभारण केन्द्र के रूप में और इसी प्रकार प्रत्येक लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र के लिए लंबी दूरी प्रभारण केन्द्र के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा । कम दूरी प्रभारण क्षेत्र से बाहर की गई कालों के लिए प्रभार निम्नलिखित के बीच मापित दूरी के अनुसार शासित होगा :—

(क) एक ही अथवा सलग्न लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र में अवस्थित कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के संबंध में कम दूरी प्रभारण केन्द्र से कम दूरी प्रभारण केन्द्र के बीच ।

(ख) अन्य सभी मामलों में लंबी दूरी प्रभारण केन्द्र से लंबी दूरी प्रभारण केन्द्र के बीच ।

9. एक ही कम दूरी प्रभारण केन्द्र के भीतर कालें "0" लैवल से भिन्न लैवल पर उपलब्ध होंगी (जो राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग का कोड है) ताकि एसटीडी सुविधा से वंचित उपभोक्ता ये सीधी डायल कालें कर सकेंगे ।

परिधीय कस्बों की कालें

10. संशोधित प्रभारण योजना के साथ साथ, एक स्कीम शुरू करने का भी प्रस्ताव है जिसके जरिए, एक दूसरे के आस-पास स्थित और एक सीमा वाले दो टेलीफोन प्रणालियों के उपभोक्ता कम दर पर अपनी कालें सीधे डायल कर सकेंगे। बड़े कस्बों की परिधि के आस-पास उपग्रह से जुड़े छोटे कस्बों के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभदायक होगी और यह आशा की जाती है कि कम शुल्क दर के कारण बड़े शहरों की जनसंख्या का पलायन आस-पास के छोटे स्थानों की ओर होने लगेगा। ये कालें, भले ही दूरी कितनी ही हो, प्रत्येक 3 मिनट के लिए एक काल यूनिट की दर पर मीटर में भी दर्ज होंगी। एसटीडी वंचित उपभोक्ता भी इस सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

श्री चन्द्र शेखर जी को जानकर प्रसन्नता होगी कि विशेषकर गुड़गांव के लिए अब सीधी स्थानीय काल उपलब्ध होगी। दर तीन मिनट प्रति काल होगी। लेकिन गुड़गांव से दिल्ली के लिए एस०टी०डी० की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार परिधीय कस्बों के लिए एस०टी०डी० की अपेक्षा डायलिंग प्रणाली उपलब्ध होगी। इस प्रकार फरीदाबाद, गाजियाबाद समान लाइनों पर रखे जाएंगे।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : उड़ीसा के सम्बन्ध में क्या किया गया है। (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : ऐसा सारे देश में किया जा रहा है। श्री चन्द्रशेखर जी हंस रहे थे, इसलिए मैंने दिल्ली तथा आस-पास के कस्बों का उल्लेख किया। अन्यथा, सारे देश में एक ही प्रणाली अपनाई जा रही है।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) : द्वीप समूहों के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री राजेश पायलट : स्थानीय कालों की मल्टी मीटरिंग.—स्थानीय कालों के लिए भी, विशेषतः बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में पल्स मीटरिंग की शुरुआत करने की आवश्यकता पर कुछ समय से सरकार का ध्यान गया है। ऐसी प्रणाली विश्व के कम से कम 30 देशों में विद्यमान है। सदस्यगण इस प्रस्ताव पर प्रश्न काल के दौरान दोनों सदनों में किये गये विचार विमर्श से [illegible] होंगे। सदस्यों, जनता, उपभोक्ता संगठनों और वाणिज्य मंडल आदि से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। संचार मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति ने भी इस प्रस्ताव पर विचार किया और 5 मिनट की अवधि की एक काल यूनिट की पल्स मीटरिंग की सिफारिश की। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 30,000 लाइनों से अधिक क्षमता की सभी प्रणालियों में स्थानीय कालें, 5 मिनट की अवधि वाली एक काल यूनिट की दर से मीटर में दर्ज की जाएंगी। इस समय केवल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में ही इस व्यवस्था की शुरुआत करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।

10—1 LSS/ND/93

[श्री राजेश पायलट]

नेटवर्क का संकुलन कम करने की दृष्टि से स्थानीय कालों के लिए समय-सीमा शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि अधिक से अधिक कालें पूरी की जा सकें। यद्यपि, ऐसी जानकारी है कि अधिकांश उपभोक्ता अपनी बातचीत को 3 मिनट या इससे कम समय में पूरी कर लेते हैं, तथापि व्यावसायिक उपभोक्ता, जिनके पास फैक्स मशीनें और कंप्यूटर हैं, वे आंकड़े पारेषित करने के लिए स्थानीय लाइनों को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। सरकार इस बात को उचित मानती है कि लंबी अवधि के लिए लाइनों को इस्तेमाल न करने वाले सामान्य उपभोक्ताओं की तुलना में ऐसे उपभोक्ताओं से अधिक प्रभार वसूल किया जाए। यह आशा की जाती है कि, सामान्यतः उपभोक्ता अपनी कालें निर्धारित की जा रही 5 मिनट की अवधि तक सीमित रखेंगे और इससे बेहतर काल पूर्णता दर सुनिश्चित होगी तथा नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

उपर्युक्त सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व पर्याप्त तकनीकी तैयारियों की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक दूरसंचार सर्किल, जब भी वे तकनीकी व्यवस्था पूरी कर लें, लेकिन हर स्थिति में 31-8-92 से पहले, इन योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसिड़ा) : मेरी एक प्राब्लम है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। पिछले पांच महीने में, 11 नवम्बर, 1991 से लेकर अप्रैल, 1992 तक हमारे पास आज सवेरे दो लाख 22 हजार रुपये का बिल आया है जबकि एस०टी०डी० का ऐसा नहीं है कि टेलीफोन खुला पड़ा हुआ है, वह नंबरिंग लॉक है और हम कभी करते भी नहीं हैं फिर भी हमारा 2 लाख 22 हजार रुपये का बिल है।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष जी, राम विलास जी पार्लियामेण्ट में इतना बोलते हैं तो टेलीफोन पर कितना बोलते होंगे। इसीलिए पांच मिनट किया है कि इन्हें पता चल जाए कि पांच मिनट हो गये, नहीं तो मीटर चलता ही रहता है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आप को याद होगा कि कल आचार्यजी और मैंने आपसे बातचीत की थी और हम बिजली के रेल इंजन खरीदने के लिए एबीबी को ठेका देने के लिए चर्चा करना चाहते थे। (व्यवधान) अब माननीय श्री कुमारमंगलम जी

ने कहा है कि आज अल्पसंख्यक आयोग विधेयक पर चर्चा का मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देने के तत्काल बाद नियम 193 के अन्तर्गत यह चर्चा की जाएगी। महोदय, आप यह जानते हैं कि इस चर्चा से पहले कार्य सूची में अन्य अनेक विधेयक शामिल किए गए हैं और मुझे आशंका है कि क्या इस पर चर्चा हो पाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। कार्यसूची में हम जो भी विषय शामिल करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आप उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते तथा जो विषय कार्यसूची में शामिल नहीं होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आप इस बात को भली-भांति जानते हैं। तब हम क्या करें?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इसे तीन बार स्थगित किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा यकीन है कि मंत्री महोदय दो या तीन बार मेरे पास आये थे और उन्होंने इसके लिए कहा है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, इसका क्या फायदा है? लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों को ऐसा करना चाहिए.....

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस चर्चा के लिए कुछ समय निश्चित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : या तो आप पीठासीन अधिकारी के निदेशानुसार कार्य करें अथवा उस बारे में स्वयम् निर्णय लें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जिस दिन दलों के नेताओं को आपके कक्ष में बुलाया गया था उस दिन हमने आपका सुझाव स्वीकार कर लिया था। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपके कक्ष में इस पर निर्णय हुआ था। इसे आज भी उठाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में अनावश्यक है। आप चर्चा करना चाहते थे। चर्चा का समय निश्चित किया गया था, यह तीन दिन तक कार्यसूची में शामिल रहा लेकिन हम उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो कार्यसूची में नहीं हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इस पर कब चर्चा होगी?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री बीरबल।

1.51 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान के अधिकांश जिलों में खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर व रानी क्षेत्र, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, बाड़मेर में वर्षा की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा एवं पेयजल की तात्कालिक समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में पशुओं के लिए चारा बहुत महंगी दरों पर तथा वह भी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है—ग्रामीणों की क्रय शक्ति भी बहुत दयनीय है—रोजगार का कोई साधन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो गई है।

राजस्थान राज्य की वर्षा के अभाव वाले क्षेत्रों के लिए भारत सरकार पूर्व में हमेशा राहत प्रदान करती रही है। वर्षा से कमी वाले क्षेत्रों में समस्या अत्यन्त गंभीर है। अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पशुओं के लिए चारा, पेयजल एवं तात्कालिक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ आगे के समय के लिए चारा, पेयजल एवं रोजगार के लिए भी अभी से समय रहते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(दो) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के किंग जार्ज अस्पताल में सुविधाओं में सुधार करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रामकृष्ण कोंताला (अनकापल्ली) : महोदय, किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। यह राज्य,

में सबसे पुराने परामर्शदात्री अस्पतालों में से एक है, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, यह आंध्र मेडिकल कालिज से सम्बद्ध है जो कि राज्य में दूसरा पुराना कालेज है।

यह तथ्य ज्ञातव्य है कि विशाखापत्तनम भारत में एक तीव्र विकास करने वाला औद्योगिक शहर है जहां पूर्वी नौ सेना कमान का मुख्यालय है, विज़ाग बंदरगाह, हिन्दुस्तान पोत निर्माण यार्ड, विशाख इस्पात संयंत्र, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर यूनिट, भारत हैवी प्लेटस एंड वेसल्स, एन०एस०टी०एल०, आंध्र विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थान यहां हैं। उक्त पृष्ठभूमि के अलावा के०जी०एच० ही एक मात्र अस्पताल है जो उत्तरी आंध्र में स्थित है और यह हैदाराबाद (आंध्र प्रदेश की राजधानी) और भुवनेश्वर (उड़ीसा की राजधानी) के मध्य स्थित है। यह तटीय आंध्र, समीपवर्ती उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है।

के०जी०एच० में हृदयविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, वृक्क विज्ञान, जठरांत्र शोथ विज्ञान, मूत्र विज्ञान, अंतः स्राव विज्ञान, विकिरण-चिकित्सा विज्ञान, आदि और 'कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी', 'न्यूरो-सर्जरी', 'नेफरो-यूरो सर्जरी', स्त्री रोग, नाक, कान, गला, नेत्र सर्जरी आदि जैसी आवश्यक न्यूनतम विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी विभागों में योग्य तथा कुशल चिकित्सक उपलब्ध हैं लेकिन उनके पास पुराने उपस्कर हैं और अपर्याप्त साधन हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह के०जी०एच० और ए०एम०सी० में उपस्कर प्राप्त करने तथा सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

(तीन) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहटी में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्री प्रवीन डेका (मंगलदई): महोदय, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र 1979 में गुवाहटी में स्थापित किया गया था। पूरे देश में एन आई एस आई ई टी का केवल एक ही केन्द्र है। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सात राज्यों को प्रशिक्षण, परामर्श तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना था। भारत सरकार ने क्षेत्र में औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। यह दुःख की बात है कि इस संस्थान में इसके स्थापित होने से लेकर अब तक उप-प्रधानाचार्य और निदेशक तथा अन्य कुछ पद रिक्त हैं। परिणामस्वरूप संस्थान अपना अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन रिक्तियों को भरने के लिए वह तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

(चार) देश में बी०वी०ओ० युक्त शीतल पेय की बिक्री रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्राण क्याल ओमी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, देश भर में बिकने वाले अधिकांशतः शीतल पेयों में प्रतिबंधित ब्रोमिनेटिड वेजिटेबिल आयल (बी०वी०ओ०) ग्रह से मिलाया

[श्री बाऊ दयाल जोशी]

जा रहा है जो मनुष्य के लिए घातक पदार्थ सिद्ध हो चुका है जिससे पक्षाघात लकवा सहित भयंकर बीमारियां पैदा होने की संभावनाएं सिद्ध हो चुकी हैं ।

उक्त पेय पदार्थों का कृत्य अपराधिक श्रेणी में आता है । उक्त पदार्थ मिलाया जा रहा है इस बात का पता गत दिनों उस समय चला जब दिल्ली में फूड इंसपैक्टर द्वारा एक शीतल पेय के नमूने लिए गये । नमूने की जांच के बाद उस शीतल पेय में बी०वी०ओ० की मात्रा पाई गई ।

यह तो एक डिपो के छापे का परिणाम है परन्तु सारे भारत में यह पदार्थ मिला कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है ।

यही स्थिति दिल्ली के अन्य छापों में कुछ शीतल पेयों में पाई गई है । कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही चूंकि उक्त पेय पदार्थों का उपयोग इस गर्मी के मौसम में बहुलता से होता है । अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र प्रभावी कानून लायें तब तक विशेष अभियान चला कर उपयोग में लाये जा रहे पेय पदार्थों में घातक पदार्थ को मिलाने से रोका जाये वरना भविष्य में सारे भारत में इसके कारण घातक परिणाम सामने आयेंगे ।

[पांच] नेत्र सहायक के पद को राजपत्रित पद घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र के निर्देशानुसार सारे देश में जिला केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर केन्द्र सहायक (ओपथेलमिक असिस्टेंट) कार्यरत हैं । उक्त नेत्र सहायक नेत्रों से संबंधित सभी परीक्षण करते हैं । यह सभी दो वर्षीय डिप्लोमा व एक वर्षीय उच्च अध्ययन प्राप्त होते हैं । परन्तु इनको किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार नहीं है जबकि दूसरे देशों में नेत्र सहायकों को दृष्टि से संबंधित समस्त अधिकार अन्य चिकित्सकों के समान प्राप्त है ।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त पद को राजपत्रित घोषित कर इनको प्रमाण-पत्र दिये जाने का अधिकार दिया जाये एवं नेत्र सहायक के पदनाम को दृष्टि परीक्षण अधिकारी के रूप में परिवर्तित किया जाये तथा आप्टोमेट्री की उच्च शिक्षा (डाक्टर आफ आप्टोमेट्री) को देश में प्रारम्भ किया जाये, जिससे देश में दृष्टि विहीनता कार्यक्रम को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके ।

(छः) बिहार के सीतामढी जिले में तरियानी और पूर्वी चम्पारण जिले में पताही में चीनी मिलों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर (बिहार), में सीतामढ़ी जिला का बेलसंड, तरियानी, शिवहर एवं पिपराही तथा पूर्वी चम्पारण जिला

का ढाका, घोड़ासहन, पताही एवं चिरैया प्रखंड गन्ना बहुल क्षेत्र है। यहां की जलवायु एवं मिट्टी भी गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है। फलस्वरूप गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। परन्तु चीनी मिल के अभाव में गन्ने का सही उपयोग नहीं हो पाता है। जिस कारण किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप इसकी खेती में उदासीनता बरती जाने लगी है। चीनी मिल के स्थापना की मांग काफी अर्से से उस इलाके के किसानों एवं आम लोगों की रही है। इस हेतु बिहार सरकार ने प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि सीतामढ़ी जिला के सरिधानी एवं पूर्वी चम्पारण जिला के पताही में एक-एक चीनी मिल की स्थापना अविलम्ब कराई जाये ताकि इस पिछड़े हुए ग्रामीण इलाके का थोड़ा भी विकास हो सके।

(सात) बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच भोजपुर–बलिया सीमा विवाद का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, त्रिवेदी एवार्ड के द्वारा बिहार एवं उत्तर प्रदेश के सीमा बंटवारा हुआ, पिलर भी गाड़ दिया गया, लेकिन अभी तक सीमा विवाद का झगड़ा चल रहा है। आज कई एक साल से शाहपुर अंचल के ईमरपुर एवं सोन वर्षा ग्राम की करीब 1,000 (एक हजार) एकड़ जमीन परती है। हर एक साल खून खराबा होता है।

इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के भोजपुर जिला एवं उ० प्र० के बलिया जिला का सीमा विवाद का मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाये, जिससे खून खराबा न हो सके एवं किसान अपनी-अपनी जमीन जोत सकें।

(आठ) उड़ीसा में ढेंकानाल में जल आपूर्ति प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, उड़ीसा में ऐतिहासिक ढेंकानाल जिला मुख्यालय पिछले दो-ढाई दशकों में एक बड़ा शहर बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 42 पर उड़ीसा की गरजात पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र की जनसंख्या 49,000 है। यह राजधानी भुवनेश्वर से 100 कि०मी० दूर है तथा यहां पर प्रशासनिक कार्यालयों और भवनों के अतिरिक्त बड़े तथा मध्यम वर्ग के उद्योग, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थान है। यह भुवनेश्वर तथा उड़ीसा की वाणिज्यिक राजधानी कटक के लिए एक उपनगर का कार्य कर रहा है।

इस आधुनिक कस्बे में पीने का पानी तथा पाइप के पानी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। राज्य सरकार और नगरपालिका ने जल आपूर्ति प्रणाली को सुधारने के लिए समय-

[श्री के० पी० सिंह देव]

समय पर विश्व बैंक की सहायता की मांग की । केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि गंभीर स्थिति से बचने के लिए जल आपूर्ति प्रणाली की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए ।

2.00 म०प०

(नौ) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के सुखरा गांव में हरिजनों पर अत्याचार की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिलान्तर्गत गोंडा थाने के सुखरा गांव में 22 घर अनुसूचित जाति के लोगों के हैं । इनमें से अधिकांश भूमिहीन मजदूर हैं । सात-आठ व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं और एक व्यक्ति केन्द्रीय सुरक्षा बल में सिपाही है । दिनांक 19-3-92 को इस पूरी दलित बस्ती पर गांव के सवर्ण लोगों ने हमला कर दिया । मकान जलाए गए एवं बुरी तरह लूट-पाट की । महिलाओं को बेइज्जत किया गया । घायलों में सी०आर०पी० के जवान, उसकी पत्नी एवं परिवार के पूरे सदस्य हैं । किसी व्यक्ति को घर से निकलने नहीं दिया गया । लेकिन थाने पर जब प्राथमिकी दर्ज कराने गए तो थाना प्रभारी ने उल्टे इनके खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर दी । मैं स्वयं हाथरस गया था । अभी भी पूरे गांव के दलित कैद हैं । यह गम्भीर मामला है ।

अतः आपसे आग्रह है कि भारत सरकार उस गांव में हुई घटना की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराए और दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के खिलाफ अविलम्ब कड़ी कार्यवाही करे तथा लोगों के जानमाल की रक्षा करे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 3.00 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

2.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

3.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.05 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक विधेयक पर बोलने के लिए आपकी अनुमति हेतु मैंने अपना नाम दिया है ।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उड़ीसा में अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटना के बारे में दो मिनट बोलना चाहता हूं। कटक में शराब की यह घटना होने से 300 व्यक्ति मर गए। मैं आज सुबह ही आया हूं इसलिए मैं इस मामले में सूचना नहीं दे सका। लेकिन मैं उस स्थान पर उपस्थित था। इसीलिए मैं दो मिनट तक यह बोलना चाहता हूं कि वास्तव में वहां क्या हुआ। मुझे यह बताया गया है कि कल भी यह मामला उठाया गया था। जबकि सरकारी तौर पर यह बताया गया है कि 260 व्यक्ति मरे लेकिन 300 से अधिक व्यक्ति मरे हैं। 500 से अधिक व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यह अत्यंत दुखद घटना है। जबकि राज्य सरकार ने इसकी आम जांच करवाने के आदेश दिए हैं लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : आप यह मांग क्यों नहीं करते कि सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए? **[व्यवधान]**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना आप चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए।

श्री श्रीकांत जेना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। 300 से अधिक लोग मरे हैं और लगभग 500 लोग अस्पताल में हैं। और लोग भी चिकित्सा के लिए अस्पताल में आ रहे हैं। इस कार्य के लिए जो व्यक्ति भी उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरे, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए क्योंकि पुलिस के महानिदेशक ने समाहर्ता को छः माह पहले एक पत्र लिखा था कि उनके पास यह जानकारी है कि अवैध शराब का व्यापार किया जा रहा है। समाहर्ता, प्रशासन तथा पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना घटी। इसीलिए इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए।

तीसरे, पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया जाना चाहिए। जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे तब मैंने 1978 में श्री आडवाणी जी से इस बारे में अनुरोध किया था। राष्ट्रीय मद्यनिषेध परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि पूर्ण नशाबंदी होनी चाहिए और इसे उड़ीसा से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 1980 तक पूर्ण नशाबंदी लागू कर दी जानी चाहिए तथा इससे राजस्व की जो हानि होगी उसे केन्द्र सरकार पूरा करेगी। मैं कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चूंकि उड़ीसा राज्य अत्यंत निर्धन राज्य है, यहां की 40% जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की है इसलिए पूर्ण नशाबंदी के लिए उड़ीसा सरकार को मुआवजा दिया जाए। इससे राजस्व का जो भी घाटा होगा उसे भारत सरकार को पूरा करना चाहिए।

मैं उड़ीसा में पूर्ण नशाबंदी करने की मांग करता हूं और मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा सरकार को राजस्व का जो भी घाटा हो उसे भारत सरकार पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय इस मुद्दे पर चर्चा करने का नहीं है। हम फिर कभी चर्चा करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन मैं दूसरी बात से सहमत नहीं हूं.......

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक काम कीजिए, हम इस पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में चर्चा करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, श्री जेना जनता दल के एक प्रभावी सदस्य हैं जो उड़ीसा में सत्ताधारी दल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। एक आम जांच करवाना विवादा-मत है। [व्यवधान]

3.09 म०प०

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे शून्य काल में परिवर्तित न करें। श्री डैनिस अब अपना भाषण जारी रखेंगे। हमें इस मामले को अधिक गहराई तक नहीं लेना चाहिए।

[व्यवधान]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : पाणिग्रही जी, वर्ष 1979—90 तक शराब के व्यापार में 50% तक की गिरावट आ गई थी। [व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। विचाराधीन विषय यह नहीं है।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : जो आप कहना चाहते थे आप कह चुके हैं।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अपेक्षित वाद-विवाद शुरू करेंगे।........

[व्यवधान]

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे यह अनुमति इसलिए ली है क्योंकि मेरे ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह घटना घटी थी। इसलिए मेरा आप से निवेदन था कि इस बात की सुनवाई हो, न कि यह बात एक राजनीतिक विषय बन जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे भी हो, आपने अपनी शिकायतें कह दी हैं।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्हें सरकार की जानकारी में ले आए हैं।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस बारे में चर्चा की मांग नहीं करनी चाहिए। हमारी चर्चा का विषय दूसरा है।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : विषय यह नहीं है।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियमों के पर नहीं जाना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : संबलपुर से सम्बद्ध सदस्य इस समस्या को समझते हैं। इस प्रकार की घटना दिल्ली में भी घट चुकी है।....[व्यवधान]....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके आपस में बातचीत मत करें।

[व्यवधान]

श्री श्रीकान्त जेना : तीन सौ से ज्यादा लोग दिल्ली में मर गए थे।...[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सामान्य स्थिति बहाल कर लेनी चाहिए।

[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपेक्षित विवाद जारी रखना चाहिए।

[व्यवधान]

श्री श्रीकान्त जेना : क्या आप पूर्ण नशाबंदी की बात से सहमत हैं।...[व्यवधान]

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल पृथक मुद्दा है।

[व्यवधान]

श्री एम० डेनिस (नागरकोइल) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछेक बातें कहना चाहूंगा। वैधानिक दर्जा सम्पन्न एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन सही दिशा में एक उचित कदम है। यह सरकार के धर्म निरपेक्ष इरादों को व्यक्त करता है। यह विधेयक अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनपर भी इसके जरिए निगरानी रखी जा सकती है।

मैं इस विधेयक के खण्डों और उपखण्डों में संशोधन करने के कुछ सुझाव देना चाहूंगा। खण्ड 3(2) के अनुसार सात में से दो सदस्य गैर-अल्पसंख्यक समुदाय में से हो सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा एक ही सदस्य हो। अल्पसंख्यकों के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि आयोग के सदस्य बनना चाहेंगे, उन्हें इसमें अधिक से अधिक स्थान दिए जाएं। फिर, गैर अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यक आयोग में शामिल किए जाने की वजह से विचारों में मतभेद हो जाएगा और इस मतभेद के कारण आयोग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। खण्ड 3(2) के अनुसार सरकार योग्यता और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेगी। यह बड़ी व्यापक और सामान्य शर्त है। नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को अल्पसंख्यकों का सम्मान और विश्वास प्राप्त होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डेनिस, माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, कल यह निर्णय लिया गया था, कि मंत्री महोदय आज उत्तर देंगे, और हम जल्दी से इस विधेयक का काम समाप्त करेंगे। कुछ सदस्य ए बी बी सहित कुछ अन्य मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। यह आम राय है कि, जहां तक सम्भव हो, सभा का समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे भी हो, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री का उत्तर 4.15 म०प० के लिए नियत किया जाए। जो भाषण देने की प्रतीक्षा में है उन्हें जल्दी-जल्दी बोलने की अनुमति दी जाए। यदि सभा सहमत हो, तो मंत्री महोदय को 4.15 म०प० पर बोलने के लिए कहा जाये। तो अन्यथा, शेष कार्य अव्यवस्थित हो जाएगा। [व्यवधान]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : फिर तुम, उत्तर का समय क्यों नियत कर रहे हो ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था। हम इस सीमा को पार कर चुके हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभा को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन से विधेयकों पर चर्चा होगी, क्योंकि कार्यसूची में संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, सेना (संशोधन) विधेयक, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, वायु निगम (उपक्रम स्थानांतरण और निरसन) विधेयक शामिल हैं तथा इसके साथ-साथ मैसर्स ए०बी०बी० के बारे में अल्पकालिक चर्चा भी जोड़ दी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि, यह कार्य एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। आप इसे ऐसे ही नहीं कर सकते। यह सभा के लिए उचित होगा कि पहले से ही इसके बारे में जानकारी दी जाए। आपने यह प्रस्ताव किया था कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक का उत्तर आप सवा चार बजे देंगे। उसके बाद, हम अन्य विषयों को छोड़कर अल्पकालिक चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : ऐसा मंत्री महोदय के उत्तर और खण्डवार विचार आदि के बाद होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस विधेयक पर चर्चा के बाद, विद्युत इंजन पर चर्चा कर सकते हैं। और कोई संसदीय कार्य नहीं होना चाहिए। मेरा यह कहना है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : विपक्ष के नेता के प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, जिसे हम पारित करना चाहते हैं, के अलावा हमारा अगला विषय एक अन्य छोटा सा विधेयक अर्थात् संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक है। यह एक बहुत ही सरल विधेयक है, जिसपर केवल कुछ मिनट ही लगेंगे। जहां तक बाकी कार्य का सवाल है, मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूं, कि हम उस पर अगले सत्र में विचार कर लेंगे। यही दो मुद्दे हैं। इसके बाद हम मैसर्स ए०बी०बी० के

बारे में चर्चा करेंगे। परन्तु एक समस्या है। जितना ज्यादा समय हम अल्पसंख्यक विधेयक को देंगे, उतने ही मैसर्स ए०बी०बी० संबंधी चर्चा सार्थक होने के अवसर कम हो जाएंगे। सभी माननीय सदस्यों का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री एम० डेनिस : जिस व्यक्ति को अल्पसंख्यकों का विश्वास और सम्मान प्राप्त है, उसे ही आयोग में शामिल किया जाना चाहिए और जो लोग अल्पसंख्यकों के कल्याण में रुचि नहीं रखते, उन्हें आयोग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आयोग में व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में इस विधेयक में कोई विशेष निर्देशन अथवा मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। आयोग में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए मानदण्डों का निर्धारण होना चाहिए।

3.20 म०प० [श्री शिव राम सिंह पीठासीन हुए]

सदस्यों को पद से हटाने संबंधी खंड 3(च) के बारे में माननीय सदस्य ने एक संशोधन दिया है। यह संशोधन "लोकहित" के स्थान पर, "अल्पसंख्यकों के हित अथवा लोकहित", प्रतिस्थापित करने के बारे में है। लोकहित, अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध नहीं माने जाने चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य, अपने कार्य के निर्वाह में, गैर-अल्पसंख्यकों के लिए अप्रसन्नता का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में यह उसके अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बने रहने में बाधा नहीं सिद्ध होना चाहिए।

खण्ड 9(1)—आयोग के कृत्य के संबंध में मेरे विचार में यह सराहनीय और सही समय पर है। इन कृत्यों के क्रियान्वयन से, अल्पसंख्यकों की बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। परन्तु खण्ड 9(1) के क्रियान्वयन में कुछ समस्या है, "आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।" आयोग को सभी कृत्यों का पालन करना चाहिए, न कि किसी एक अथवा किन्हीं एक या दो कृत्यों का। अगर आयोग इन सभी कृत्यों का पालन करता है, तभी यह कार्य निष्पादित माना जाएगा। अतः "निम्नलिखित सभी या किन्हीं" शब्दों को विलोप कर दिया जाना चाहिए, ताकि आयोग खण्ड 9(1) के सभी कृत्यों का निर्वाह कर सके।

खण्ड 9(ख) में कहा गया है कि यह आयोग "संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण को मानिटर करेगा"।

संविधान में बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सुरक्षोपाय से सम्बन्धित हैं, अर्थात् अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 29, 30 तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 350 ख (1 और 2)। संविधान में इन सुरक्षा उपायों के बावजूद प्रायः इनका उल्लंघन होता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार में बराबर बाधा डाली जाती है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का पूरा हक है। परन्तु शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने के मामले में, राज्य

[श्री एम० डेनिस]

सरकार अनेक अड़चने डालती है। प्रायः शिक्षा-संस्थाओं और प्रशासन को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओं के प्रशासन में बाधा डालती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, अल्पसंख्यक संस्थाएं अपनी शिकायतों का हल न्यायालय के माध्यम से कराती हैं। अनेक अवसरों पर न्यायालय ने उनकी शिकायतों के निवारण हेतु निर्णय दिए हैं। हाल ही में, सेन्ट स्टीफन कालेज के खिलाफ एक मुकदमे में, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत लिए गए एक मामले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम किया गया है, और अनुच्छेद 29(2) और 30(1) की एक साथ व्याख्या करने से गलत व्याख्या हुई है।

नए आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 301 में उल्लेख है।

इसके अलावा इस विधेयक के खण्ड 10 में यह प्रावधान है कि आयोग के खर्चों के लिए अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। परन्तु विशिष्ट राशी का कहीं जिक्र नहीं है। इस आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए इसे पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

खण्ड (8) में आयोग के अधिवेशन आयोजित करने का जिक्र है, परन्तु यह उल्लेख नहीं है कि कम से कम कितने अधिवेशन बुलाए जाने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आयोग इन अधिवेशनों का आयोजन बहुत समय तक टाल सकता है और इससे आयोग के कार्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेखन करना चाहूंगा कि पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए। अब तक इसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए उचित निर्देश दिए जाने चाहिए।

जहां तक साम्प्रदायिक सौहार्द का संबंध है, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान का जाए, और सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए कि उन इलाकों में, दमों की घटनाओं को रोका जा सके।

जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, आरक्षण से या किसी भी उचित तरीके से अल्प-संख्यकों के लिए जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नौकरियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, इससे निपटने के लिए भर्ती समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त किया ही जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 350(ख) में भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। वे प्रत्येक राज्य में मौजूद हैं और अपनी मातृभाषा में वह अपनी पढाई को जारी रखने में असमर्थ महसूस करते हैं तथा उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि जहां,

भाषाई अल्पसंख्यक रहते हैं उनके लिए बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी विद्यालयों में उन खंडों का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने राज्य में भी रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। अपनी मातृभाषा का अध्ययन करने के अधिकार और रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

राज्य की भाषा को सीखने के लिए एक समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को रोजगार के अवसर प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

अंत में, मैं माननीय मंत्री को एक अन्य समस्या से अवगत कराना चाहूंगा जिसकी उन्हें जानकारी है। हाल ही में बौद्ध धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाती के सूची में शामिल कर लिया गया है। उसी तरह वे अनुसूचित जाति के लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया उन्हें भी अनुसूचित जाति के सूची में शामिल कर लिया जाए। माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार को भी इस संबंध में कई अभ्यावेदन दिए गए। यह और कुछ नहीं संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 में दी गई धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी दी गई है उसे नकारे जाने के समान है।

कृपया इस मामले पर गौर करें तथा अनुसूचित जाति के ईसाई धर्मावलम्बियों को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित करें एवं उसे लागू करें।

यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : सभापति महोदय, यह प्रपोज बिल को अपोज करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे पास दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। माइनरिटी कमीशन को स्टेट्यूटरी पोजिशन देने का नतीजा यह होगा कि यह जो प्राबलम मैजारिटी और माइनारिटी का है, यह हमेशा के लिए पर्पेच्यूएट हो जाएगी। आप कहते हैं कि यह जरूरी है इसलिए कि पिछले 42 सालों से अधिक वर्षों से यानी कि जब से हम आजाद हुए तब से अभी तक माइनारिटीज की सुरक्षा का सुप्रबन्ध नहीं हो सका। सवाल पूछा जा सकता है कि आजादी से लेकर आज तक सेंटर में किस की गवर्नमेंट रही। या तो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही है या उन लोगों की गवर्नमेंट रही है जो कांग्रेस कल्चर को प्रतिपादित करते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, इन्दिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव जी और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और जो अन्य प्रधान मंत्री हुए, मोरारजी भाई, चन्द्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, ये सब लोग भी कांग्रेस कल्चर का दिलोंग करते थे। आपने स्वतंत्रता से लेकर अभी तक ऐसी पालिसी एडाप्ट की है जिस को एपीजमेंट की पालिसी कहा जा सकता है। हम माइनारिटिज्म के भी उतने खिलाफ हैं जितने कि मैजारिटिज्म के। हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं आप यह अधिकार

[श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित]

मैजारिटी कम्युनिटी को दीजिए लेकिन माइनारिटी कम्युनिटी को इस अधिकार से वंचित कर दीजिए। जो भी अधिकार या प्रोटेक्शन आप माइनारिटी कम्युनिटी को देते हैं वे अधिकार और प्रोटेक्शन प्रत्येक नागरिक को मिलने चाहिए, मैजारिटी का हो या माइनारिटी का हो। इस संबंध में मैं एक छोटा सा कोटेशन श्री वी० वी० जोन, एजुकेशनिस्ट एंड मैम्बर आफ दी माइनारिटीज कमीशन का आपके सामने रखना चाहता हूं। यह सुनने लायक है।

[अनुवाद]

"यदि हम यह मान लें राज्य में धार्मिक बहुसंख्यकों द्वारा दी गई छूट है तो हम नाम मात्र के धर्म निरपेक्षवादी रह जाएंगे।"

"किसी को धर्मनिरपेक्ष ठहराना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की निंदा करते हुए तभी संभव है जब हम साम्प्रदायिक दलों से कोई बातचीत करते हैं और धर्म संबंधी उत्तेजक भाषण देने वालों से राजनीतिक समर्थन की इच्छा रखते हैं।"

[हिन्दी]

आज इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद अगर माइनारिटी अभी तक अपने को सेफ महसूस नहीं करती है तो उसका कारण क्या है? आप वोट की राजनीति यहां खेलना चाहते हैं और नाम उसका देते हैं कि आप माइनारिटीज के हितों की रक्षा करेंगे।

सबसे मजे की बात यह है कि माइनारिटी कौन है, इसका निर्धारण करने का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। कम्युनिटी शब्द कहा गया है, कम्युनिटीज महज रिलीजियस कम्युनिटीज नहीं होतीं।

[अनुवाद]

बंगाली, गुजराती, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी समुदाय हैं। यहां यह कहा गया है:—

"इस अधिनियम के उद्देश्य से "अल्पसंख्यक" का मतलब केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय है।"

कौन सा समुदाय? ब्राह्मण, गुजराती भी समुदाय हैं। आप किसी को भी समुदाय का नाम दे सकते हैं और परिणाम यह होगा कि अधिक से अधिक लोग अल्पसंख्यक होने की स्थिति से लाभान्वित होने के प्रयास में जुट जाएंगे।

[हिन्दी]

तो इसका क्या नतीजा होगा? हम देश में एक इण्टीग्रेशन और एकता की बात कर रहे हैं या हम यह चाहते हैं कि देश विभिन्न टुकड़ों में बंट जाय? जो अलग-अलग कम्युनिटीज अपने को कहते हैं, उस हर कम्युनिटी को आप अलग-अलग अधिकार दे दें। दूसरा जो हमको

सबसे बड़ा खतरा दिखाई देता है, वह यह है कि अगर आप स्वतन्त्रता की लड़ाई पर नजर डालें, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट यह हुआ कि यह देश दो भागों में बंट गया तो आप देखेंगे कि शुरूआत इसी तरीके से हुई थी कि हमको प्रपोर्शनल रिप्रेजेण्टेशन दिया जाय, हमको सर्विसज में प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय और बाद में फिर यह मांग हो गई कि हमको उसी आधार पर जमीन के भाग का, हिन्दुस्तान के हिस्से का भी प्रपोर्शनल रिप्रेजेण्टेशन दिया जाय, आप यह कब तक उठाते जाएंगे। एक बार आपने सर्विसज में, लैजिस्लेचर में या अन्य किसी प्रकार की जगहों पर अगर माइनोरिटीज को स्पेशल दर्जा दे दिया तो क्या यह सम्भव नहीं है कि वह स्पेशल दर्जा पाये हुए माइनोरिटीज कभी भी अपने को नेशनल स्ट्रीम में इण्टीग्रेट करने की चेष्टा न करें, नहीं करेंगे वह। वह क्यों करेंगे? उनके नेशनल स्ट्रीम में आने से मैजोरिटी कम्युनिटी का साथ देने से उनका नुकसान होगा तो कोई भी आदमी यह पसन्द नहीं करेगा कि वह अपनी जाति का नुकसान करे। उसका नतीजा यह है कि यह जो प्राब्लम है, मैजोरिटी और माइनोरिटी की, बजाय 42 साल की आजादी के बाद हम इसे सोल्व करने की तरफ बढ़ें, हम उसको और हमेशा-हमेशा के लिए यह कानून बनाकर और उसकी परमानेण्ट स्ट्रक्चर दे देंगे। आप यह जो कमीशन बनाने जा रहे हैं, यह कमीशन तो

[अनुवाद]

यह केन्द्र सरकार के हाथों की कठपुतली मात्र होगा और इससे केन्द्र सरकार के पास किसी भी ऐसे राज्य सरकार के विरुद्ध विहित जारी करने का अधिकार होगा जो इस संबंध में अडिग दृष्टिकोण अपनाए हो।

[हिन्दी]

क्योंकि, इसकी सारी ताकत सैण्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, वही इसे तैनात करेगी, वही तनख्वाह फिक्स करेगी और वही उनकी सारी कण्डीशंस तय करेगी और वही निकाल भी सकेगी। आप जरा देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है—

[अनुवाद]

"केन्द्र सरकार किसी भी अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति अथवा सदस्य को उप खंड (2) के तहत हटा सकती है यदि वह व्यक्ति—

*   *   *

(च) केन्द्र सरकार की दृष्टि में अध्यक्ष पद या सदस्यता का दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना जनहित में अनुपयुक्त होगा"।

[हिन्दी]

इसमें यह सारी बातें दी गई हैं यानि यह टोटली सैण्ट्रल गवर्नमेंट का एक हैण्डमेड होगा और वह इस प्रकार के कमीशन से जो कुछ भी चाहेंगे, करवा लेंगे क्योंकि, जिनको तनख्वाहें

[श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित]

वह फिक्स करेंगे, जिनकी सर्विस कण्डीशंस वह फिक्स करेंगे, जिनको वह एप्वाइण्ड करेंगे और जिनको वह निकाल भी सकेंगे, ऐसे कमीशन के बारे में आप सोच सकते हैं, जो भी यहां पर गवर्नमेंट आयेगी, वह गवर्नमैंट का हैण्डमेड हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि एक तरफ तो हम पूरी तरह इसके खिलाफ हैं, क्योंकि, हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा कारण नहीं है, इस देश में माइनोरिटीज का, मैं यह नहीं कहता हूं कि मैजोरिटीज्म की कोई बात मानी जाय, मैंने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने यह नहीं कहा.... [व्यवधान] ......साहब, यह मुमकिन नहीं है। आपने इतना वक्त उन लोगों को दिया है जो इसकी सपोर्ट में बोल रहे थे इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं....[व्यवधान]......मेरे खिलाफ तो नहीं बोले लेकिन इस बिल के समर्थन में बोले। इसलिए इस बिल के खिलाफ बोलने के लिए हमको मौका दिया जाय, क्योंकि, जितने लोग हैं, सब बिल के सपोर्ट में बोले थे तो हम अपनी बात कहना चाहते हैं.... अभी यहां बातचीत में कहा गया, आईएएस, आईपीएस, सेन्ट्रल सर्विसेज में कितने माइनोरिटीज के मैम्बर आते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप के कहने का मतलब यह है कि जितने भी पब्लिक सर्विसेज कमीशन्स हैं, जितनी भी रिक्रूटिंग बाडीज हैं, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे प्रोविंशियल सर्विस कमीशन्स हों, चाहे सबोर्डिनेट सर्विस कमीशंस हो, चाहे आर्मी की भरती हो, चाहे पुलिस की भरती हो और चाहे फौज की भरती हो— ये सब लोग काम्युनल लाइन्स पर भरती करते हैं। अगर ये नहीं आए, अगर माइनोरिटी कम्युनिटी के लोगों का रिप्रजेन्टेशन कम हुआ है, तो क्या दोष इसका आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन्स और प्रोविंशियल सर्विसेज तथा रिक्रूटिंग बाडीज पर लगाना चाहते हैं। आप सोचिए, नहीं आए या नहीं आते हैं, मतलब है कि काबिल नहीं हैं। जो काबिल हैं, लिए जाएंगे। शहाबुद्दीन खुद ही थे और बड़े-बड़े लोग इसमें आए हैं तथा बड़े होशियार लोग इसमें आए हैं। इस तरह की बात कहना, अगर आईएएस, आईपीएस और सैन्ट्रल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज में कम लोग आए हैं और उसके लिए गोया कमीशन्स जिम्मेदार हैं, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं ।

[अनुवाद]

न तो कोई बहुसंख्यक समुदाय होना चाहिये और न अल्पसंख्यक समुदाय। न तो बहुसंख्यक समुदाय के अधिकार होने चाहिये और न अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार, केवल मानव अधिकार होने चाहिए और हम वस्तुतः यही चाहते हैं।

[हिन्दी]

हम सिर्फ यह चाहते हैं कि देश में प्रत्येक नागरिक का दर्जा समान हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बड़े-बड़े हमारे लोग विदेशों में घूमते हैं। ऐसा तो आपने संसार के बहुत से देशों में पाया होगा। वहां की जो मैजोरिटी कम्युनिटी है, उनके

जो कुछ अख्तियारात हैं, वह माइनोरिटी कम्युनिटी से कुछ ज्यादा है। सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा संसार के जितने भी देश हैं, उनमें जो वहां की मैजोरिटी कम्युनिटी है, उसके माइनोरिटी कम्युनिटी से कुछ अधिक अख्तियारात होते हैं। जो एडवांस्ड कन्ट्रीज हैं, वहां करीब-करीब कोई फन्डामेंटल डिफेंस नहीं रह जाते हैं। छोटी-मोटी बातों के ही डिफेंस रह जाते हैं, जैसे इंग्लैंड में किंग किसी प्रोटेस्टेंट के अलावा और किसी धर्म का नहीं हो सकता है और अमरीका में प्रेजीडेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी का ही हो सकता है। इस तरह की दो-चार बातों को छोड़ कर, चाहे जमीन के मामले में, चाहे नौकरी के मामले में, चाहे ह्यूमन राइट्स के मामले में, कोई भी ऐसा देश बता सकते हैं, जहां पर माइनोरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आपके कुछ ऐसे अख्तियारात हैं, जो मैजोरिटी कम्युनिटी को नहीं मिले हैं। सिर्फ हिन्दुस्तान में 42 वर्षों तक आपने उनको प्रोटेक्शन दिया। सोचने की बात है, अगर इन 42 वर्षों में इस पालिसी को फॉलो करते आए हैं और आज आप देखते हैं कि मर्ज बढ़ता चला गया है, तो क्या अक्लमंदी होगी कि हम उस पालिसी को और मजबूत करके पुख्ता कर दें, जिससे हमारा नुकसान होने जा रहा है। इसलिए मेरा यह निवेदन है, जो बिल यहां पर है, वह नेशन के इन्टरेस्ट में नहीं है।

मैं एक बात और इसी संबंध में कहना चाहता हूं। श्रीमन् कल यहां बैठे हुए थे, परन्तु बोलने वालों ने, जो इस बिल के पक्ष में बोले हैं, राम-जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में काफी आवाज उठायी। लोगों ने उनकी बातों को सुना, तो मेरा भी यह अधिकार हो जाता है कि मैं राम-जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद के विषय में भी बोलूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दीक्षित, यदि आप के कहने तात्पर्य यह है कि अध्यक्ष पीठ की ओर से कोई पक्षपात की गई है तो मेरे विचार में, यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, श्रीमन् बैठे हुए थे। श्रीमन् ने स्वयं सुना है और सदस्यों ने कहा है। श्रीमन् से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं। आपसे हिम्मत मेरी, मैं आरोप लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। अगर मेरे कहने से श्रीमन् को जरा भी आभास हुआ हो कि मैं श्रीमन् पर आरोप लगा सकता हूं तो मैं उसके लिए बिल्कुल अपालोजी करता हूं, माफी मांगता हूँ। मेरा कतई मतलब यह नहीं था।

दो बातें बार-बार कही जाती हैं—राम-जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद का फैसला या तो बातचीत से हो सकता है या अदालत से हो सकता है। बातचीत के बारे में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, वे प्रधान मंत्री थे, उन्होंने हम लोगों को लिख कर दिया था कि वे इस समस्या का समाधान चार महीने के अन्दर कर देंगे। प्रधान मंत्री जी की अपील थी, हम लोगों को प्रधान मंत्री, श्री वी पी सिंह द्वारा विश्व हिन्दू परिषद् राम-जन्म-भूमि विवाद के मामले से संबंधित अन्य

[श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित]

पक्षों से की गई अपील इस प्रकार है—इस मामले पर सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक दस्तावेज से कुछ उद्धृत किया गया है। जिस दस्तावेज का उन्होंने जिक्र किया है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरे विचार में उस दस्तावेज में निहित बातों को स्वीकार करना उचित नहीं होगा और उन्हें उसे पढ़कर सुनाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिसे वि०हि०प० (विश्व हिन्दू परिषद्) को सौंपा गया था।

सभापति महोदय : मैं उन दस्तावेजों की जांच करूंगा। यदि यह ठीक है तो कोई बात नहीं। यदि दस्तावेज ठीक नहीं है तो हम उस निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता है क्योंकि यह समस्या हर आदमी के दिलों, दिमाग से संबंध रखती है हम सब एक साथ मिल कर इस समस्या को सुलझा सकते हैं, वगैरह-वगैरह और आखिर में कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि लगभग चार महीने में सरकार का प्रतिनिधित्व, मैं आशा करता हूं कि लगभग चार महीने में इस समस्या का निश्चित समाधान हो जाएगा और हम इस अश्योरेंस पर प्राइम मिनिस्टर के, हम लोग जब फरवरी में मन्दिर बनाने का काम प्रारंभ करने जा रहे थे उसको हमने पोस्टपोंड किया और हमने कहा कि 10 महीने के बाद 30 अक्तूबर, 89 को हमने कार सेवा प्रारंभ की उसका जो कुछ नरसंहार हुआ और जो वहां पर कार सेवक मारे गए, उसको श्रीमान् जानते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चर्चा के विषय पर ही केन्द्रित रहें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं नहीं सुन सकता।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : (गढ़वाल) महोदय इसी तरह की आपत्ति मैंने कल व्यक्त की थी। मैंने कहा था कि विपक्ष के लोग केवल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक पर ही चर्चा करें। लेकिन अध्यक्षपीठ में हमारे इस आपत्ति को रद्द कर दिया और यह कहा गया कि यह मामला संगत है और इसका जिक्र हो सकता है। अब श्री दीक्षित उसी विषय पर बोल रहे हैं जिस पर कल बोले थे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : देखिए, जो प्रीजिडेंट आप कोट कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मैं देख कर ही बता सकता हूं।

[अनुवाद]

मैं आप से निवेदन करता हूं कि कृपया पूर्व उदाहरण के विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए उधृत न करें जो कि इस विधेयक के दायरे से बाहर की बात है।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैं उसी विषय पर बोल रहा हूं और मुझे आगे बोलने की अनुमति दी जाए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

जब श्री चन्द्र शेखर जी प्रधान मंत्री बन करके आए तब उन्होंने एक कमेटी बनाई और बकायदा दोनों पक्षों से बातचीत हुई। उस कमेटी में आपके स्टेट होम मिनिस्टर श्री सुबोधकांत सहाय, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री मुलायम सिंह यादव, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री पवार, ये सब लोग उसमें आए और हम उनसे बात करने लगे। तब यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों को सामने रखें और गवर्नमेंट उसका फैसला कर देगी यह उसका हिसाब-किताब है और आखिर में... **(व्यवधान)**

यही वह पत्र है जिस पर विपक्ष के लोगों ने कहा है: "उन्हें संगत साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तथा अयोध्या का दौरा करने के लिए कम से कम छह सप्ताह का समय चाहिये। इसके बाद उन्होंने आना ही बन्द कर दिया तो हम बात किस से करें। आप कहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझा लें। जब प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह थे तो उनसे हमने बातचीत की उन्होंने हमको लिख कर दिया कि चार महीने में हम इसका फैसला कर देंगे और उनकी गवर्नमेंट भी चली गई और फैसला नहीं हो सका। जब चन्द्र शेखर जी आए उन्होंने कहा कि बातचीत करो, हम फिर बातचीत करने पहुंच गए और बातचीत जिससे कर रहे थे वह लिखकर देकर चले गए, अब हम किस से बातचीत करें। आज भी हम बातचीत करने को तैयार हैं और अब आप अदालत की बात करते हैं। अदालत की सिचुएशन यह है कि यह मस्जिद एडमिटेडली 22-23 दिसम्बर, 1949 की मानी जाती है। सुन्नी सैंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस विषय पर जो दावा दायर किया वह दावा दायर किया 18 दिसम्बर, 1961 को केवल 18 दिसम्बर, 1961 छोड़कर यानि कि 11 वर्ष, 11 महीने और 25 दिनों के बाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दीक्षित, कृपया अपनी बात समाप्त करें। और भी कई अन्य वक्ता हैं। माननीय मंत्री को भी जवाब देना है।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : अगर मस्जिद पर कब्जा हो गया था तो 11 साल, 11 महीने और 25 दिन क्यों यह लोग खामोश बैठे रहे। हमने लगातार सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और जो हाई कोर्ट की बैंच बनी हुई है उनसे रिक्वैस्ट की कि मामले को जल्दी से जल्दी सुलझा दीजिए, डे-टू-डे एवीडेंस लीजिए। 1987 में यह स्पेशल बैंच बना दिया गया, हाई कोर्ट की बैंच बना दी गई, इस मामले को तय करने के लिए। आज चार साल गुजर गए हैं, एक कदम भी मामला आगे नहीं बढ़ा। क्या नतीजा होगा? मेरा यह कहना है कि इसके बारे में जो बिल आप लाए हैं, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन आपका हुक्म है, मैं जरा जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो कुछ हमने किया है वह कानून के हिसाब से किया है। कोई काम हमने बिना कानून के नहीं किया है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जजमेंट रखी हुई हैं, जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, यह दिखाने के लिए कि हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो कानून के खिलाफ हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप समाप्त करें। आपने पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले लिया है। माननीय मंत्री को 4.15 म० प० बजे उत्तर देना है।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल साहब लोग भी बोले हैं, जरा पता करवा लें कि कितनी देर तक साहब लोग बोले हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुझे यह पता लगाने के लिए कह रहे हैं कि किसी अन्य वक्ता ने कितने मिनट का समय लिया है। मुझे खेद है कि मैं यह अभी पता लगाने में समर्थ नहीं हूं। यह निर्णय लिया गया है कि माननीय मंत्री 4.15 म०प० बजे उत्तर देंगे। आठ वक्ता हैं। मैं केवल उनमें समय का समान वितरण कर सकता हूं।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : कृपया मुझे मात्र दो मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : श्री फ्रेंक एंथनी, कृपया श्री दीक्षित को और दो मिनट का समय दें।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : हम समझते हैं तो प्रपोज्ड विधेयक है यह नेशन के इंट्रेस्ट में नहीं है। इससे माइन्योरिटी और मजहब की प्रोब्लम बढ़ेगी। जो हम एक इंटीग्रीटी बनाना चाहते हैं इसमें हमें कठिनाई आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने को माइन्योरिटी में डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि इस देश में बजाए इन्टी-ग्रेशन आने के फ्रैगमेंटेशन आ जाएगी। कानून जो बनाया जा रहा है, यह कानून कायम माना

जाएगा। देश के इतिहास में यह बहुत खराब समझा जाएगा। पार्टीशन जिस दिन हमने किया था, हम आज उसको रिगरेट करते हैं, उसी प्रकार ऐसा हो जाएगा, इस बिल को पास करने से हम रिगरेट करेंगे कि हमने इस प्रकार का बिल क्यों पास किया। आने वाले समय में लोग हमें कभी इसके लिए माफ नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रपोज्ड विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि मैं इसकी एन्टी नेशनल मानता हूं। मैं इसको नेशनल इन्टीग्रेशन के खिलाफ मानता हूं, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : महोदय, क्या मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि क्या बिल्कुल अर्थहीन विधेयक है?

मुझे कम से कम 30 अल्पसंख्यक मुकदमों के पक्ष में बहस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनमें से अधिकांश 29 मुकदमों में जीत मिली और हास्यास्पद बात यह है कि एक मात्र मामला दिल्ली के 'प्रीमियर' स्कूल में पराजय मिली है। सौभाग्यवश इसे पांच न्यायाधीशों को सौंप दिया गया है। मुझ से दो न्यायिक निर्णयों पर टिप्पणी करने को कहा गया और मैंने कहा कि एक तरह से यह न्यायिक विधान है जो कि पूरी तरह असंगत और निराधार है। इस विधेयक के खंड 14 के तहत छह लोगों को नियुक्त किया जा रहा है अथवा किया जाना है और ये सभी लोग लोक सेवक हैं। इसका तात्पर्य मेरे विचार में यह है कि इस सभा का कोई भी सदस्य उस अर्थहीन निकाय का सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं यही अनुभव करता हूं। उच्चतम न्यायालय ने पहले ही निर्णय दिए और एक विशेष निर्णय मुझे याद है जिसमें है कि कैसे अल्पसंख्यकों का अनुमान लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि किसी राज्य विशेष में अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखते हुए उनका आकलन किया जा सकेगा। अन्य स्थानों पर वे बहुसंख्यक हो सकते हैं। लेकिन एक राज्य विशेष में वे अल्पसंख्यक हैं और तब संविधान में किए गए प्रावधान के अनुरूप उसे अधिकार प्राप्त हैं। मैंने ही पंजाब के आर्य समाज कालेज के संबंध में मुकदमें में यह पक्ष प्रस्तुत किया था। उस मुकदमे में मुझे जीत हासिल हुई थी। उस एक शुभ दिन से आर्य समाजी हिन्दू पंजाब में अल्पसंख्यक हो गए। मैं यहां यह देख रहा हूं कि आपके पास छह सदस्यों की एक संस्था है, उनमें मैं नहीं हूं, जो कि इस सभा का एक उपयोगी सदस्य हो सकता था। उनका जो कथन है मेरे विचार में उसका तात्पर्य बाध्यता से नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह एक तरह से निवेदन है जिसकी अनदेखी की जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वह कुछ राज्यों से अनुरोध करें तो वह उसे पढ़ेंगे भी नहीं और पास पड़े कूड़ेदान में डाल देंगे। "वैधानिक" शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ है। "वैधानिक" शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या आप शायद केवल एक शब्द को हटा कर कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को पहले ही ये मौलिक अधिकार दिए जा चुके हैं? मैं संयोगवश संविधान सभा का निर्वाचित सदस्य था। अल्पसंख्यकों के संबंध में ली गई विभिन्न निर्णयों से मुझे कोई विशेष लेना-देना नहीं था। उदाहरणार्थ अनुच्छेद 16(1) के अनुसार:

"सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा. ... ।"

यह अनुच्छेद सभी नागरिकों की बात करता है। इसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

[श्री वीक एम्मनी]

मामले में रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16(2) इसी मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। आज हमने अपने उपर जातीयता का अभिशाप लाद लिया है। किसी भी सरकार के लिए पन्द्रह वर्ष का समय एक बेचैनी का काल रहा होगा। उन्होंने जातियों की संख्या बढ़ा दी। एक विशेष जाति 'बोदी' थी जिसकी संख्या 3474 थी। लेकिन इस सरकार ने इस परेशानी भरे पंद्रह महीनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 4000 कर दी। क्या यह छह व्यक्तियों की संस्था अनुच्छेद 31 के एक शब्द को भी हटा सकती है? अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया है यह अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार देता है। मैं विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं। इस में धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। अतः अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का पूरा अधिकार है। केरल के आंग्ल भारतीय स्कूलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमे में मैंने बहस की थी और मैं अकेला ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसे उक्त मुकदमे में सफलता मिली थी। मुझे उस मुकदमे में सफलता क्यों मिली? क्योंकि छह न्यायाधीशों के पीठ ने यह कहा कि केरल आंग्ल भारतीय स्कूलों को किसी भी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान नहीं मिलता है।(व्यवधान)अतः मैं यह कह रहा था कि मैं ही अकेला व्यक्ति जिसे सफलता मिली। कई महान न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश बाद में उपराष्ट्रपति भी बने। उन्होंने हिन्दू विद्यालयों की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया था।

4.00—म०प०

छह न्यायाधीशों का निर्णय यह था कि इस विद्यालयों ने कोई भी अनुदान सहायता नहीं ली है और यदि कोई अल्पसंख्यक विद्यालय अच्छी प्रकार से चल रहा है, तब कोई भी सरकार उनके विद्यालय के प्रशासन के बारे में उनको कुछ भी नहीं कह सकती। यह बात एस०सी०आर० 1975 में कही गई थी। आजकल, प्रायः हम यह देखते हैं कि दो न्यायाधीशों के निर्णयों में विभिन्नता होती है और यही एक त्रासदी है। इसका परिणाम क्या होगा?

मैं चण्डीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करता था। उसमें कुछ बहुत ही होनहार सिख न्यायाधीश थे और उनमें से कुछ तो किसी न किसी कारणवश अपने ही लोगों की अपेक्षाकृत मुझ पर अधिक विश्वास करते थे। जब मैं वापिस आया तो मैं राष्ट्रीय एकता समिति का सदस्य बना और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी से सहयोग किया। वह कहते थे कि आप बहुत ही थके हुए लगते हैं। मैं कहता था कि मैंने एक एक दिन में तीन तीन मुकद्मों की पैरवी की है और तीनों ही मुकद्मे जीते हैं। मैं नहीं जानता कि यह बात मुझे यहां कहनी चाहिए या नहीं। वह कहते थे, "आप किसी अच्छे सदस्य की सिफारिश क्यों नहीं करते?" मैं कहता था कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया और किसी की सिफारिश करना मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है और मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाद में उच्चतम न्यायालय में स्थिति ऐसी बन गयी—मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं—कि एक न्यायाधीश को छोड़कर—अन्य न्यायाधीश—अन्य न्यायाधीश जोकि आयकर कानूनों अथवा अन्य किन्हीं

कानूनों जैसे अपने कार्यक्षेत्र में माहिर थे, उन्हें आपराधिक कानून संबंधी निर्णयों अथवा किराया संबंधी मुकदमों प्रवेश संबंधी मुकदमों या फिर मृत्यु दण्ड आदि बातों का कोई ज्ञान नहीं था। एक एक दिन में 40 मुकदमे हुआ करते थे। विशेष अनुमति के 40 मुकदमे। मैं एक दिन में विशेष अनुमति के पांच अथवा सात मुकदमें निपटाया करता था।

सभापति महोदय: हमारे पास समय बहुत ही कम है। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप कृपया अल्पसंख्यक विधेयक तक ही सीमित रहें।

श्री कौल कृष्णजी: अब वे क्या कर सकते हैं? उदाहरण के लिए मैं एक ऐसे राज्य की बात कर रहा हूं जोकि पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले सभी सुविधाएं अतिसम्पन्न और आर्थिक रूप से अतिसमृद्ध लोगों को दे रहा है। वे लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछेक राज्यों में उन्होंने 78 प्रतिशत आरक्षण अति सशक्त लोगों, तथा-कथित पिछड़े वर्गों को दे रखा है। इस तरह की घटनायें हो रही हैं। और इस विधेयक के साथ भी यही होने जा रहा है। यह विधेयक धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्तों को खत्म कर देगा। आज 4,000 से भी अधिक जातियां हैं। उनका परिणाम क्या होगा? वे तो यह कहेंगे कि आप बहुमत में आ जाइए। कोई भी व्यक्ति, भले ही वह भारत के राष्ट्रपति के पद के योग्य है अथवा नहीं, चाहे वह कितना ही अयोग्य क्यों न हो, पर चूंकि कोई व्यक्ति किसी जाति-विशेष से संबंध रखता है, और जिस जाति से उसका संबंध है उस जाति के लोगों की संख्या एक करोड़ है तो उसे भारत का राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इस विधेयक के अन्तर्गत आपको कौन सी अधिदेशात्मक शक्तियां प्राप्त हैं? मैं यह जानना चाहता हूं। आप किसी राज्य को यह बताने के लिए क्या कह सकते हैं। कि वह आपको संवैधानिक अथवा अन्य किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करता है? आप सिवाय सादर अनुरोध करने के केन्द्र से भी क्या कह सकते हैं? मैं यह करने की कोशिश कर रहा हूं और यह करना चाहूंगा कि उस मामले पर अभी और विचार-विमर्श होना चाहिए। इससे तो यही ही होगा। इससे तो वे लोग अपने वोट बैंक बना सकेंगे जिनकी संख्या लाखों की मात्रा में अधिक होगी। 1950-60 के दशक के बीच अनुसूचित जातियों की संख्या हजारों में बढ़ी है ताकि वे लोग इस तरह के लाभ उठा सकें। अतः मैं अपने साथी से दलील कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछा है कि क्या वह इसके प्रभारी मंत्री बनने जा रहे हैं? उन्होंने नहीं में उत्तर दिया। तब मैं उनसे यह दलील करना चाहता हूं कि इस मामले पर कुछ और अधिक विचार विमर्श किया जाए।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) महोदय, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे समय-सीमा की जानकारी है। इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा।

यह विशेष विधेयक अल्पसंख्यक आयोग जो कि 1978 में स्थापित किया गया था को संवैधानिक मान्यता दिए जाने के बारे में प्रस्तुत किया गया है। मुझे यकीन है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों में आत्मविश्वास पैदा होगा तथा और अधिक संबद्धता की भावना पैदा होगी।

13—1 LSS ND/93

[श्री ए० चार्ल्स]

मैं इस विधेयक पर बारीकी में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस पर पहले से ही व्यापक चर्चा हो चुकी है। लेकिन मैं एक या दो बातें कहना चाहूंगा। विगत कुछ वर्षों में इस बारे में काफी कुछ कहा गया है कि धर्म और राजनीति को जोड़ा जा रहा है। यह कहा गया है कि सारी परेशानियां धर्म और राजनीति के कारण ही पैदा हुई हैं। लेकिन मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता। यह परेशानियां धर्म और राजनीति को जोड़ने से ही उत्पन्न नहीं हुई अपितु यह तो धार्मिक अवधारणाओं और साम्प्रदायिकता को राजनीति में जोड़ने के कारण उत्पन्न हुई हैं। राजनैतिक उद्देश्यों के कारण ही हम धर्म का दुरुपयोग करते हैं जोकि महान है। मोहक है, सबको आकर्षित करने वाला है। लेकिन इसकी बजाय हम घृणा और शत्रुता का प्रचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं दो पुस्तकों के छोटे से उद्धरण यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा :

सबसे पहले मैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक "दी मैसेज आफ जीसस क्राइस्ट" के उद्धरण रखना चाहता हूं :

"जीसस की समृद्ध तथा तेजस्वी व्यक्तित्व ने उनपर आकर्षक छाप छोड़ी। उन्होंने कहा है "ईसा मसीह का उदात्त स्वरूप" इतना अधीर, दयालु, प्रिय और क्षमा-भावना से भरा हुआ था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि अगर कोई निंदा करता है अथवा चोट पहुंचाता है तो उसका प्रतिवाद न करें बल्कि दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दें--- मेरे विचार में इस परिपक्व व्यक्ति का यह एक खूबसूरत उदाहरण था।"

वास्तव में ईसा मसीह ने सम्पूर्ण मानव-जाति को ही यह संदेश दिया था। लेकिन दुर्भाग्य-वश हम यह जानते हैं कि ऐसे लोग जिनसे यह कल्पना की जाती है कि ईसा मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे, उन्होंने कभी भी इनका अनुसरण नहीं किया। प्यार की जगह, घृणा पैदा की जाती है।

मैं एक अन्य पुस्तक "आनन्द रामायण" जोकि श्री सद्गुरु देवेंद्र नामह द्वारा लिखित है, के उद्धरण भी रखना चाहता हूं। यह उद्धरण मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि विगत तीन वर्षों में देश में क्या होता रहा है। मैं किसी विवादपूर्ण मुद्दे, जैसे कि राम जन्मभूमि अथवा बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं करना चाहता। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि एक सुप्रसिद्ध संत की एक पुस्तक है। मैं इस पुस्तक के पृष्ठ 106 के उद्धरण यहां प्रस्तुत कर रहा हूं :

[हिन्दी]

"तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी।
सकल भाव सेवहिं सनमानी।।

काम क्रोध मद मान न मोहा।
लोभ न छोभ न राग न द्रोहा।।

जिन्ह के कपट न दम्भ न माया।
तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया।। "

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चार्ल्स जी, आप किस भाषा में बोल रहे हैं?

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं थोड़ी बहुत हिन्दी जानता हूं।

अब मैं अंग्रेजी में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं :

"जो व्यक्ति उस पवित्र परमात्मा को महान समझकर उचित मन और लगन के साथ सेवा करता है; जो व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लालच, छल, कपट को त्याग देता है; जो व्यक्ति भ्रान्ति से दूर होता है, भगवान राम उस पर ही दिव्य दृष्टि रखते हैं, उसी सच्चे हृदय में ही रहते हैं।"

वास्तव में भगवान राम ऐसे हृदय में ही रहते हैं। जबकि इधर हम लोग हरेक धर्म पर हानी हो रहे हैं। यह उदाहरण और भी हैं। मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"ऋषि वाल्मिकि के आश्रम में पहुंचने पर भगवान राम उनसे पूछते हैं कि उन्हें कहां रहना है......"

"जो व्यक्ति अपने गुरु को अपने से बड़ा समझते हैं और उचित मन और लगन से उसकी सेवा करते हैं; जिनमें काम, क्रोध, अहंकार, घमंड अथवा मोह नहीं होता; जिनमें लोभ, उत्तेजना, आकर्षण अथवा विद्वेष नहीं होता; और कि छल, कपट आदि से परे होते हैं — आपको उनके हृदय में ही रहना है। भगवान के लिये ऐसा हृदय ही पावन धाम है।"

मैं भी ठीक यही बात ही कहता हूं कि श्री राम को ऐसे हृदय में ही रहना चाहिये। मैं विनम्रता के साथ माननीय सदस्यों से यह पूछता हूं कि यदि श्री राम पुनः प्रकट होते हैं, तो क्या वे ऐसी विवादग्रस्त भूमि पर आयेंगे जोकि मलबा, घृणा और झगड़ों से भरी हुई है? महोदय, यह बात मैं आप से पूछता हूं। इस प्रकार विगत कुछ वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। हम राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये धार्मिक अवधारणाओं और हर प्रकार की साम्प्रदायिक ताकतों का प्रयोग कर रहे हैं। आज एक माननीय सदस्य यह कहते हैं कि किसी प्रकार के अल्पसंख्यक अधिकार अथवा बहुसंख्यक अधिकार नहीं होने चाहिये केवल मानव-अधिकारों की बात ही होनी चाहिये। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन आपके माध्यम से, मैं इस माननीय सदन का ध्यान इस ओर पक्षपात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि अल्पसंख्यकों के एक छोटे से वर्ग के साथ किया गया है जिसका नाम ऐसी अनुसूचित जातियां हैं जोकि ईसाइयों में बदल गई हैं। आज एक वरिष्ठतम माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एन्थनी ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लेख किया है, जिसके अन्तर्गत यह कहा गया है :

"कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव-जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा।"

[श्री ए० चार्ल्स]

अनुसूचित जातियों के ईसाइयों की वर्तमान दशा क्या है? उनके साथ यह पक्षपात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने स्वयं को ईसाइयों में बदल लिया है। यदि वे लोग हिन्दुवाद को अपना लेते हैं, तो उन्हें सभी लाभ दे दिये जाते हैं। महोदय, मैं विधि-शास्त्र का विद्यार्थी हूं लेकिन मैं वकालत नहीं करता। मैं कहता हूं कि यह घोर अन्याय है और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन करता है। इस सम्मानीय सभा में हम लोगों की विचार धारा बड़ी संकीर्ण हो गई है। जिस समय जनता दल की सरकार थी, तत्कालीन मंत्री श्री पासवान जी उस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें नव-बौद्धों को छूट दी जानी थी। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे संपर्क किया और उनके साथ तर्क किया कि यही समय है जबकि इस अन्याय को सर्वसम्मति से दूर किया जा सकता है। और उनका कहना था, "चार्ल्स जी, हम द्वार खोल रहे हैं। हमें विधेयक पारित करने दीजिये और मुझे यकीन है कि बिना किसी विलम्ब के अन्याय को दूर कर दिया जाएगा।" तब मैंने कहा, "यह न कहिये कि हम द्वार खोल रहे हैं। द्वार तो पहले से ही खुले हैं। आपने तो केवल एक पंक्ति "अनुसूचित जातियां जोकि इसाइयों / नव-बौद्धों में परिवर्तित हो गई हैं" ही और जोड़नी है।" उस समय में ही सारी बात पूरी हो सकती थी। मैंने उन्हें बताया था कि जल्दी ही द्वार बंद हो जायेंगे और तब उन्हें पुनः खोलना कठिन हो जाएगा। मैं यह बात उन माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ जोकि आज यह कहते हैं कि किसी अल्प संख्यक अथवा बहुसंख्यक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है बल्कि केवल मानव अधिकारों की बात ही होनी चाहिये। चूंकि समाज के एक अति उपेक्षित वर्ग को इससे हानि हो रही है, आइये, हम लोग इस पक्षपात को सर्वसम्मति से दूर कर दें।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता हूं और मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी किस्म का 'माइनारटी-कम्पलेक्स' नहीं रखी। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि यह देश उन कुछेक देशों में से एक है जहाँ कि अल्पसंख्यकों के अंदर भी संबद्धता की भावना है और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं और अल्पसंख्यकों की आशाएं और आकांक्षाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं। मैं इस सम्मानीय सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे गणराज्य के विगत चार दशकों में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश के राष्ट्रपति के उच्च पद पर आसीन हुए हैं।

महोदय, सिख समुदाय जनसंख्या का मात्र दो प्रतिशत ही है। लेकिन उनके समुदाय का एक व्यक्ति इस महान देश का राष्ट्रपति रह चुका है।

महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम से निर्वाचित हुआ हूँ, जो कि केरल की राजधानी है। इस निर्वाचन-क्षेत्र में सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में 80 प्रतिशत लोग हिन्दु हैं जिनकी संस्कृति समृद्ध है। यह तीसरी बार है कि अल्पसंख्यक ईसाई इस निर्वाचन-क्षेत्र से चुना गया है। मुझे अपने देश पर गर्व है। श्री शहाबुद्दीन यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे मुस्लिम भारतीय हैं अथवा भारतीय मुस्लिम हैं। मुझे अपनी पहचान के बारे

कभी शंका नहीं हुई थी। जब मैं अपने राष्ट्र के बारे में बोलता हूं तो मैं एक भारतीय हूं। जहां तक धर्म का प्रश्न है मैं एक ईसाई हूं और वह मेरा निजी जीवन है। मेरे खून का प्रत्येक कतरा भारतीय है।

इसलिए, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अल्पसंख्यक मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और मेरा बहुसंख्यक समुदाय से अनुरोध है कि वह मतभेद पैदा न करे।

अनुच्छेद 370 में अल्पसंख्यक समुदाय को एक विशेष दर्जा देकर आपने उनमें विश्वास की भावना पैदा की है।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को यह महसूस कराने और विश्वास पैदा करने के लिए है कि वे इस महान देश की सन्तान हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अब सायं के 4 बजकर 15 मिनट हुए हैं। 4 बजकर 15 मिनट पर जवाब दिया जाना था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी भी चार या पांच सदस्य इस विधेयक पर बोलने के बहुत इच्छुक हैं।

इसलिए, यदि सभा इस बात से सहमत है तो मैं सुझाव देता हूं कि और आधे घंटे के लिए समय को बढ़ा दिया जाए और तत्पश्चात् माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। क्या यह ठीक रहेगा?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीय चेयरमैन साहब, सबसे अच्छा होता अगर बी०जे०पी० के दोस्त इस बिल का समर्थन करते। इसलिए आज यह बिल कांग्रेस सरकार के गाल पर एक तमाचा है। पिछले 40-45 साल से ये सत्ता में रहे हैं और अब उसके बाद यह बिल उन्हें लाना पड़ रहा है। इस बिल में क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ कांस्टीट्यूशन में जो सेफगार्ड दिए गए हैं, उनके चैक-प्वाइंट्स हैं। इसमें कोई रिजर्वेशन का सवाल नहीं है और मैं इस बिल के बारे में बहुत कुछ चर्चा करना चाहता था, लेकिन वक्त बहुत कम है।

माननीय सदस्य दीक्षित जी ने अभी चर्चा करते हुए एक मिसाल दी जो हायर जुडीशियरी सर्विस है, उसमें काबिल मुसलमान नहीं मिलते हैं, तो कैसे रिक्रूटमेंट होगी। मैं यह कहता हूं कि यह कांग्रेस के गाल पर एक तमाचा है। जो माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें से मैं कोट करता हूं। जनता सरकार के वक्त में यह बनी थी।

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

डा० गोपाल सिंह की यह रिपोर्ट है। जनता सरकार तो उनके लिए बहुत करना चाहती थी। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट की फिगर्स दी हैं, वे मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूं–

1971	में टोटल रिक्रूटमेंट	87,	मुसलमान	1	
1972	,,	42	,,	1	
1973	,,	124	,,	3	
1974	,,	141	,,	1	
1975	,,	129	,,	2	
1976	,,	138	,,	5	
1977	,,	158	,,	10	
1978	,,	134	,,	10	
1979	,,	117	,,	3	
1980	,,	124	,,	1	(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या यह केन्द्रीय सेवा में भर्ती है?

श्री सैयद मसूदल हुसैन : हां, प्रशासनिक सेवा में।

[हिन्दी]

मैं 1977-78 के फिगर्स को ज्यादा ऐमफसिस दे रहा हूं जिस समय जनता सरकार यहां मौजूद थी। जहां 1-2 रिक्रूट होते थे वहां दस हो गए। दोनों सालों में जनता सरकार के समय 10 रिक्रूट हो गए। क्या मैं पूछ सकता हूं, जनता दल की सरकार जहां श्री आडवाणी और श्री अटल बिहारी बाजपेयी थे, उन्होंने मुस्लिम अपीजिंग पालिसी की तरफ से दस रिक्रूट किए या मुस्लिम कम्युनिटी में काबिल लोग थे? इस तरह की बात ठीक नहीं है। क्या रिक्रूटमेंट पालिसी कोई कम्युनल दृष्टिकोण से हो रही है? इसकी जड़ दूसरी जगह है। नैपोटिज्म देश में बहुत ज्यादा है। पार्टीशन के बाद यहां के पढ़े-लिखे लोग माईग्रेट कर गए हैं। आज हिन्दू कम्युनिटी में भी यदि ऊपर से हाथ खींचने वाला न हो तो उनका भी रिक्रूमेंट नहीं होगा। मुस्लिम कम्युनिटी की बात ही दूसरी है। सवाल रिजर्वेशन का नहीं है हालांकि माईनोरिटी कम्युनिटी के बारे में जो लिस्ट बनाई गई है उसमें क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, मुस्लिम हैं। सिखों को शैड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब्स से कुछ सहायता मिल रही है। नियो बुद्धिस्ट भी शैड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब्स के कोटे में चले गए हैं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट को देखना है कि जो सेफगार्ड्स हैं, उसमें सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं, कहीं डबल स्टैंडर्ड काम तो नहीं हो रहा है।

राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद का सवाल उठाना बेकार है। वह गलत तरीका है। यदि आप कमेटी की रिपोर्ट देखें तो प्राईमरी स्टैंडर्ड में ऐनरोलमेंट बराबर है। आप कहें तो मैं बता सकता हूं, मेरे पास पूरे फिगर्स हैं। प्राईमरी स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट ऑल इंडिया ऐवरेज माईनोरिटी कम्युनिटी का भी वही है। क्लास 10 तक पास का हिसाब भी बराबर है। हायर सैकंडरी, बी०ए०, बी०एस०सी०, इंजीनियरिंग, मेडिकल से माईनोरिटी कम्युनिटी का रिजल्ट खराब हो रहा है। इससे यह बात सामने आती है कि जहां कोस्टली एजुकेशन है वहां ये लोग ऐफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए।

सबसे दुख की बात बैंक लोन के बारे में है। मैं अपनी बी०जे०पी० के मित्रों को अनुरोध करूंगा, डा० लक्ष्मी नारायण पांडे से कहना चाहूंगा कि आप इसे देखें कि जहां आलमोस्ट 50 प्रतिशत बुनकर हैं वहां बैंक लोन मुस्लिम कम्युनिटी को 3-4 प्रतिशत ही मिल रहा है। इसे देखने के लिए कोई व्यवस्था की जाए।

इस बिल से किसी को कोई स्पैशल स्टेटस नहीं मिल रहा है। यदि किसी स्पैशल स्टेटस की बात होती तो मैं इसका विरोध नहीं करता। कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 15, 16, 19, 25, 26, 29, 30 में जो स्टेटस दिया गया है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में दुबारा सोचना पड़ेगा। कल जो आडवाणी जी ने कहा कि अगर माइनोरिटी कमीशन है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होना चाहिये। इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का दायरा इसमें बहुत बढ़ जायेगा और उसका इम्पलीमेंटेशन बहुत बड़ा हो जायेगा। दूसरे राष्ट्रों में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वह भी इसमें टांग अड़ायेगा— जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कश्मीर और पंजाब में टांग अड़ा रहा है। इससे देश की छवि भी खराब होगी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जायेगा तो हालात और भी अधिक खराब होंगे।

हमने केसरी जी के सामने बहुत से अमेंडमेंट्स दिये हैं। वह उन पर अवश्य सोचें और जवाब देते समय बतायें कि वह कितने-कितने अमेंडमेंट्स ऐक्सैप्ट कर रहे हैं और किस लिये रिजैक्ट कर रहे हैं। अमेंडमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं है। सभी पार्टियों के सदस्य एकमत से इस बिल को पास करें। हमारे बी०जे०पी० के दोस्त भी कांग्रेस सरकार के माल पर तमाचा देने के लिये इसका समर्थन करें।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री और श्री पी०वी० नरसिंह राव की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधान को विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया है और इस सभा में उसे पारित किया। . . .

[श्री ई० अहमद]

यह वह वर्ष है जबकि हम स्वर्गीय दिवंगत नेता, श्री राजीव गांधी को उनकी पहली पुण्य तिथि के अवसर पर याद कर रहे हैं। श्री राजीव गांधी को यह एक महान् श्रद्धांजलि है जो कि प्रथम राजनीतिज्ञ एवं नेता थे जिन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का वचन दिया था और केसरी जी जैसे उनके सहयोगी ने यह विधान प्रस्तुत किया है। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने इस सभा में यह मामला उठाया है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध किया गया है और वास्तव में मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था कि भा०ज०पा० निश्चय ही इसका विरोध करेगी। लेकिन सन् 1976 से ही एक आयोग विद्यमान है और हम तो मात्र इसे संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। इस आयोग द्वारा अब तक 13 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट इस सभा में प्रस्तुत नहीं की गई है। श्री इन्द्रजीत गुप्त और अन्य माननीय सदस्यों को इस रिपोर्ट पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला कि ये रिपोर्टें क्या थीं? संवैधानिक दर्जे के अन्तर्गत संसद को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवेदनों पर चर्चा करे क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय भी है। यह भी सच है कि हमारे यहां अल्पसंख्यकों का अनेक समस्याएं हैं और लोकतंत्र में उन समस्याओं का समाधान भी करना होता है। अतः अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का किसी राजनैतिक दल द्वारा विरोध करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। वस्तुतः संसद के समक्ष जो विधेयक लाया गया है वह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की भावना को प्रतिबिम्बित करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी इन विचारों तथा मूल्यों को मान्यता दी गई थी कि अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। महोदय, ये आदर्श स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा हमारे मन में बैठाए गए थे। महोदय, क्या मैं इस संबंध में वह बातें उद्धरित कर सकता हूं जो कि महात्मा गांधी ने दूसरी गोल मेज 'कांफ्रेंस' में कही थी? 13 नवम्बर, 1931 को गोल मेज कांफ्रेंस में चर्चा के दौरान गांधीजी ने कहा था :

> "मुसलमानों का उल्लेख मुझे अल्पसंख्यकों की उलझन में डाल देने वाली समस्या की ओर ले जाता है। मेरा विश्वास कीजिए कि वह समस्या विद्यमान है और मैं उस बात को दोहराता हूं जो कि मैं भारत में कहता हूं मैं वह शब्द नहीं भूला हूं — कि अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने का कृतसंकल्प किए बिना कोई स्वराज्य नहीं है, भारत के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है।"

इसलिए, महोदय इन समस्याओं का समाधान करना है और हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.35 प्रतिशत है। देश में अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 2.4 प्रतिशत ईसाई हैं। 1.9 प्रतिशत सिख हैं, 0.79 प्रतिशत बौद्ध हैं तथा 0.48 प्रतिशत जैन हैं। अतः अल्पसंख्यकों का कुल प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग 16 से 17 प्रतिशत है। अतः यह विधेयक 16 से 17 प्रतिशत तक भी जनसंख्या के लिए है। इसलिए, क्या होने जा

रहा है? मैं श्री दीक्षित का भाषण सुनकर आक्रान्त था जब उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से देश में एक और विभाजन होगा। मैं समझ नहीं सका कि वे क्या कहना चाहते हैं। महोदय, मुझे ऐसा कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान के बारे में जवाहरलाल नेहरू के विचार यह थे कि संविधान की सर्वोच्चता सबसे महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों संबंधी नीति संकल्प में इसे बहुत स्पष्ट किया है। महोदय, क्या मैं 13 दिसम्बर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य नीति संबंधी संकल्प की सभा में निम्न प्रकार कहा था :—

"अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जायगी।"

महोदय, यहां इस मुद्दे का मूलप्रश्न यही है। क्या मैं कहूं कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अनेक अधिकार रखे गए हैं? मैं नहीं जानता कि श्री दीक्षित के कहने का क्या अर्थ था जब उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत कानून में समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जायेंगे, अनुच्छेद 25 तथा 26 के अंतर्गत अपने धार्मिक कार्यों को बनाए रखने के लिए धार्मिक विस्तार के अधिकार सहित किसी भी धर्म का प्रचार और किसी भी धर्म की दीक्षा लेने का अधिकार है। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? यह अधिकार संविधान में दिए गए हैं और यह अधिकार हमारे न्यायालय — उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लिए गए हैं। इस सम्बन्ध में मुझे इस सभा के ध्यान में यह बात लानी है कि उच्चतम न्यायालय का अवलोकन क्या है। मुख्य न्यायाधीश श्री दास द्वारा एक यादगार निर्णय, मैं इसे उद्धरित करना चाहता हूं। मौलिक अधिकारों के एक मामले में जो कि उच्चतम न्यायालय के सामने आया जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला :

"हम, भारत के लोगों, ने ऐसा संविधान बनाया है जो कि एक विशेष समुदाय अथवा वर्ग के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। इसके प्रावधानों का उद्देश्य है सभी को संरक्षण प्रदान करना चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय के हों या बहुसंख्यक समुदाय के। इसमें शंका का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है कि हमारे संविधान ने अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का आश्वासन दिया है। यह सुविधा उनकी भलाई के लिए तथा वैध कारणों से दी गई है.....जहां तक संविधान को ऐसे ही रहने दिया जाता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता तब इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मौलिक अधिकारों को बनाए रखे और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति हमारे पवित्र दायित्वों का सम्मान करें"।

भारत के पूर्व मुख्य-न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश श्री दास ने अपने यादगार निर्णय से यह निष्कर्ष निकाले। अतः मैं बहुत आश्चर्य-चकित था जब मेरे कुछ आत्मीय मित्रों ने

14—1 LSS/ND/93

[श्री ई० अहमद]

सरदार पटेल को उद्धृत करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं। विधान सभा में चर्चा के दौरान सरदार पटेल ने कहा था :

"अतः अल्पसंख्यकों का भविष्य, किसी भी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों पर विश्वास करना है। यदि बहुसंख्यक दुर्व्यवहार करते हैं तो इससे उन्हें हानि होगी।"

सरदार पटेल ने भी कहा था कि यदि बहुसंख्यक दुर्व्यवहार करते हैं तो इससे अल्पसंख्यकों को हानि होगी। अतः जो बात मेरे माननीय मित्र श्री हुसैन ने अभी अभी कही है, वह इसी बात की सूचना है। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व है? दीक्षित जी कह रहे थे कि यदि वे लोग सक्षम ही नहीं हैं तो उन्हें किस तरह से सेवा में लिया जा सकता है? वह मुसलमानों का हवाला दे रहे थे। यह सही बात है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं? इस मामले में इस देश के केवल एक वर्ग के लोगों को ही सक्षम क्यों बनाया गया है? सरकार को इस बात का उत्तर देना है। हम विगत 40 वर्षों से सरकार पर ही निर्भर रहे हैं और बहुसंख्यकों की सदभावना पर निर्भर रहे हैं। परन्तु विगत 40 वर्षों से हमें क्या मिला है? सरकार में मुसलमानों का क्या प्रतिनिधित्व है? हमारे इन लोगों ने क्या कसूर अथवा गलती की है? केवल इसलिये देश में इन लोगों को नुकसान हो रहा है क्योंकि ये लोग धर्म अपनाने वालों की दृष्टि से अल्पसंख्यकों में हैं। श्री दीक्षित जी भलिभांति जानते हैं कि वाराणसी में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ है। कारण मात्र यही है कि ये लोग एक विशेष धर्म से संबद्ध है। मैं इस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता।

अतः हमें देश के सामने पैदा हुई समस्या को अनुभव करना चाहिये। जहां तक मुसलमानों का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। मुसलमानों को सर्वप्रथम अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठावान होना चाहिये। जहां तक मुसलमानों का संबंध है, देशभक्ति तो उनके लिये आस्था की चीज है। यदि वे लोग देश के लिये निष्ठावान नहीं है, तो वे मुसलमान ही नहीं हो सकते। अतः अल्पसंख्यकों की और देश में फूट डालने की बात करना बिलकुल गलत है। भा०ज०पा० ने अल्पसंख्यक कक्ष का गठन क्यों किया? क्या यह केवल एक धोखा है? यह भी हो सकता है। उन्होंने केवल एक बार "अल्पसंख्यकों" को समर्थन दिया था जबकि उन्होंने श्री वी.पी. सिंह की अल्पसंख्यक सरकार को समर्थन दिया।

अतः हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य को इस विधेयक का समर्थन करना है और इस विधेयक का समर्थन कर हम केवल एक भारतीय के नाते राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहे हैं। यह सोचना गलत होगा कि विभिन्न सम्प्रदाय, धार्मिक समुदाय, जातियां तथा जनजातियां हमारे परम्परागत समाज की एकता को सम्भावित खतरा है। यह राष्ट्रीय हित में है कि इन भिन्न-भिन्न वर्गों को इस देश की गणतंत्रात्मक राजनीति में एक अर्थपूर्ण भागीदारी प्रदान की जाए। इससे हमारे देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ होगी।

महोदय, इस विधेयक के संबंध में हमने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक संशोधन स्वीकार कर लिया है और उसे एक सरकारी संशोधन के रूप में ले आए हैं। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। एक मुस्लिम समुदाय के सदस्य के रूप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सबको सामंजस्य तथा शान्ति से रहना चाहिए। मैं इकबाल को उद्धृत करूंगा जैसा कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत "सारे जहां से अच्छा" में कहा है। उन्होंने कहा है :

[हिन्दी]

"मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना
हिन्दी हैं हम वतन है, हिन्दुस्तान हमारा।"

[अनुवाद]

इस देश के नागरिक के रूप में आइए हम सब शान्ति, खुशहाली तथा मैत्री से रहें।

[हिन्दी]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अपने पुराने दोस्त आडवाणी साहब की तकरीर को कल गौर से सुना, मुझे अफसोस है कि वे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस वक्त मौजूद नहीं हैं, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वे उस पर गौर कर सकें। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जानते हैं और आडवाणी साहब को भी शायद मालूम होगा कि जब हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई हो रही थी, महात्मा गांधी जी की कयादत में, उस वक्त न सिर्फ कांग्रेस के प्लेटफार्म से बल्कि मुस्लिम लीग और महासभा के प्लेटफार्म से बकायदा, फकूम मेजोरिटी और माइनोरिटी के सवाल को उठाया गया था। आडवाणी साहब का यह कहना कि यह मेजारिटी और माइनारिटी का फर्क सिर्फ ब्रिटिश रूल और अंग्रेजों की हुकूमत की पैदावार है यह उनकी भूल है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कांग्रेस के इजलास में इस मसले पर गौर किया गया और एक कमेटी बना दी गई, पंडित मोती लाल नेहरू की सदारत में और उन्होंने जनाब चेयरमैन साहब वह मशहूर कम्युनल अवार्ड दिया था जिसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई थी उसके बाद इस कम्युनल अवार्ड के बाद सन् 1929 में लखनऊ में केसरबाग की बारादरी में मौलाना हसरत मोहानी की सदारत में एक माइनोरिटीज कांफ्रेंस हुई थी मैं उसमें एक तालिबइल्म की हैसियत से शरीक हुआ था और उस वक्त माइनोरिटीज के हुकूक के मुताल्लिक खास तौर पर गुफ्तगू हुई थी और यह मसला जेरे बहस आया था कि मखलूत इंतिखाब या जुदागाना इंतिखाब के तरीके में किस का इंतिखाब किया जाए।

अभी-अभी मेरे दोस्त श्री अहमद ने राउंड टेबल कांफ्रेंस की रूदाद से महात्मा गांधी जी का यह कौल पढ़ कर सुनाया कि उन्होंने राउंड टेबल कांफ्रेंस में यह एश्योरेंस दिया था कि हिन्दुस्तान जब आजाद होगा तो हिन्दुस्तान के अकलियतों के हुकूक का पूरी तरह से तहफ्फुज किया जाएगा। हम लोगों के दरम्यान जो कांग्रेस के झंडे के नीचे हिन्दुस्तान

[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम]

की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और वे लोग जो हिन्दुस्तान के बंटवारे का मतालबा कर रहे थे, यही फर्क था जनाब चेयरमैन साहब, मुस्लिम लीग और महासभा फिरकावाराना बुनियादों पर हिंदु और मुसलमानों के मसाइल को तय करना चाहते थे लेकिन कांग्रेस के साथ रहने वाले जमियत-उलमा और वे तमाम मुसलमान लाखों की तादाद में, क्योंकि उनको उस जमाने में नेशनल मुस्लिम कहा जाता था उनका यह कौल था, उनका यह नजरिया था कि इस वक्त अंग्रेज से लड़ाई लड़ो और हिन्दुस्तान को आजाद कराओ। जब हिन्दुस्तान आजाद हो जाएगा तो जो हमारे मुल्क का दस्तूर होगा उसमें अकलियतों के हुकूक का पूरा तहफ्फुज या जमानत हमको मिलेगी, यह गांधी जी ने जमानत दी थी, यह जवाहरलाल नेहरू ने जमानत दी थी और सी आर दास ने यह जमानत दी थी और हमारे सारे लीडरों ने जमानत दी थी। चुनांचे जनाब चेयरमैन साहब, 1950 ईस्वी में हिन्दुस्तान का दस्तूर बना। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि कांस्टीट्यूशन की डिबेट में अकलियतों के, अकलियतों के मुतालिक क्या-क्या ख्यालात जाहिर किए गए। लेकिन दस्तूरात हमारे सामने हैं। उस दस्तूर में अकलियतों को चाहे मजहबियत अकलियत हों, चाहे जबान की बुनियाद पर, चाहे किसी और बुनियाद पर हों, अकलियतों को कई तहफ्फुज दिए गए हैं। उनके लिए कुछ गारंटी हैं, प्रोविजन्स हैं। मजहब की बुनियाद पर उनको जमानत दी गयी है कि वे जिस तरह से चाहे अपने मजहब पर अमल करें, अपने मजहब का प्रचार करें और अपनी इबादतगाहों की हिफाजत करें। अगर अकलियतों को मजहब का इस आजादी में खलल पड़ता है, उनका इबादतगाहों को छीना जाता है और उनका अपनी इबादतगाहों में इबादत करने से रोका जाता है तो अकलियतों के हुकूक पर दस्तूर की रोशनी में हमला है, जिसका तहफ्फुज होने की जरूरत है। अगर अकलियतों को आर्टिकल 350 की रोशनी में अपनी मादरी जुबान में प्राइमरी स्कूल तक तालीम हासिल करने का इजाजा नहीं है तो इसके मायने यह है कि उनके ये हक, वे गारंटी जो आर्टिकल 350 के अंतर्गत दी गयी हैं उससे उनको महरूम किया जा रहा है। इसके लिए फरियाद करने हम कहां जाएं, किस के सामने रोएं? कौन हमारी बात सुनने वाला है इस मुल्क के अन्दर? हमने कांग्रेस की हुकूमत के सामने रोना रोया, हुकूमतें बदलती रहीं, हमने रोना रोया लेकिन हमारी आवाज सदा-ब-सहरा साबित हुई।

सन् 1978 में जिस वक्त माइनॉरिटी कमीशन बना, मैं राज्य सभा का मैम्बर था और होम मिनिस्टरी की जो कंसलटेटिव कमेटी थी उसका मैं मैम्बर था। चौधरी चरण सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे। जब माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया तो मैं पहला शख्स था जिसने कंसलटेटिव कमेटी में सवाल उठाया कि आपने खिलौना दे कर मुसलमानों को बहलाने की कोशिश की है। इस माइनोरिटी कमीशन की क्या अहमियत है, जब तक इसकी कानूनी हैसियत को आप तसलीम न करें और इसको स्टैटूटरी स्टेटस न दें।

मुझे याद है चौधरी चरण सिंह ने दो-तीन बार मुझसे कहा, कंसलटेटिव कमेटी में कहा कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको लीगल स्टेटस देने

वाले हैं। मैंने शांतिभूषण से गुफ्तगू की, जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे, क्योंकि मैं भी इससे पहले डिप्टी लॉ मिनिस्टिर रहा था। मैंने उस वक्त के सेक्रेटरी पेरी शास्त्री से बात की, जो बाद में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो गए थे। उन्होंने कहा कि हिदायत है मसौदा तैयार करो और जल्दी से जल्दी पेश कर के उसे पास करवाओ। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि यह बात कहना सही नहीं है कि आज स्टेटूटरी स्टेटस इस कानून को दिया जा रहा है, यह कोई नयी बात है। इसका मतालबा, जिस तारीख से कमीशन बना है उस तारीख से हो रहा है।

हकूमतों ने और सियासी जमातों ने वक्तन-फ-वक्तन इसकी जमानत दी है कि वे इसको लीगल स्टेटस देंगे। जिस हकूमत ने माइनॉरिटी कमीशन कायम किया था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। इन सब लोगों ने मुसालका तौर पर जिम्मेदारी ली थी कि इसको लीगल स्टेटस देंगे। आज क्या हालत बदल गयी? क्या अकलियतों के साथ जो बेइन्साफी होती थी उसको इन्सदाद हो गयो? क्या आज अकलियतों की फरियाद सुनी जा रही है? अभी मेरे लायक दोस्त जिक्र कर रहे थे कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज में अकलियतों को नुमाइंदगी नहीं मिलती है। आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं, यह आपको ** है इसके अन्दर कितने लोग हैं, कितने चपड़ासी हैं, कितने लोग लगाए जा रहे हैं, जरा पूछिए, ** को देखिए, इसमें कितने अकलियतों को लिया गया है। क्या इसके लिए कोई कम्पाटिटिव एग्जामिनेशन होता है। क्या अकलियतों के लोग इतने नाअहल हैं, इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं कि वे कम्पाटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आ सकते हैं? वे चपड़ासी भी नहीं बनाए जा सकते हैं, कांसटेबल भी नहीं बनाए जा सकते हैं, वे फौज के सिपाही भी नहीं बनाए जा सकते? उनको कर्जा भी नहीं दिया जा सकता है, उनको पब्लिक सैक्टर में मजूरा नहीं दी जा सकती, उनको मिलों में काम करने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। कांस्टीट्यूशन के जो हकूक हैं उसमें अकलियतों को महरूम किया जा रहा है।

जुबान का मामला मैं कई बार उठा चुका हूं कि उर्दू बहुत से लोगों की मादरी जुबान है। उसके लिए गुजराल कमेटी और उसके बाद जाफरी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। मगर आज तक उस रिपोर्ट को मखफी रखा गया है। मैंने कंसलटेटिव कमेटी में और पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाया, लेकिन मेरी आवाज सदा बहरा साबित हुई। मैं केसरी साहब को मुबारकबाद देता हूं और प्राईम मिनिस्टर का शुक्र गुजार हूं जिन्होंने प्रेजीडेन्शियल एड्रेस की तकरीर पर जवाब देते हुए जुबान दी थी कि इस सैशन में माईनॉरिटी कमीशन को स्टेटयूटरी स्टेटस देने के लिए बिल लायेंगे और केसरी साहब ने मेहनत करके बिल पेश किया। मैं उनका खैर मकदम करता हूं और उनको शुक्र अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। हिन्दू-मुस्लिम की बहस दस्तूर में मौजूद है। हिन्दू कम्युनिटी का जिक्र किया गया.....(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुहम्मद यूनुस सलीम, मैं आपको एक बात की सूचना देना चाहूंगा ।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं, महोदय।

सभापति महोदय : मैं आपको भाषण समाप्त करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह सूचित कर दूं कि लोक सभा में अध्यक्ष के सचिवालय तथा लोक सभा पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। मैंने जो देखा है, वह कहा है।

सभापति महोदय : सचिवालय के कार्यालय के बारे में जो कुछ भी टिप्पणी की गई है, उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : मैं जोर नहीं दे रहा हूं, मैंने यह कहकर मात्र एक उदाहरण दिया था कि इस देश में यह स्थिति है।

[हिन्दी]

मैं यह अर्ज कर रहा था कि पार्लियामेंट में यह कानून आ गया और दस्तूर के अंदर बयान किया गया है आर्टिकल 25 और 26 में कि अकलियतें क्या हैं और हिन्दू कम्युनिटी के अन्दर सिखों को, जैन को और बुद्धिस्टों को शामिल किया गया है। यह कहना कि दस्तूर के अन्दर हिन्दू धर्म या हिन्दू अकीदा या हिन्दू मजहब का कोई जिक्र नहीं है। दस्तूर की दफा 26 में यह चीज मौजूद है, आर्टिकल 29 और 30 में मजहब या लिसानी अकलियतों के लिए तहफुज का और उनको अपनी पसंद की तालीमगाहें चलाने का और अपने हकूक की हिफाजत करने का अख्तियार दिया गया है। मैं यह तवक्को करता हूं कि जो माइनोरिटी कमीशन में लीगल स्टेटस मिलेगा इसमें जहां-जहां हकतलफियां हुई हैं, उसकी रिड्रेस के लिए, उसकी फरियाद के लिए इस कमीशन को अख्तियारात हासिल होंगे। अब मैं दो बातें केसरी साहब से कहना चाहता हूं। आप बहुत पुराने तजुर्बेकार कांग्रेसमैन हैं और आपने कांग्रेस के प्लेटफार्म से और कांग्रेस के उसूलों से यह सीखा है कि शहरियों के दरम्यान जात की बुनियाद, सैक्स या अकीदे की बुनियाद पर कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरे सामने इस वक्त आपका यह बिल है और इसके साथ-साथ दो और कानून इस हाऊस में मंजूर किए जा चुके हैं। एक शेड्यूल्ड कास्ट-शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए और दूसरा औरतों के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया है। उसमें आपने जो दफा रखे हैं उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जुह दिलाकर बैठ जाऊंगा। यह जो आपका कानून है, उसमें दफा 9 में आपने जो अख्तियारात दिए हैं, मैं दफा 9 के पैराग्राफ "ए" क्लाज "एफ" पढ़ रहा हूं :

[अनुवाद]

"अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास से सम्बन्धित मामले पर अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण करें ।"

[हिन्दी]

इसमें आपने सिर्फ कंडक्ट, स्टडीज और रिसर्च का अख्तियार दिया है, लेकिन आपने जो औरतों के लिए कमीशन बनाया है और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जो बनाया है उसमें आपने जो लिखा है वह यह है कि

[अनुवाद]

"महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के योजनागत उद्देश्यों में भाग लें और परामर्श दें"

[हिन्दी]

इसी तरह से जो इनेक्टमेंट है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के वास्ते कानून बनाया है उसमें यह है कि

[अनुवाद]

"संविधान के अंतर्गत अथवा वर्तमान के लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करना तथा उनको मॉनीटर करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना ।"

[हिन्दी]

"सी" में यह है, मैं आपके तवज्जोह में लाना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उस पर परामर्श देना ।"

[हिन्दी]

जहां सोशियो इकोनोमी डेवलपमेंट का ताल्लुक है औरतों के साथ वहां आपने पार्टिसिपेशन को प्रोवाइड किया है प्लानिंग में । वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का ताल्लुक है सोशियो इकोनोमी डेवलपमेंट से वहां आपने पार्टिसिपेशन किया है । लेकिन पता नहीं क्यों आपने इस कानून में सिर्फ मानीटर एण्ड कंडक्ट स्टडीज रखा है । मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके इस पर गौर करें और जिस तरह से आपने नेशनल वूमैन कमीशन एक्ट में इसको प्रोवाइड किया है वैसे ही इसमें किया जाये । इसकी मॉनिटरिंग व

[श्री मुहम्मद यूनुस सलीम]

बनायें ताकि जिस मकसद के लिए आपने इतनी कोशिश करके, इतनी तवज्जोह से, इतनी हमदर्दी करके माइनोरटीज के साथ, इस कानून को बनाया है वह पूरा न हो। इसका पूरा मकसद हल होना चाहिए।

आखिर में एक बात कहूंगा। आपने रखा है कि इस कमीशन में 7 मेम्बर होंगे, 5 माइनोरटीज के होंगे, 2 नान-माइनोरटीज के होंगे। इसके मायने हैं कि इस कमीशन में माइनोरटीज माइनोरटीज में ही रहेंगी। दस्तूर में सिखों को और बौद्धिस्ट को हिन्दुओं में शामिल किया गया है, यानि मेजोरिटी कम्युनिटी में। अगर कोई एक सिख, एक बौद्धिस्ट या कोई जैन नुमाइंदा माइनोरटीज के तौर पर आता है तो

[अनुवाद]

वह बहुमत के पक्ष में होगा न कि अल्पसंख्यक के।

[हिन्दी]

आप इसमें दो और नान-माइनोरटीज को रख देंगे तो कमीशन के अन्दर माइनोरटीज की माइनोरटी ही होगी उसका मकसद पूरा नहीं होगा। मैं अदबन् अर्ज करूंगा कि इस पर आप ध्यान दें।

आपने मुझे वक्त दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

5.00 म०प०

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले इस ऐतिहासिक विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार को बधाई देती हूं। हमारे भारतीय गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर पहली बार बहस हो रही है और विघटनकारी शक्तियों ने खुले तौर पर भारत की एकता को चुनौती दी है। अल्पसंख्यक, चाहे वे जातीय, भाषीय अथवा धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हों जोकि हमारे गणतंत्र को टिकाए हुए हैं, अपने आपको असुरक्षित अनुभव करते हैं और उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है तथा कुछ विघटनकारी शक्तियां उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही हैं। किसी भी दल को बहुमत के आधार पर सत्ता में होने की वजह से अपने विघटनकारी कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब यह सब हो ही रहा है तो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होना चाहिए जिसके पास उनके अनुचित कार्यों को रोकने के लिए तथा उनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उपायों का परामर्श देने की कुछ शक्तियां हों।

अभी तक अल्पसंख्यक आयोग केवल सर्वेक्षण करके सिफारिश करने का ही कार्य करता रहा है और उसकी सिफारिश विधायिका के लिए किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाले उनके गलत कार्यों के लिए सरकार को उत्तर दायी नहीं बनाया गया है। अभी पिछले दिनों देश के अनेक भागों में अनेक साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसमें अल्पसंख्यक आयोग की क्या भूमिका रही? क्या केवल सर्वेक्षण करना और रिपोर्ट देना ही इसका कार्य है? इसने कितने प्रशासकों को उत्तर-दायी ठहराया है या दंडित किया है?

महोदय, अल्पसंख्यक आयोग को व्यापक प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि साम्प्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चला कर उन्हें दंडित किया जा सके। इस समस्या से समय पर और कड़ाई से निपटने के लिए एक दंगा-नियंत्रक पुलिस दल का गठन किया जाना चाहिए और उसे अल्पसंख्यक आयोग के नियंत्रणाधीन रखा जाना चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सभा में यह निवेदन करती हूं कि उड़ीसा में मिशन द्वारा संचालित 200 स्कूलों के अध्यापकों को सेवा-निवृत्ति तथा भविष्य निधि लाभ से वंचित कर दिया गया है, केवल इसलिए क्योंकि वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य करते हैं। उन्हें उन पर इन नियमों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। यह लाभ सरकार तथा निजी रूप से संचालित शिक्षा संस्थाओं के सभी अध्यापकों को दिए जाते हैं। इसे उन पर लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि मिशन द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं को हर जगह श्रेष्ठ कहा गया है तो उनके प्रति ऐसा भेदभाव क्यों है? मेरा निवेदन यह है कि आयोग के निष्कर्ष तथा सिफारिशें, अपने महत्व के कारण यदि वे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी आ रही हों, जो कि प्रायः हमारे देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को हिला देती है, को चर्चा के लिए इस सम्माननीय सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। विगठित अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक शक्ति व मान्यता मिल जाने पर अल्प-संख्यकों के दिमाग में विभिन्न कारणों से व्याप्त विभिन्न आशंकाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी।

अल्पसंख्यक आयोग की रचना के बारे में मेरा निवेदन यह है कि विभिन्न जातियों, भाषाओं तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को इस आयोग में शामिल किया जाना चाहिए। साम्प्रदायिक हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहां अल्पसंख्यक अपने आपको अधिक असुरक्षित तथा उपेक्षित महसूस करते हैं का पता लगाकर वहां आयोग की शाखाओं को स्थापित करना चाहिए।

प्रायः हम यह देखते हैं कि इन आयोगों को प्रभावी बनाने तथा उन तक सभी की पहुंच बनाने के लिए इन आयोगों के पास व्यक्ति नहीं होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उनके पास जाकर उनका तात्कालिक समाधान करना चाहिये। इससे अल्पसंख्यकों में विश्वास तथा सुरक्षा की भावना पैदा होगी जिससे राष्ट्र में एकता और भाईचारे की भावना पैदा होगी।

[कुमारी फ्रिडा तोपनो]

मैं विधेयक का समर्थन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर कुछ कहने की अनुमति प्रदान की।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक जो यहां लाया गया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि देश के हुए विभाजन को अभी तक कोई भूला नहीं है और दूसरे विभाजन के बीजारोपण की तैयारी स्वरूप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नाम से माननीय केसरी जी इस सदन के अन्दर जो बिल ले आये हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राष्ट्र के हर वर्ग का कल्याण हो, किसी के साथ असमानता या अन्याय का व्यवहार न हो परन्तु यह भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैण्ड तक सारा राष्ट्र एक है। देश को पहले ही बहुत बांटा जा चुका है जाति, भाषा और धर्म के नाम पर और अब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के नाम पर बांटकर एक नया भेदभाव हमेशा के लिए पैदा किया जा रहा है और मैं इस मनोवृत्ति का डटकर विरोध करता हूँ।

मान्यवर सभापति महोदय, मैं कल से इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को भली प्रकार से सुन रहा हूं और सब लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दु परिषद् और भारतीय जनता पार्टी को तो पानी पी-पीकर कोसने का प्रयास किया है और उन्होंने नाना प्रकार के आरोप लगाए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आडवाणी जी ने जो तर्क दिए थे जो हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे श्री बस्टिस बेग साहब, उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जो बातें कहीं और जिन मुद्दों के आधार पर उन्होंने स्वयं मुस्लिम होते हुए भी अल्पसंख्यक आयोग का विरोध किया था उन तर्कों का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया है। मान्यवर मेरा दूसरा सवाल है कि श्री डी०डी० बसु जैसे प्रसिद्ध न्यायशास्त्री ने अल्पसंख्यक आयोग के बारे में अपनी पुस्तकों के अंदर बहुत सारगर्भित बातें कहीं हैं। उनका किसी ने उत्तर नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि—

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।"

यह बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह कौनसी मानसिकता थी जिसने डॉ० इकबाल को ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया था कि—

"मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा।"

जिस डॉ० इकबाल ने राष्ट्रीय एकता की बात की थी, उसी डॉ० इकबाल ने "मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा" कहा, यह कौन सी मानसिकता है । मान्यवर, बहुसंख्यकों से तो ये अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतें लेकिन क्या आपने अल्पसंख्यक वर्गों को भी कभी कहा है कि वे भी आत्मनिरीक्षण करें । मान्यवर जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है और उसमें जब हिन्दुस्तान हारने को होता है और पाकिस्तान जीत की ओर अग्रसर होता है तो हिन्दुस्तान के अंदर रहकर यहां के कुछ लोग पाकिस्तान की जीत पर और हिन्दुस्तान की हार पर घरों के अंदर चिराग जलाते हैं । यह मानसिकता कौन सी है ? उस मानसिकता को बदलना होगा । . . . (व्यवधान) . .

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रावत, कृपया आप अपने भाषण को विषय तक सीमित रखें । इसका भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी के खेल से कोई संबंध नहीं है ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : हमें ऐसी मानसिकता को दूर करना चाहिए तभी इस राष्ट्र में रहने वाले लोग एक होंगे, एक धारा में आएंगे और एक संस्कृति के अंग बनेंगे जब उनके अंदर भाई-चारे की भावना आएगी उनमें अलगाववाद की भावना खत्म होगी । आज अल्पसंख्यक आयोग की बात करके अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग का जो भेद खड़ा किया गया है इससे अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ति होगी या नहीं यह तो मैं केसरी जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार में आज तक अल्पसंख्यक आयोग की 12 रिपोर्टें आई हैं और उनमें से चार को प्रकाशित भी नहीं किया और संसद के पटल पर भी नहीं रखा गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो 12 रिपोर्टें आई हैं इनमें भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की है ? इस बारे में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाए कि उन 12 रिपोर्टों के संदर्भ में कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भारत सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने कौन कौन से प्रयत्न किए, ताकि अल्पसंख्यकों की भी आंखें खुल सकें। केवल वोट के नाम पर उनको बहकाया जा रहा है । इस देश की हालत बिगड़ रही है ।

मान्यवर, शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद के अंदर जब लाखों लोगों के सामने जहरीले भाषण और तकरीरें करते हैं और खुली पब्लिक के अंदर बोट क्लब पर 26 जनवरी का बहिष्कार करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत भारत सरकार की पुलिस या भारत सरकार के लोग नहीं करते, लेकिन जब शंकराचार्य जैसे संत महात्मा लोग जो इस देश के धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं या वन्देमातरम् की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो उनको जेल की सींखचों में बंद किया जाता है ।

मान्यवर, यह हिन्दू समाज जब तक है, तब तक हिन्दुस्तान धर्मनिरपेक्ष रह सकता है क्योंकि हिन्दू सहिष्णु है, उदार है । अगर हमारे दोनों धर्मों के लोग भाई भाई की तरह

[प्रो० रासा सिंह रावत]

रहें, भाई भाई से गले मिलें, भाई भाई से प्यार करें, मोहब्बत करें तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे । . . (व्यवधान) . . मान्यवर, इन्हें इतनी परेशानी हो रही है । मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ । यहां इतने संत लोग हुए हैं, हमने सबको सर-आंखों पर बैठाया है । सूर, तुलसी और मीरा को छोड़ दें, हिन्दु समाज में तो कबीर, रसखान और रहीम को भी उसी तरह से अपनाया गया ।

मान्यवर, आज भी दरगाहों में, आज भी मजहारों पर, आज भी औलियों की सेवा में यहां का हिन्दु समाज बहुत बड़ी तादाद में हमेशा उपस्थित होता है । यहां का हर नेता, हर लीडर, धर्म-निरपेक्षता के नाम पर, उपासना गृहों में जाकर गौरव का अनुभव करता है । मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कितने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मन्दिरों में जाकर, उस भावना का परिचय देते हुए, हिन्दू भाइयों की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं । मान्यवर, यह हकीकत है और इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : सभापति जी, ये क्या बातें हो रही हैं, क्या हम मन्दिरों में जाकर पूजा करें, यह क्या बात कही जा रही है । (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : जब आप लोग बोल रहे थे तो ये सुन रहे थे । आप में भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिये । हिम्मत रखिये । (व्यवधान)

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह बहुत लज्जाजनक है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । क्या संसद में बोलने का यही तरीका है ?

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहां के अल्पसंख्यक वर्ग को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिये । यदि राष्ट्र की मुख्य धारा में इन्हें लाने का प्रयास किया जाएगा तो यह देश एकता की कड़ी में जुड़ सकेगा । यहां न कोई हिन्दू हो, न कोई मुसलमान हो, हर कोई इंसान का बेटा है, हर कोई इंसान है, भारतीय हैं । यदि आपको कोई आयोग बनाना ही है तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कीजिये ताकि मानव मानव बन सके । यहां सब समान हो—इस प्रकार की भावना देश में पैदा हो सके—इसकी आज ज्यादा जरूरत है ।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया के मुसलमानों से हमें सबक ग्रहण करना चाहिये । आज इंडोनेशिया के अंदर सबसे अधिक मुसलमानों की

आबादी है । लेकिन वहां का मुसलमान हर दूसरे मजहब की धार्मिक भावनाओं का आदर करता है वहां के लोग अपना नाम अपने पूर्वजों के नाम पर रखते हैं सुकर्णो सुकर्णो ... (व्यवधान).. और ऐसा करके वह गौरव का अनुभव करता है। रामायण देखने में इंडोनेशिया का मुसलमान गौरव का अनुभव करता है, लेकिन यहां के लोग जो हैं, यहां पर रह कर भी, मातृभूमि के प्रति पूरी निष्ठा नहीं रखते । संस्कृति एवं मातृभूमि के प्रति उनमें निष्ठा का अभाव रहता है । (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ तुष्टीकरण के लिये ही यह बिल यहां लाया गया है, जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है । यह बिल इस देश के टुकड़े कर देगा, देश की अखण्डता के लिये खतरा पैदा करेगा और इसलिये मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूँ ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए । प्रो० रावत, कृपया बैठ जाइए । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया सभा में थोड़ा अनुशासन बनाए रखें । मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप कृपया विषय तक ही सीमित रहें, जिस पर कि चर्चा की जा रही है और अपनी भावनाओं को अपने साथ न लायें और विषय को पूरा करने की कोशिश करें । मैं पहले ही आपसे अनुरोध कर चुका हूं और मैं फिर आप से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया समाप्त कीजिए । फिर भी मैं आपको दो मिनट और दूंगा और आप कृपया विषय पर ही सीमित रहें ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत: इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग गठित करने सम्बन्धी बिल सदन में लाया जाये । (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): सभापति जी, आपने कहा कि अभी नाम नहीं पुकारा है हमने, तो जब आपने नाम नहीं पुकारा तो माननीय सदस्य जो बोले, मेरे ख्याल से, वह रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिये क्योंकि बगैर आपकी इजाजत के वे बोले । दूसरी बात यह है कि जब वे बैठ गये तो फिर आपने उनको प्रबोध किया, फिर से बोलने के लिये । (व्यवधान)

सभापति महोदय: उसके लिये मैंने एक्सपोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे दी है ।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: पूरा भाषण तो उन्होंने कर दिया, खत्म कर गये हैं वे । (व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर वह देश की एकता के हित में मानवाधिकार आयोग बिल लाये । अल्पसंख्यक आयोग की अब तक जो 12 रिपोर्ट्स आपके पास आ चुकी हैं, उनके आधार पर भारत सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की, उसका एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाये । दूसरी मांग मैं यह करना चाहता

[प्रो० रासा सिंह रावत]

हूं कि सरकार तुष्टीकरण की नीति का हमेशा हमेशा के लिये त्याग करे ताकि इस देश में अमन और चैन स्थापित हो सके ।

मान्यवर, धर्म-निरपेक्षता का अर्थ है—सर्व धर्म समभाव । धर्म-निरपेक्षता का अर्थ केवल एक सम्प्रदाय का तुष्टीकरण और बाकी बहुमत का हमेशा तिरस्कार, बहुमत की उपेक्षा नहीं है और यह सर्वथा असहनीय है । मान्यवर, हमारे संविधान में समता का अधिकार दिया हुआ है, संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश के नागरिक समान हैं, अतः सरकार को मानवाधिकार आयोग की स्थापना करनी चाहिये ।

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । साथ ही साथ माननीय मित्र सीता राम जी केसरी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि 1978 में जो काम छूटा हुआ था उसको उन्होंने अपनी रिजीम में पूरा किया । मैं उम्मीद करता हूं कि समय-समय पर मंत्री जी इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे । इस में कुछ खामी होते हुए भी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । यह बिल कानूनन बहुत जरूरी था इस देश की एकता और अखण्डता के लिए । इस बिल को देश की एकता और अखण्डता के लिए लाना बहुत जरूरी था । अगर इस तरह का बिल नहीं आता, तो इस देश में जो माइनोरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं वे अपने को असुरक्षित समझते थे और खासकर आजकल वे अपने को ज्यादा असुरक्षित समझते थे क्योंकि इन दिनों साम्प्रदायिकता का फन उन्हें डसने के लिए उठ रहा है और सच पूछा जाए, तो साम्प्रदायिक ताकतों का जिस तरह से रोल होना चाहिए, वह ठीक से नहीं हो रहा है । मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोगों की भावनाएं साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हैं ।

लोक सभा में इस तरह की बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं । पिछले साल भी एक बौखलाहट लोक सभा में आई ।

सभापति महोदय : तेजनारायण सिंह जी आपने 2 मिनट का समय मांगा था । अब आप समाप्त करिए ।

श्री तेजनारायण सिंह : पिछले साल 85 प्रतिशत लोगों का आरक्षण के सम्बन्ध में बिल माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी लाए थे, उस समय भी बौखलाहट आई थी । और आज भी कांग्रेस की तरफ से जो यह बिल आया है, तो यह बौखलाहट आई है और आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो यह बात आई है और हम लोग इसका समर्थन करते रहे हैं, तो अभी भी यही बातें कही जा रही हैं कि देश का बंटवारा फिर हो जाएगा । मैं इस बात के बिलकुल उलट बोलना चाहता हूं कि अगर यह आरक्षण नहीं दिया जाएगा और यह बिल पास नहीं किया जाएगा, तो देश का बंटवारा हो सकता है । जो लोग इस विधेयक का विरोध करते हैं, वे इस देश को तोड़ना चाहते हैं । वे देश को एक नहीं रखना चाहते हैं । (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : देवनारायण सिंह जी, अब आगे आपका भाषण रिकार्ड पर नहीं जा रहा है । इसलिए आप बैठ जाएं । मैं कहता हूं कि बिलकुल कुछ भी रिकार्ड न किया जाए ।

मैं हैरान हूं कि आप जैसे तजुर्बेकार शख्स को इतने अनुशासन में तो रहना चाहिए । आप हद से बाहर निकलते जा रहे हैं । आपने रिक्वेस्ट की, मैंने आप का नाम पुकारा । जब मैंने आपका नाम पुकारा तो आप नहीं थे । फिर आपने दुबारा रिक्वेस्ट की, तो मैंने आपको दो मिनट का समय दिया और अब आप बोलते ही जा रहे हैं । इसलिए आप बैठ जाइए ।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, सर्वप्रथम, माननीय आडवाणी जी ने दो आरोप लगाए हैं, एक तो उन्होंने यह कहा कि अल्पसंख्यक आयोग को स्टेट्यूटरी पॉवर देने के लिए, कानूनी दर्जा देने के लिए जो विधेयक लाया गया है, वह अल्पसंख्यकों की वोट के लिए लाया गया है और उसका उन्होंने उदाहरण दिया । मैं साफ करना चाहता हूं कि यह हमारे घोषणा पत्र में भी घोषित किया गया है । (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके द्वारा स्टेट्यूटरी पॉवर नहीं मिल रही है । अगर आप स्टेट्यूटरी पॉवर्स देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाएं, तो हम आपकी मदद करेंगे । इसलिए आप वास्तव में यदि इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक लाइए । जिस प्रकार से आप शे० कास्ट्स और शे० ट्राइब्स के लिए लाए, वैसा आप करिए, तो हम आपकी मदद करेंगे ।

श्री सीताराम केसरी : सभापति महोदय, कानूनी दर्जे की कांस्टीट्यूशनल पावर्स की बात तो बाद में आएगी और यदि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वह भी लाया जाएगा ।

5.20 म०प०　　　　　[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मान्यवर, आडवाणी साहब ने दो बातें कहीं । एक तो उन्होंने यह कहा कि इस विधेयक के लाने के पीछे अल्पसंख्यकों को अपने हक में मत के लिए प्रेरित करने की इनकी इच्छा है । उसका उदाहरण उन्होंने दिया, जैसा मैंने कहा कि घोषणापत्र में हम इसके लिए वचनबद्ध हैं । उसके आधार पर हम यह चीज ला रहे हैं ।

दूसरी बात उन्होंने बेग साहब की कही और उसका उदाहरण दिया । सर्वप्रथम मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैंने वह वोट के लिए नहीं प्रस्तुत किया है । वोट मिले या नहीं मिले, हमने इसको अपने घोषणापत्र में रखा है । सभी दलों के लोग जो बातें अपने घोषणापत्र में रखते हैं, उसकी पूरा करने की बात सोचते हैं । भारतीय जनता पार्टी के पास भी उसका अपना घोषणापत्र है । अब यह बात दूसरी है कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने

[श्री सीताराम केसरी]

कोई घोषणा नहीं की । मैंने इस बिल को यहां प्रस्तुत किया अपनी पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए और इसलिए मुझे इस पर गर्व है और गर्व के साथ कहता हूं कि मैं इन बातों को पूरा करूंगा ।

दूसरी बात, जहां तक बैग साहब का आपने उदाहरण दिया, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आपने पढ़ा नहीं है या मुझे समझाया नहीं गया है या मैं आपसे कम पढ़ा हुआ हूं। क्योंकि मैं तो कभी अभिमान नहीं करता हूं कि मैं बुद्धिजीवी हूं, विद्वान हूं, ज्ञानी हूं। मैं तो 1929 में चलकर पैदल यहां आ गया । मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं यहां आऊंगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बैग साहब ने कई चीजें इसमें कही हैं । उन्होंने कुछ बातों का सुझाव भी दिया है । एस०सी० एस०टी० की सब-कमेटी की बात कही है, मानवाधिकार के लिए सब-कमेटी की बात कही है, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अंदर यह बात है । अब मैं बुनियादी बातों पर आता हूं ।

आप सबने कहा, मेरा कोई आरोप किसी पर नहीं है, इस देश में जो घटनाएं घटती हैं, उनको बौद्धिक स्तर पर विश्लेषण करना चाहिए । मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में यह समझा जाए कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूं । मेरा कहना यह है कि यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई ? सर्वप्रथम तो मैं यह कह दूं कि 1978 में आपने भी यह आयोग बनाया था और आपने कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव भी रखा था, मगर रिक्वायर्ड संख्या में मैम्बर उपस्थित नहीं होने की वजह से आपका यह प्रस्ताव गिर गया था । इसलिए जहां तक आपकी इस आयोग के निर्माण की बात है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यह ठीक है कि इसमें राजनीतिक उद्देश्य सोचा गया । चूंकि राजनीति यथार्थ के आधार पर है, बुद्धि के आधार पर है इसलिए सत्ता में आने और सेवा करने की बात ठीक है । मेरे दिल में किसी के प्रति यह भावना नहीं है कि आप देश के प्रति नहीं सोचते हैं, मगर सोचने का तरीका अलग-अलग है । अब जैसे आपने राम का रथ निकाला । मैं विश्लेषण दे रहा हूं । आप मंदिर बनाइए, कहीं पर भी बनाइए, वह अपनी जगह पर है। मगर कभी आपने सोचा कि जिस समय राम का रथ सोमनाथ मंदिर से चला उस समय तकरीबन 10 करोड़ मुसलमानों के परिवारों के कलेजे पर वह राम का रथ चल रहा था। इसका उदाहरण हम देते हैं। वोट लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका है हाथ जोड़कर वोट लेने का और दूसरा तरीका भय पैदा करके वोट लेने का है।... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : कोई मौके आ सकते हैं कि इस प्रकार का भाषण भी चलेगा । लेकिन अल्पसंख्यक आयोग पर जब हम विचार कर रहे हैं तब अगर उत्तर का स्तर यह होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, इसको भी सोचिए । जबकि मैं यह जानता हूं कि उस रथ यात्रा के समय इतने मुसलमान मुझे मिलते थे जो सुनने के बाद कहते थे कि हमारी धारणा तो बिल्कुल दूसरी थी, लेकिन आपको सुनने के बाद हमारी आशंकाएं दूर हो गई । मेरा कहना यह है कि आज हम उसको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।

अगर अल्पसंख्यक आयोग के बारे में मेरे तर्कों को छोड़ दीजिए, जो तर्क बी० डी० बसु ने दिए हैं, जो तर्क जसटिस बेग ने दिए हैं, जो तर्क बी० शिवराम ने दिए हैं, मैंने तो बहुत कम तर्क दिए। मैं तो समझता हूं कि इनकी गवाही मेरे लिए काफी है। इनका जवाब दे दें तो काफी होगा .... (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी: आडवाणी जी ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अमुक बुद्धिजीवी ने यह बात कही, अमुक बुद्धिजीवी ने यह बात कही। आडवाणी जी से मेरा निवेदन है कि विभिन्न हाई कोर्टों का निर्णय ले लीजिए, हर बुद्धिजीवी एक ही तरह का निर्णय नहीं देता है, डिफरेंट निर्णय देता है। आपने एक उदाहरण दे दिया, मैं दूसरा उदाहरण दे दूं। मैं तो आज की मौजूदा परिस्थिति में एक बात बोलना चाहता हूं। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है, आप जो समझें, जिस तरह की बात समझें, यह बात ठीक है कि मेरी बात धरती से जुड़ी हुई लगेगी, आसमान में उड़ी हुई नहीं लगेगी। इसमें बौद्धिक बातें नहीं मिलेंगी आपको मगर व्यवहारिक और यथार्थ परिणाम जो मैंने देखा है वह मैं बता रहा हूं ।...(व्यवधान) अल्पसंख्यकों को प्रोटैक्शन क्यों देना चाहिए मैं इसलिए बोल रहा हूं। बिहार में आपकी गिरफतारी हुई तो वहां हिन्दू-मुसलमान एक हो गए। सब हार गए। मेरा कहना है कि आपने भी वही काम किया, भय का आधार पैदा किया, प्रेम का आधार पैदा नहीं किया।...(व्यवधान) अगर भय पैदा नहीं करते तो यह परिस्थिति पैदा नहीं होती।..... (व्यवधान) अगर श्री वी०पी० सिंह और मुलायम सिंह मिल जाते तो आपकी भी वही दुर्गति होती तो बिहार में हुई है। ...(व्यवधान) यथार्थ बहुत भयंकर होता है, भावना से काम नहीं चलेगा, भावना से आप एक चुनाव जीत सकते हैं। मगर यथार्थ को देखें कि किस तरह कौम किधर-किधर जा रहा है। मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं कि सामाजिक समीकरण किस तरह हो रहा है ......(व्यवधान)..... माफ कीजिएगा अल्पसंख्यक, हरिजन और आदिवासी व पिछड़े वर्ग का समीकरण हो रहा है और कोई उसे नहीं रोक सकता है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा ? हमारी गलती हो सकती है, मैं नहीं कहता कि हमारी गलती नहीं है। जो उन्होंने नौकरियों की तालिका दी, वह दुखद है--चाहे किसी दल की सरकार के अन्तर्गत हुआ, मगर दुख की बात है। उनका इसमें समीकरण नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, सज्जनों, भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं .....(व्यवधान).... सुनिये, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज से 1200 वर्ष पूर्व क्या हुआ, इस देश में 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, इस देश में आज से 100 बरस पहले क्या हुआ, आज से 60 वर्ष पहले क्या हुआ ? आरक्षण का प्रश्न एक नया प्रश्न नहीं है और एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सब के सामने आ गया है। हमारे मित्रों ने आरक्षण का मामला छोड़ दिया है, ऐसा लगता है। आप सामाजिक जस्टिस का प्रश्न मत छोड़िये, किसी और चीज में तथ्य नहीं है, देश का हित इसी में है। समाज में सामाजिकरण हो, सौहार्द आये, धार्मिक सद्भावना पैदा हो, धार्मिक भावना बने......
(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा): आप मंत्री बन गये हैं, इसलिए आपने इसको छोड़ दिया है।

श्री सीताराम केसरी : मंत्री-संतरी का सवाल नहीं है । आप वहां हैं, हम यहां हैं, यह प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि आज मुल्क की जो अवस्था है, उसको आप यहां से देखिये । भय का वातावरण समाज से दूर होना चाहिये । माईनोरिटी कमीशन क्यों आपके पास लेकर आये हैं, इसको आप अच्छी तरह से जानते ही हैं । आज मेरा विश्वास बढ़ गया है । इनके ऊपर खतरा बढ़ गया था और इन्हें पूरा हक नहीं मिल रहा था। इस वजह से इसे लाना पड़ा । जिस किसी वजह से भी हो लेकिन मैं 50 बरस से देखता आ रहा हूं, मैं पढ़ता हुआ नहीं आ रहा है, देखता हुआ आ रहा हूं, मैंने 1947 का कत्ले-आम देखा है, इसी चश्मे से देखा है । मैं जानता हूं कि आप की एक विचारधारा और हमारी दूसरी विचारधारा है । दो विचारधाराओं का टकराव हमेशा होता रहा है और होता रहेगा । जब तक मुसलमान भाई भय से वोट देते रहेंगे तब तक कम्युनल रॉयट्स होते रहेंगे । इसलिए हम सब को सोचना चाहिये कि किस तरह से सौहार्द का वातावरण बना रहे ।

. . .

इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मैं विशेष भाषण देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैंने आपको पहले बताया ही है कि क्यों देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई । 1989 में आप लोगों ने भी विश्वनाथ प्रताप जी का हाथ पकड़ कर मुसलमानों के वोट प्राप्त किये . . . . . **(व्यवधान)** . . . . आपको हम से ताकत नहीं मिली है । गैर कांग्रेस के साथ रहने की वजह से आपको ताकत मिली । हमारे और आपके राजनीतिक सामाजिक, वैचारिक और आर्थिक व्यवस्था में गहरे मतभेद रहे हैं और रहेंगे। किसी हालत में सामंजस्य नहीं रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं । मगर गैरकांग्रेसवाद के झण्डे के नीचे आप आये हैं और गैरकांग्रेसवाद के झण्डे के नीचे आ सकते हैं, हमारे झण्डे के नीचे नहीं आ सकते हैं। सम्भव है कि यह ज्ञान विश्वनाथ जी को आज पूर्ण रूप से है। उन्होंने आपको समझ लिया है, शायद वह आपके साथ अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे यह मेरा विश्वास है। . . . . **(व्यवधान)** . . . . राजनीति हमेशा बदलती रहती है। मैंने कहा राजनीति यथार्थ की है, कहीं गैरकांग्रेसवाद फिर उभरा, आप फिर लिपट जाओगे लेकिन आप हमारे साथ नहीं आ सकते हैं, हमारे और आपके गहरे मतभेद बने हुए हैं, क्योंकि यह लड़ाई सिद्धान्त और उसूल की लड़ाई है। हम तो कमीशन लाये हैं, लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे, यह तो हम गर्व के साथ कहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : हम तो चाहते हैं कि कमीशन लाओ लेकिन कमीशन खाना बन्द कर दो।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : किसका कमीशन लाएंगे, बोफोर्स का कमीशन लाएंगे या ए०बी०बी० का कमीशन लाएंगे, किसका लाएंगे ?

श्री सीताराम केसरी : मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान्यवर आपके द्वारा मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भाषण मैंने राज्य सभा में सुना, हमें खुशी है उस दिन का

भाषण सुनकर। अटल जी ने राज्य सभा में अपने भाषण में कहा. उन्होंने कहा कि रथ राम का नहीं है . . . (व्यवधान) . . . . मैंने गौर से सुना था . . . (व्यवधान) . . . अब मुझे मालूम हुआ . . . (व्यवधान) . . . . देखिये, जो बातें मैं कह रहा हूं सिकाई की बात है. हवा में मत उड़िये, मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि, देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही थी सारे राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के बीच में एक भयातुर अवस्था थी और अगर भयातुर अवस्था नहीं होती तो आपका मंदिर बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपने प्रारम्भ बड़े गलत ढंग से किया, आपके दिल में खोट था, आपके दिल में राम की पूजा नहीं थी। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि सोमनाथ से रथ चलाकर सारे देश में आप घूमते, आप सीधे राम का मंदिर बनाते और एक बार दुख के साथ यह कहनी पड़ती है कि 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कौन सी भारतीय संस्कृति में ऐसी बात है, कौन सी हिन्दु संस्कृति में ऐसी बात है कि 500 वर्ष पहले न जाने कौन आया, बाबर कौन था, डाकू था इस्लाम था, खुदा था, पैगम्बर था, क्या था, अब उसका बदला हम किससे ले रहे हैं, उनके बच्चों से, उनके लड़कों से, वंशजों से? पता है कि आप से पहले कौन हुआ . . . . (व्यवधान) . . . .

श्री सैयद मसूदल हुसैन : रथ तो उन्होंने बाद में चलाया, पहले तो आपके ताला खोलने के बाद ही यह गड़बड़ शुरू हुई। ताला तो आपने ही खुलवाया, देश में आग तो आपने ही लगवाई।

श्री सीताराम केसरी : एक चीज देखिये, सद्भावना का वातावरण पैदा कीजिए, आप भूल जाइये और अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस तरह से भय को अवस्था पैदा करके इतने बड़ी संख्या को अलग रखेंगे तो आप गलती पर हैं। आज एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, 1952 में जब पहला पोल हुआ तो लोगों ने बिहार के डा. श्रीकृष्ण सिंह से कहा कि वोट 99 परसेण्ट मुसलमानों ने दिया है, श्रीकृष्ण बाबू ने कहा, यह वोट गलत हुआ है। लोग आश्चर्य करने लगे कि क्यों हुजूर, ऐसा क्यों, कहते हैं इसलिए कि वोट स्वतन्त्र माइण्ड का नहीं है, यह डरा हुआ वोट है . . . यह डरा हुआ वोट है। देखिए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, डरा वोट मत लीजिए। . . . (व्यवधान) . . . इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए। जो वोट डर कर आए, जनतन्त्र के लिए वह दुखद है और अशोभनीय है।

एक माननीय सदस्य : यह भय आप पैदा कर रहे हैं।

श्री सीताराम केसरी : भय आप पैदा कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं . . . . (व्यवधान) . . . . ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि सोसायटी विभाजित हो रहा है। समाज में जागरण है। पिछड़ी जातियों को देखिए। अनुसूचित जातियों को देखिए, यह लहर दौड़ रही है। लहर वर्टिकली सोसायटी को दो भागों में बांट रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सोशियल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सोसायटी से कम्प्रोमाइज कीजिए। एक दूसरे को समझिए और एक दूसरे की भावनाओं तथा धर्म के प्रति सहानुभूतिपूर्वक समझिए। विशेषकर जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका कर्तव्य हो जाता है कि अल्पसंख्यकों के प्रति उदार हों, जनरस हों और कहें कि हम इतना देंगे और नहीं देंगे तथा इससे ज्यादा मदद करेंगे। मगर यह बात नहीं है। . . . . (व्यवधान) . . . .

एक माननीय सदस्य : देश का विभाजन कर देंगे। ....(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम केसरी : देश का विभाजन आप जानते हैं, देश का विभाजन किसी ने नहीं किया। ....(**व्यवधान**).... सुनिए, मैं बोलता हूं .... (**व्यवधान**)....

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : जिन्होंने कहा देश का विभाजन नहीं होगा उन्होंने ही देश का विभाजन करवाया। ......(**व्यवधान**).. भिंडरावाले को किसने पैदा किया—आपने। घीसिंग को किसने पैदा किया—आपने। .... (**व्यवधान**) .... आपकी कांग्रेस पार्टी ने जिस पर यह कलंक लगा हुआ है इस देश के विभाजन का ... (**व्यवधान**)... इस देश का विभाजन करने वाले आप हैं। ...(**व्यवधान**) ...

श्री सीताराम केसरी : कांग्रेस अगर नहीं लड़ी होती तो यह संसद नहीं होता। स्वाधीनता यहां नहीं होती आजादी नहीं आती। अगर गांधी जी नहीं होते, नेहरू जी नहीं होते, तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई होती। जिस गांधी ने विरोध किया उसी गांधी की हत्या हुई ...(**व्यवधान**)... जिस गांधी ने विरोध किया उसी गांधी की हत्या हुई, औरों की क्यों नहीं हुई (**व्यवधान**)...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : गांधी के हत्यारे का स्टैचू लगाने वाले को आपने महाराष्ट्र में मिनिस्टर बनाया। ....(**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी : मैं आपको बताता हूं। कौन-कौन किसको बनाया, वह बाद की बात है। आपने इतिहास ...(**व्यवधान**)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : स्टैचू लगाने वाला आपकी पार्टी का महाराष्ट्र में मिनिस्टर है। उसने नाथुराम गोड्से की स्टैचू लगाने की बात कही है। उसको आपने मिनिस्टर बनाया है। ...(**व्यवधान**) .

श्री सीताराम केसरी : मेरा मुंह मत खुलवाइए। .. (**व्यवधान**) .

श्री हरिन पाठक : महाराष्ट्र में मिनिस्टर है। ...(**व्यवधान**) ...

श्री सीताराम केसरी : मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। वह कांड खत्म हो गया।

श्री राम विलास पासवान : मुंह खोलिए। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सीताराम केसरी : मुझे अपना मुंह खोलने पर मजबूर मत करें। मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरा काम भी है। मैं समझता हूं, हमने इस पर चर्चा कर ली है। हमारे पास कार्य-सूची में कुछ दूसरे कार्य भी हैं।

मुझे मंत्रीजी से एक अनुरोध करना है कि वे अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

दूसरा, समय तथा सभा के सामने लम्बित विधेयकों को अपने ध्यान में रखें।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, आप कृपया उनसे अल्पसंख्यक आयोग पर बोलने को भी कहें।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। मुझे भी तो देखिए, मैं कोई उस रास्ते तो नहीं आया हूँ। . . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुनायें, तो आपको नहीं सुनायेंगे।

श्री सीताराम केसरी : मैं इतना ही कहता हूं। गौड्से का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने यह कहा कि गांधी जी विभाजन के विरोधी थे, उनकी हत्या हुई। उसके बाद वे बोले और मैंने कहा इस मामले में मेरा मुंह मत खुलवाइए, बहुत सारी बातें हैं। मगर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी और के कहने में न आइए। आप कृपया अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : माननीयवर, मेरा आपसे निवेदन है कि माइनोरिटी कमिशन को भारतीय जनता पार्टी, जब जिस समय उनके मंत्री यहां थे जनता पार्टी में उन्होंने लाया। इतना ही नहीं कांस्टीट्यूशन बदलने का भी, परिवर्तन करने का भी एक बिल लाया मगर चूंकि रिक्वायर नं० नहीं रहने की वजह से वह फेल हो गया। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किस परिस्थिति ने उनको विवश किया, इसका विरोध करने के लिए, मैं तो उम्मीद करता था कि इसका वे समर्थन करेंगे। लेकिन बजाए समर्थन के ये विरोध कर रहे हैं। मुझे इसकी शिकायत नहीं है। हर पक्ष की, हर दल की अपनी-अपनी एक राय होती है मगर आपसे एक निवेदन है कि इस देश का जो स्ट्रक्चर है, जो सोसायटी है, जिस तरह से समाज में एक अवेयरनेस आ रहा है और एक-दूसरे के जो विशेष कर 1947 के डिवीजन के बाद इस देश के मुसलमानों में कुछ चंद मुसलमान जो हम देख रहे हैं, ये उसके नेता नहीं हैं, लाखों और करोड़ों मुसलमान जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान को, वे बेचारे आज क्लास सैकिंड सिटीजन की तरह व्यवहार किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज . . . (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं, कि एक मसाला बोल रहे हैं विश्व भर में ऐसे लोग हैं जो बदनाम करते रहते हैं, भारत को, यह कह करके कि यहां

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

पर अलपसंख्यकों को सैकिंड क्लास सिटीजन माना जाता है और उनके अपने-अपने देशों में जैसी हालत है वह सारी दुनिया जानती है और आज सरकार का मंत्री यह वक्तव्य दे रहा है। (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैंने यह नही कहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभी को बराबर का नागरिक बनाया है कोई पहले दर्जे का नागरिक नहीं, कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं चाहे वह किसी भी मजहब का हो।

श्री सीताराम केसरी : मैं चाहता हूं कि जिस तरह से दूसरे उपेक्षित, असमानित समाज के लोग हैं उनका भी उस स्तर पर व्यवहार न किया जाये। (व्यवधान) उनके साथ जिन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है वह व्यवहार सैकिंड क्लास का है। मैंने नहीं कहा है। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने हमेशा इन लोगों का सपोर्ट किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : इनका ऐतिहासिक भाषण है हम लोग इनको बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : केसरी जी, यह बहुत अच्छा बिल आपने लाया है। इस बिल से माइनोरिटिस को क्या-क्या मदद मिल सकती है और उससे क्या-क्या हो सकता है। आप पिछली बातें छोड़ दीजिए।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यह आपने सारे जो कार्यक्रम किए हैं यह उसका समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। (व्यवधान) सच्ची बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, जो वास्तविकता है उसको मानने को तैयार नहीं हैं, इस में क्यों इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई इसको मानने को तैयार नहीं है और क्यों यह बिल आ रहा है उसको मानने को तैयार नहीं हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके द्वारा कि यह जो माइनोरिटी कमीशन को स्टैटूटरी स्टेटस देने के लिए मैंने विधेयक रखा है, इस विधेयक का सभी का समर्थन करना चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कि अगर सद्भावना नहीं हुई, अगर लोग मिल कर नहीं रहे और इसी तरह से एक दूसरे के धर्म पर प्रहार होता रहा तो मैं बता देना चाहता हूं, मुझे विश्वास है और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा न हो की सोसाइटी टूट जाए। इसलिए मैं बार-बार सचेत करता हूं सतर्क करता हूं हृदय से, मैं कभी नहीं चाहता कि किसी दल मे किसी तरह की समाज में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना हो। जब तक सद्भावना नहीं होगी, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं होगी, जब तक सदाशयता नहीं होगी, छोटे भाई को बड़े भाई का प्यार नहीं मिलेगा तब तक कैसे सम्भव है सोसाइटी एक रहेगी और देश एक रहेगा।.. (व्यवधान)...

जो भाई कुछ संशोधन लाए हैं, मेरा निवेदन है कि वे उन्हें वापिस ले लें। मुझे एक कहानी याद आ गयी, कहानी यह है कि एक लड़की वाले ने अपनी लड़की की शादी में सभी चीजें दे दीं, घोड़ा, हाथी, सभी कुछ दे दिया, अब रास्ते में कहीं ठहरना पड़ा तो लड़के वाले कहने लगे कि लड़की वालों ने एक चीज नहीं दी, खूंटा नहीं दिया। तो सभी चीजें इसमें मौजूद हैं। कौन सी चीज इसमें मौजूद नहीं है? ... (व्यवधान) ..

मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने संशोधन दिए हैं वे अपने संशोधन वापिस ले लें। मेरा निवेदन है कि इन्क्वायरी आफ कमीशन और माइनोरिटी कमीशन में फर्क है। इन्क्वायरी ऑफ कमीशन में सिर्फ एक चीज के लिए इन्क्वायरी की जाती है। कोई भी इन्क्वायरी कमीशन बैठता है, मान लीजिए मर्डर पर बैठता है, किसी गड़बड़ पर बैठता है, इन्क्वायरी कमीशन सिर्फ एक सब्जेक्ट पर इन्क्वायरी कर सकता है, मगर माइनोरिटी कमीशन सभी चीजों की इन्क्वायरी कर सकता है, किसको चाहे बुला सकता है, इन्क्वायरी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, इसमें सिविल कोर्ट का राईट पूरा है।

जहां तक आपने माइनोरिटी कमीशन की अवधि के बारे में कहा है कि यह तीन साल रहे। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। यह हमने मान लिया है। जहां तक 5 या 6 की बात कही है, 5 आलरेडी हैं हो और दो में से एक माइनोरिटी की तरफ से होता है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आप नया एक्ट बना रहे हैं। अभी महिला कमीशन बनाया, महिला कमीशन में यह नहीं दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि एक भी माइनोरिटी से महिला नहीं ली गयी। इसलिए मेरी सीधी मांग है कि पांच के बदले आप छः कीजिए। छः माइनोरिटी के रहेंगे और एक अलग रहेगा।

श्री सीताराम केसरी : यह तो मैंने कह दिया है। पांच तो रहेंगे, दो में से मैंने कहा कि एक माइनोरिटी में से लिया जाता है। इसलिए छः हो जाते हैं। इसमें आपको दिक्कत क्या है?

श्री राम विलास पासवान : लेकिन बिल में ऐसा नहीं है।

श्री सीताराम केसरी : यह हम एस्योर करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : जब अमेंडमेंट है, एस्योर करने की बजाए इस अमेंडमेंट को अपना लीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री सीताराम केसरी : जहां तक आपके लोग हित का सवाल है, आपने उसमें कहा है कि अल्पसंख्यक की बात हो। यह भी अमेंडमेंट आपको दे दिया है। दो चीजें साफ कर दी हैं। ...... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : माइनोरिटी इंटरेस्ट और पबलिक इंटरेस्ट एक ही क्यों नहीं रखते हैं। माइनोरिटी कमीशन है तो माईनोरिटी इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते हैं।

श्री सीताराम केसरी : दोनों में अंतर नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : दोनों में अंतर नहीं है।

श्री सीताराम केसरी : आप मान लीजिए। झंझट में ज्यादा न जाए... **(व्यवधान)** इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अपने द्वारा रखे गए संशोधनों पर जोर न दें और इस विधेयक को पूर्ण बहुमत से पास करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव के संबंध में प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 2 को विचारार्थ और सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2—परिभाषायें

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 3

"अभिप्रेत है जो" **के पश्चात्**

"सम्पूर्ण संघ के संबंध में और एक या अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में" **अन्तःस्थापित किया जाए।** (4)

श्री राजगोपाल नायडू रामस्वामी (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अनुपस्थित।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2. विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 3—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन

श्री सैयद शाहाबुद्दीन: महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री राजगोपाल नायडू रामस्वामी: महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 2, पंक्ति 11—

"छह" के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाए। (32)

श्री ई० अहमद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 2, पंक्ति 14—

"पांच" के स्थान पर "छह" प्रतिस्थापित किया जाए। (46)

अध्यक्ष महोदय: संशोधन संख्या 46 और 61 एक समान हैं। अतः, संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं श्री सैयद मसूदल हुसैन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री ई० अहमद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 46 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

6.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि खण्ड 3, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

13—1 LSS/ND/93

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 5 से 8 में कोई संशोधन नहीं है।

अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 9—आयोग का कार्यकरण

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 22—

"मूल्यांकन करना" के पश्चात् "और परामर्श देना" अन्तःस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 21—

"के" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"शैक्षणिक तथा सामाजिक-आर्थिक" (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24—

"को मानिटर करना" के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"से संबंधित सभी मामलों की जांच, मानिटर और मूल्यांकन करना" (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26—

"केन्द्रीय" से पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जैसी भी स्थिति हो, की "अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी मामले के बारे में विशेषकर उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में समय-समय पर या विशेष प्रतिवेदन देना और ऐसे प्रतिवेदनों में" (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 27—

"कार्यान्वयन" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"और प्रवर्तन" (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 27—

"रक्षोपायों" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"आदेशों और उपायों" (13)

पृष्ठ 3, पंक्ति 27—

"संरक्षा के लिए" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"और उनके कल्याण तथा प्रगति के संवर्धन के लिए" (14)

पृष्ठ 3, पंक्ति 29,—

"को देखना" के स्थान पर "की जांच करना" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

पृष्ठ 3, पंक्ति 29—

"मामलों को" के पश्चात् "उनके हल के लिए" अन्तःस्थापित किया जाए। (16)

पृष्ठ 3, पंक्ति 30—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"तथा अन्तर्ग्रस्त साधारण मामलों का अध्ययन करना;" (17)

पृष्ठ 3, पंक्ति 35,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"तथा अल्पसंख्यकों की दशा के सम्बन्ध में जानकारी के लिए एक राष्ट्रीय निपटान गृह के रूप में कार्य करना;" (18)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित नीति के सभी मामलों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को सलाह देना;" (19)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41—

"सरकार" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"या राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन" (20)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10–11—

"के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग)" का लोप किया जाए। (21)

[हिन्दी]

इसके बारे में बुनियादी सवाल यह था जो हम लोगों ने मिनिस्टर साहब के सामने रखा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि जो फंक्शंस इस कमीशन के दिए हुए हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमीशन के हैं, और जो पहले माइनोरिटीज कमीशन को रिजोलुशन के जरिए किया गया था उसके बीच में अंतर क्यों है। हम इसको नीयत पर शुबहा नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस कमीशन के वही फंक्शन होने चाहिए जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के फंक्शन हैं। जो दर्जा इसको दिया गया है और जो पहले इसको दिया गया था उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप इसको करिए, हम मदद करेंगे। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन को पावर दी है संविधान बदलकर लाइए हम इसमें मदद करेंगे।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राईब्स के अन्तर में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एक्जिस्टिंग है। साथ साथ ट्राईबल प्लान भी है। इसमें अब प्रावधान नहीं है, जब होगा तब फिर आएगा।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 21–22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

(क) "अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना।" (36)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"तथा इस प्रयोजन के लिए अपने ऐसे मामलों पर, ऐसे रूप में तथा ऐसे अन्तरालों में जो समय-समय पर विह्वित किए जाएं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।" (37)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24,—

"को मानिटर" के स्थान पर

"से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच तथा मानिटर करेगा।" (38)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24,—

"को" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"सरकार के किसी आदेश के अन्तर्गत मानिटर करना तथा ऐसे सुरक्षोपाय के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।" (39)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

(ग) तथा केन्द्रीय के बीच में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी मामले पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो से आवधिक या विशेष प्रतिवेदन तथा विशेष रूप से उनके समक्ष आई कठिनाइयों के सम्बन्ध में" (40)

पृष्ठ 3, पंक्ति 30, के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"तथा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी प्रकार के पक्षपात से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना तथा इन्हें दूर करने के लिए समुचित प्रक्रियाओं की सिफारिश करना।" (43)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 22,—

"मूल्यांकन" के स्थान पर "निर्धारण तथा परामर्श" प्रतिस्थापित किया जाये। (48)

पृष्ठ 3, पंक्ति 24,—

"कार्यकरण को मोनिटर" के पश्चात् "मूल्यांकन" अन्तःस्थापित किया जाये। (49)

पृष्ठ 3, पंक्ति 26,—

"केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों" के पश्चात् "या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी संस्थान" जोड़ा जाये। (50)

पृष्ठ 3, पंक्ति 32,—

"अध्युपायों" के स्थान पर "कदम" प्रतिस्थापित किया जाये। (52)

पृष्ठ 3, पंक्ति 33 के अन्त में, —

"तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कल्याणकारी उपायों को सुझाना", जोड़ा जाये। (53)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41, —

"केन्द्रीय सरकार" के पश्चात् "या कोई राज्य सरकार" जोड़ा जाये। (54)

संशोधन संख्या 50 के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। यह सार्वजनिक उपक्रमों तथा अर्ध-सरकारी निकायों से जानकारी प्राप्त करने के आयोग के अधिकार के संबंध में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आयोग को सार्वजनिक उपक्रमों तथा अर्ध-सरकारी निकायों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता तो आयोग प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकेगा। अतः मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 3, पंक्ति 42 के पश्चात्—

"(क) सभी अल्पसंख्यक समुदायों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना, सभी अलगाववाद तथा भेदभाव को समाप्त करना तथा उनमें समानता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना ;

[प्रो० रासा सिंह रावत]

(ट) बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करना; तथा

(ठ) देश भक्ति तथा एकता को प्रोत्साहन देना।" (60)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुलेमान सेट जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 21 और 22,—

के स्थान पर "संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा उसके बारे में परामर्श देना," प्रतिस्थापित किया जाये। (64)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी, क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं?

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 42 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"(जज) समान सिविल संहिता की आवश्यकता सहित अल्पसंख्यकों में संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के पक्ष में चेतना पैदा करना।" (74)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज के आर्टिकल-44 में

[अनुवाद]

"राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा" लिखा है।

[हिन्दी]

मेरा अमेंडमेंट जो है, वह इस पर है। मैंने कहा कि जो इसका फंक्शन होगा, उसमें यह फंक्शन भी जोड़ा जाए यानि माईनारिटीज कमीशन का जो होगा

[अनुवाद]

"राज्य के नीति-निर्देश सिद्धांत के पक्ष में तथा समरूप सिविल संहिता की आवश्यकता के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों में चेतना पैदा करना, जैसा कि संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने कहा है और मैं जिसे यहां पर क्वोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

"सामान्य सिविल संहिता के अधिनियमन को एक तरह से नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिकल्पना के अनुसार आधुनिक, धर्म-निर्पेक्ष समाज का मूलभूत आधार कहा जा सकता है।"

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करें। यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार है और मुझे विश्वास है कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 42 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"(ज) अल्पसंख्यकों में संविधान के निदेशक तत्वों विशेषकर समान सिविल संहिता के संबंध में अनुच्छेद 44 के बारे में चेतना पैदा करना।" (75)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल कामन सिविल कोड भारत के सब नागरिकों के लिए हो, ऐसा श्री केसरी साहब ने अपने उद्बोधन में कहा और उन्होंने कहा कि भाई-भाई की तरह उनमें अन्तर न हो तो मैं चाहता हूं कि कामन सिविल कोड की धारा 44 को स्वीकार कर लें क्योंकि जैसा उन्होंने जिक्र किया कि नेहरू जी व अन्य इस संविधान के निर्माणकर्ता थे और उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इसमें रखा और कहा कि भारत के सब नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार सिविल कोड में रहें तो यदि इसको स्वीकार कर लिया जाएगा तो जो शाहबानो जैसा कुत्सित, घृणित काण्ड हुआ, उसके कारण देश पर काला धब्बा लगा, कालिख लगी तो इससे यह कालिख मिट जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि जैसा उन्होंने भाईचारे की बात की है, इसको स्वीकार कर लें।

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : महोदय, मैं श्री लोढा जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, संशोधन संख्या 21 पर अलग मतदान करवा चाहिए। श्रीमान, संशोधन संख्या 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आयोग के कार्य को सीमित करता है और यह आयोग का सार है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चाहते हैं कि आपका संशोधन संख्या 21 अलग से मतदान के लिए रखा जाय?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री सैयद शाहबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत खण्ड (9) के संशोधन संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 8 से 20 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री सैयद शाहबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधन संख्या 21 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री सैयद मसूदल हुसैन द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधन संख्या 36, 37, 38, 39, 40 तथा 43 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 36 से 40 तथा 43 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री ई० अहमद द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधन संख्या 48, 49, 50, 52, 53 तथा 54 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 48 से 50 तथा 52 से 54 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधन संख्या 60 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 60 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब इब्राहिम सुलेमान सेट द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधन संख्या 64 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 64 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: मैं अब प्रो० प्रेम धूमल द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधन संख्या 74 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 74 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री गुमान मल लोढ़ा द्वारा प्रस्तुत खण्ड 9 के संशोधन संख्या 75 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 75 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: खण्ड 10 और 11 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 10 और 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामस्वामी जी, क्या आप खण्ड 12 में आपने संशोधन को प्रस्तुत करेंगे?

श्री राजगोपाल नायडू रामस्वामी: मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: खण्ड 13 से 16 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 13 से 16 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामस्वामी जी क्या आप अनुसूची में अपना संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करेंगे?

श्री आर० रामस्वामी: जी नहीं; मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम खण्ड 1 पर चर्चा करेंगे। श्री सैयद शहाबुद्दीन, श्री मोहन सिंह, श्री रासा सिंह रावत और डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी ने संशोधन प्रस्तुत किए थे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, मैंने जो अमेंडमेंट दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका जो अमेंडमेंट है, वह आइडेंटिकल है, मैं आ रहा हूं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं कहना चाहता हूँ कि जब सभी दलों के माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा है, सत्ता पक्ष की ओर से भी स्वीकार किया गया है कि जम्मू-कश्मीर को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, तब सरकार को आपत्ति क्या है। जब सभी दलों के माननीय सदस्य ऐसा कह रहे हैं तो मेरे अमेंडमेंट को मान लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सरकार को। मेरा संशोधन काफी महत्वपूर्ण है।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष जी, मेरा भी यही कहना है कि बिल जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होना चाहिए।

[अनुवाद]

खण्ड 1--संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 7,--

"जम्मू-कश्मीर राज्य के अलावा" का लोप किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 55, 58 तथा 73 एक जैसे ही है। अतः उनको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 1 के लिए संशोधन संख्या 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी जिस समय उत्तर दे रहे थे, नीतीश कुमार जी ने बीच में टिप्पणी की थी कि आज यह सदन एक ऐतिहासिक भाषण सुन रहा है। इतिहास आशा भी जगाता है, इतिहास निराशा भी करता है और मुझे खेद से कहना पड़ता है कि आज जो ऐतिहासिक भाषण हमने सुना, उससे मेरे दल को गहरी निराशा हुई है।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : बड़ा लुत्फ आया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लुत्फ की बात तो छोड़िए, लुत्फ लेने वाले जो हैं, वे आशा और निराशा सब बातों में लुत्फ लेंगे, लेकिन मैं यह मानता हूं कि अच्छा होता अगर यहां सब पहलुओं पर चर्चा होती। यहां तक कि यहां से जो सदस्य समर्थन कर रहे थे, इस विधेयक का, उन्होंने भी कई ऐसे सुझाव दिए थे, कई ऐसे प्रस्ताव दिए थे, मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा कि मैंने जब शाहाबुद्दीन साहब का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिन्दुस्तान में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में कोई एक विशिष्ट सम्प्रदाय नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश में कई प्रदेश हैं और कम से कम 4 या 5 प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और कहीं पर कोई अल्पसंख्यक है, कहीं पर कोई अल्पसंख्यक है और यह एक प्रमुख तर्क था, जो जस्टिस बेग ने दिया था जिसके कारण उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक आयोग की ऐसी कल्पना करना कि जिसमें केवल मुसलमान, ईसाई, पारसी या सिख, या ये जो 4–5 सम्प्रदाय हैं, वे ही अल्पसंख्यक माने जाएंगे और हिन्दू बहुसंख्यक माने जाने के कारण कश्मीर में भी उनकी जैसी दुर्दशा होती है या किसी और प्रान्त में दुर्दशा होती है, तो अल्पसंख्यक आयोग उनकी चिन्ता नहीं करेगा, यह परिस्थिति बदलने के लिए ही मेरा सुझाव है कि अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग खड़ा किया जाए। यह तर्क उन्होंने दिया था। बहुत वजनदार तर्क था और बिना शब्दों के हेर-फेर के था।

शाहाबुद्दीन साहब की बात मैं समझ सकता हूं, अल्पसंख्यक आयोग का नाम ज्यों का त्यों बनाने का उनका आग्रह हो, लेकिन जब व्यावहारिक रूप से एक सुझाव दिया, अगर

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

मंत्री जी उसको स्वीकार कर लेते और कहते कि मैं इसकी कल्पना यह करता हूँ कि हिन्दुस्तान में सभी सम्प्रदाय, जितने भी वर्ग हैं, किसी के साथ भी अन्याय होगा, जिस किसी के साथ भी डिस्क्रीमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, तो यह आयोग उसकी चिन्ता करेगा, तो सार रूप में मानवाधिकार आयोग की कल्पना स्वीकार की जाती।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत गहरी निराशा है, वे अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं और उनके भाषण से मेरे मन की आशंका और पुष्ट हुई कि यह सिवाय वोट की राजनीतिक के और कोई कोई बात नहीं है, तो मुझे तो इतनी चिन्ता हुई इनका भाषण सुनकर कि कल मैंने डॉ०डी० बसु का उदहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों बड़ी खतरनाक मांगें खड़ी हुई हैं। एक मांग है---अल्पसंख्यक आयोग को स्टेट्यूटरी दर्जा देने की और दूसरी मांग है अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की।

आज का भाषण सुनकर मुझे चिन्ता होने लगी कि यह जो पहला कदम उठाया है, उससे बढ़कर के आरक्षण की ओर यह सरकार न जाए, केवल वोट की राजनीतिक के कारण।

अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर की बात तो सभी सदस्यों ने कही, लेकिन इस सरकार में इतना साहस भी नहीं हुआ कि शाहबुद्दीन साहब और पाण्डेय जी और बाकी सदस्यों ने यह जो सुझाव दिया कि वजाज वन में सारे देश भर में यह विधेयक लागू होगा, अल्पसंख्यक आयोग का जो विधेयक है, वह कश्मीर पर लागू नहीं होगा, इस पोरशन को हम काट देते, तो यह साहस भी सरकार ने नहीं दिखाया। इसलिए अध्यक्ष जी, इस विधेयक के पारित होने से हमारा दल सम्बद्ध नहीं होना चाहता और इसलिए हम इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं।

[अनुवाद]

6.23 म०प० तत्पश्चात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।]

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक शेर जनाब सीताराम केसरी जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं :–

"क्या दे माज़ी गमे इमरोज उम्मीदें फरदा
कितने साये मेरे हमराह चला करते हैं।"

[अनुवाद]

इस भावी यात्रा में बीते क्षणों की यादें, वर्तमान दुख और हताशा तथा कल की आशाएं और आकांक्षाएं जैसी कितनी बातें सदैव मेरे साथ रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मंत्री महोदय निष्ठुर रवैया अपनाकर दुर्भाग्य से इस अल्पसंख्यक आयोग को ऐसे प्रतीक में घटाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके तहत उन्हें हमें असलियत बतानी चाहिए।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि वह ऐसा विधेयक लाए हैं।

वास्तव में, आयोग ने 13 रिपोर्ट दी हैं जिन्हें सभा के समक्ष नहीं रखा गया। इस विधेयक को अधिनियम रूप में पारित करने के बाद आयोग सरकार को रिपोर्ट भेज सकेगा और सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि इसे इस पुनीत सभा के समक्ष रखे। यह ऐसी बात है जिसे अल्पसंख्यक दो दशक के बाद प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस देश के लोगों से वायदा किया था कि वे अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक दर्जा रखेंगे। लेकिन जब वे सत्ता में आए तो वे इसे भूल चुके थे। इस समय हमें माननीय मंत्री को बधाई देनी चाहिए। इस समय हमें कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि इससे अल्पसंख्यकों को यह अच्छा सन्देश मिलेगा कि ऐसी सरकार है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करेगी।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : महोदय, मैंने अपने भाषण में माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे कुछ विवरण दें। मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे यह दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सीताराम केसरी जी ने जो व्यक्त किया कि समाज के अन्दर जिन लोगों को शिरकत नहीं मिली है आज वे शक्तियां जागृत हो रही हैं और अगर भारत को मजबूत बनाना है तो सबको एक शिरकत देनी होगी। तभी भारत मजबूत हो सकेगा। इसलिए जरूरी है कि जिन तबकों को शिरकत नहीं मिली है उनको शिरकत दी जाए। उससे देश मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा, बंटगा नहीं। उन भावनाओं का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि जो सामाजिक दृष्टि है उन्होंने उसके यथार्थ को पहचाना है और कहा है। इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक माईनोरीटीज का प्रश्न है, कोई बड़ी बहस में नहीं जाना चाहते, बहस हो चुकी है। जहां सुरक्षा एक चीज है, सुरक्षा का अहसास भी होना चाहिए। छत न गिरे लेकिन अहसास हो कि गिरने वाली है तो हम लोगों के चेहरे जर्द रहेंगे। उन्होंने जो बात कही, गैरियत की भावना से जो भय पैदा हुआ है उसका भी निराकरण करने की आवश्यकता है और इसको उन्होंने सही मायने में समझने की पहचान की है।

हम लोगों को आशाएं थी, अहमद जी ने जो बताया, वे हमारे मित्र हैं, हमदर्द हैं, वे सब समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है। इस दिशा में चलने में कोई

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

दो राय नहीं है। कुछ मजबूरियां थीं संस्थाओं के बारे में, हमने मांगा भी था कि संस्थाओं की मदद हो जाती। हमारी उम्मीद है कि आज हम वाली ऐनैक्टमेंट कर रहे हैं, शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राईब्स जो कमीशन है उसको राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने संविधान को बदलकर संवैधानिक दर्जा दिया था। यह मांग रही है कि इसको भी संवैधानिक दर्जा दें। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तो ऐनैक्टमेंट ला रहे हैं, इसको शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राईब्स कमीशन की तरह दर्जा देने के लिए आप संविधान में संशोधन ले आइए। हम अपने दल की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि संविधान को बदलने में हम आपका समर्थन करेंगे।

जहां पर कमीशन में इन सब चीजों के लिए आधार बन रहा है वहां पर माईनोरिटीज के केवल जज्बाती मामले ही नहीं बल्कि और भी मामलों में हमको ध्यान देना होगा। उनकी शिक्षा के बारे में यह है कि वे सबसे ज्यादा ऐजूकेशनली बैकवर्ड हैं। इधर से कहा जाता है कि माईनोरीटीज्म की अपीजमेंट पालिसी की गई है। नतीजा यह है कि आज एक फीसदी भी क्लास–1 सर्विस में नहीं है।

बैंकों में देखा जाए, जो ऋण दिया गया है वह केवल चार प्रतिशत तक पहुंचा है। क्या यह अपीजमेंट है? यह सही है, जो आपने कहा, अगर यह बना रहेगा तो दरार डालेगा और इस दरार को दूर करने की जरूरत है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगले सैशन में इसका संविधान बदलकर स्टेटूटरी स्टेटस देने का काम किया जाए, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे।

माईनारीटीज के इकानौमिक ईशुज हैं, इम्प्लायमेंट के हैं, हम कारपेट के नीचे बहुत दिन तक नहीं रख पाएंगे, उसको एजेंडा में रखकर सामने हाउस में लाना है।

तीसरा, माइनॉरिटीज कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, वह रेगुलर वे में सदन के सामने रखी जाये। बहुत दिन पहले हमने इसके बारे में आपसे कहा था, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं आई। उस पर बहस होनी चाहिये। उनके इकानमिक इशूज अटेंड करने की भी आवश्यकता है। कई चीजें हैं जो माइनॉरिटीज में इन्वाल्वड नहीं है। यह तो एक कदम है और अगले कदम की तरफ भी आप, अवश्य ही बढ़ेंगे।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : मैं कल्याण मंत्री को बधाई देता हूं कि वह अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाए हैं। फिर भी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें अनुसूचित जातियों की सभी सुविधाओं से ईसाई बनने पर इन्कार कर दिया जाता है। सारे भारत में दो करोड़ लोग अनुसूचित जातियों से ईसाई

बने हैं और उन्हें सभी विशेष सुविधाओं से इन्कार किया जा रहा है और इस कारण वे अपने आरक्षण के अधिकार और विशेषाधिकार खो रहे हैं।

महोदय, अब मंत्री महोदय भी यह जानते हैं कि इस सभा के लगभग 200 सांसदों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे प्रधान मंत्री को दिया है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि संसद के अगले सत्र में ईसाई बने अनुसूचित जातियों के लोगों हेतु एक वैधानिक आदेश देने वाला विधेयक लाया जाये ताकि उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में सुविधाएं और अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करें।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, माननीय सदस्य को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जम्मू-कश्मीर का प्रश्न है, वह कई कारणों से इसमें नहीं लिया है। जिस परिस्थिति मे जम्मू-कश्मीर आज गुजर रहा है उस कारण से उसे अलग इससे रखा है। आगे आने वाले समय में जब परिस्थिति सुधरेगी, तब इस पर विचार होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजयभास्कर रेड्डी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यों को याद होगा कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने 9 अप्रैल, 1992 को इस सभा में अपना दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन में समिति ने योजना आयोग सहित भारत सरकार द्वारा बनाए गए चार आयोगों के गठन, स्वरूप, कार्य इत्यादि की जांच की थी और इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों इत्यादि को देय पारिश्रमिक तथा भत्तों की जांच की कि क्या इन आयोगों के संगत पदों पर आसीन व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता के पात्र होंगे।

[श्री के० विजयभास्कर रेड्डी]

समिति ने पाया कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष तक है। फिर वह 2250 रुपये प्रति माह का वेतन तथा भारत सरकार के सचिव को देय महंगाई भत्ता तथा एक मंत्री को देय अन्य परिलब्धियों प्राप्त करने का पात्र है। समिति ने यह भी नोट किया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह भी नोट किया गया कि श्री ए० के० सुब्बैया और रामकृष्ण हेगड़े के बीच 1990 के मामले संख्या 1 के सन्दर्भ में भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद लाभ का पद है क्योंकि इस पद साथ एक निश्चित वेतन है और इस तथ्य से कि इस पदधारी ने कोई वेतन नहीं लिया, उस पद के लाभ का पद होने का दर्जा नहीं बदला। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। अब 6.00 म० प० से अधिक समय हो चुका है और इसलिए अब सभा का समय बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था संबंधी प्रश्न को सही मानता हूं। हमने सभा ने की मौन स्वीकृति दी है। इस कार्य को पूरा करने तक सभा की बैठक चलेगी।

श्री के० विजयभास्कर रेड्डी : समिति का यह मत भी है कि संसद सदस्य लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते जब ऐसे महत्वपूर्ण आयोग में नियुक्त होकर अत्यंत उपयोगी और सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं और उन्हें केवल तकनीकी कारणों से आयोग की सदस्यता से वंचित न किया जाए। इसे तथा इस तथ्य को देखते हुए कि केन्द्र तथा राज्य में भी मंत्री पहले ही संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खण्ड (क) के अधीन संसद सदस्य होने के नाते चुने जाने पर अयोग्यता प्राप्त करने से छोड़ दिए गए हैं, समिति ने सिफारिश की है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में शीघ्र ही उचित संशोधन किया जाए ताकि उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पद पर आसीन व्यक्ति संसद सदस्य चुने जाने या संसद सदस्य होने के कारण अयोग्यता का पात्र न हो। सरकार उक्त सिफारिश को प्रभावी करने की इच्छुक है। संयोगवश मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार अन्य प्रतिवेदनों सहित संयुक्त समिति की अन्य सिफारिशों की जांच कर रही है। मेरी यह पूर्ण आशा है कि विधेयक को सभा के सभी वर्गों से समर्थन मिलेगा।

महोदय, मैं विधेयक पर सभा के विचार हेतु सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि विधेयक को, उस पर 14 अगस्त, 1992 तक राय जानने के लिये प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।

अध्यक्ष जी, मैंने इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया है और उसका कारण है कि लाभ के पद को जो कमेटी है, उसने चार समितियों के लिए अभी-अभी सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को वैधानिक दर्जा देने की बात कही है और इसी नाते लाभ के पद की समिति ने चार समितियों के अध्यक्षों को इससे छूट देने की बात कही थी और अपना दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत संसद् सदस्य को चुने जाने अथवा बने रहने के लिए उन्हें निरर्हता से छूट देने को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित केन्द्रीय आयोगों में धारण किये गये पदों का जांच का जाय। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग और उपाध्यक्ष, योजना आयोग, मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था, अगर बिल ही लाना था तो इन चारों आयोगों को, जो हमने कुछ दिनों में स्वीकार किये हैं, उन आयोगों के बारे हम पूरा बिल लेकर यहां सदन में आते। आज मुझे लगता है, राज्य सभा के चुनाव होने जा रहे हैं और यह बिल साफ-सीधे प्रणव मुकर्जी बिल के नाम से जाना जायेगा।

उनको ओब्लाइज करने के लिए मुझे लगता है कि आने वाली राज्य सभा में प्रणव मुकर्जी का नाम सदस्य के नाते आयेगा और राज्य सभा के सदस्य के नाते, चूंकि आज की तारीख में उपाध्यक्ष का पद मंत्री स्तरीय, दर्जे का दिया हुआ पद है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मंत्री स्तर का दर्जा दिया हुआ है और ऐसी स्थिति में कहीं कोई व्यवधान पैदा न हो जाय, वह सेफ हो जायें, वह सुरक्षित हो जायें, इस नाते यह बिल लाया गया है।

माननीय, जैसा कि मुझे पता लगा है, अभी-अभी मैंने जानकारी ली है कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था, इस बिल के पीछे जो आज भागमभाग में, जल्दी-जल्दी में, जाते-जाते सदन के अन्दर एक व्यक्ति के दबाव के कारण, एक व्यक्ति के प्रभाव के कारण, एक व्यक्ति को खुश करने के कारण, एक व्यक्ति को राज्य सभा में लाने के कारण यह बिल यहां पर लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिल अगर लाना है, वैसे तो मैं इस बिल का विरोध नहीं करता, वास्तव में जो पद है, वह पद आवश्यक है और उसको सहायता मिलनी चाहिए लेकिन मुझे दुख है कि हमारी आम के पदों की

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

समिति ने जो दूसरा प्रतिवेदन दिया, आज इस बात को भी देखा है कि सन् 1956 में लाभ के पद की समिति का गठन हुआ और लाभ के पद की समिति ने अब तक 60 सिफारिशें की हैं। उन 60 सिफारिशों के बावजूद आज तक एक भी सिफारिश पर मन्त्रिमण्डल ने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अपनी राय सदन के अन्दर प्रकट करने की कोशिश नहीं की। आज यह दूसरा प्रतिवेदन जो यहां पर सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसको भागमभाग में प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा होता कि आप कृपा करके बिल ही लाना चाहते थे तो नैक्स्ट सैशन में इसको ले आते और उसके बाद इन चारों आयोगों को.....

अध्यक्ष महोदय: बस, अब हो गया। अब इसको रिपीट मत कीजिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी: आने वाले दिनों में, अगले सत्र में फिर आप हाथ जोड़कर सदन के आगे खड़े रहेंगे और तीनों अध्यक्षों को इस प्रकार की निरर्हता की बात करेंगे इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, तीन महीने के लिए और नैक्स्ट सेशन में इसको लाया जाय।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, श्री रामकृष्ण हेगड़े और कर्नाटक विधान सभा के सदस्य भी थे। बाद में कर्नाटक विधान सभा की सदस्यता से उनको डिसक्वालिफाई कर दिया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। यह नहीं होना चाहिए। उसको प्रिवेंट करने की मंशा से यह बिल लाया गया है। हमारा यह अनुरोध होगा कि अभी कोई ऐसा प्रावधान इस बिल में नहीं है। जब एक्ट बन जाएगा कि रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू हो। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को इस बिल को रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से इसमें प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिसके चलते यह बिल लाना पड़ा है, उसका समाधान इसी से होगा कि अगर इसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जाए। हम सरकार से यह अनुरोध करेंगे। अगर इसको तत्काल लागू करने में दिक्कत हो रही है तो हम अनुरोध करेंगे कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाए और अगले सत्र में इसको लाया जाए ताकि वह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू किया जा सके और जो डिसक्वालिफिकेशन हुआ था, श्री राम कृष्ण हेगड़े जी का, उसको फिर से बहाल किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का स्वरूप गैर-विवादास्पद है और एक सरल विधेयक है। लेकिन इसका महत्व अत्यधिक है।

मुझे अचरज है कि श्री दाऊ दयाल जोशी ने किस प्रकार इस विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया। जहां तक मैंने समझा है लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने

सिफारिश की है कि सूची से उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पद को छूट देने के लिए ऐसा संशोधन लाया जाए। लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का यह सर्वसम्मत प्रतिवेदन है। श्री दाऊ दयाल जोशी इस समिति के एक सदस्य हैं और समिति ने पूरी स्थिति की समीक्षा के बाद सर्वसम्मत सिफारिश की है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : समिति ने सिफारिश की थी कि चारों को एक साथ लाया जाए।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : प्रतिवेदन में कहा गया है : अतः समिति सिफारिश करती है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को लाभ के पदों संबंधी सूची से छूट होगी अगर वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा और वह वेतन इत्यादि प्राप्त न करे। वह केवल प्रतिपूरक भत्ते का पात्र है।

मौलिक अधिनियम 1959 में बनाया गया था और तब से स्थिति में बहुत अन्तर आया है और ऐसे अनेक सरकारी उद्यम और अन्य निकाय हैं जिनमें विधायक और सांसद जैसे लोक प्रतिनिधियों के सक्रिय रूप से शामिल होने की जरूरत है। अनेक आयोग निगम और समितियां हैं। लोगों की भागीदारी सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जनता के प्रतिनिधि ही लोगों की कारगर भागीदारी ला सकते हैं। इसलिए मौजूदा स्थिति में नवीन दृष्टिकोण की जरूरत है। लाभ के पदों की उपबन्ध के संबंध में नवीन दृष्टिकोण की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गौर करें। आज की स्थिति के अनुसार एक सांसद या विधायक के मंत्री बन जाने से वह सूची से बाहर हो जाता है। यद्यपि वे वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं फिर भी वह इस उपबंध में नहीं आते। वे लोगों मतदाताओं की सेवा के लिए पूरे विश्वास और निष्ठापूर्वक सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब एक सांसद एक सरकारी उद्यम या निगम का निदेशक चुना जाता है तो क्या उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह निष्ठापूर्वक, स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करे? वर्तमान परिस्थितियों में हमारी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है।

हमारी सभी योजनाओं की बेहतर सफलता के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यह उचित समय है कि सरकार इस संबंध में नया दृष्टिकोण अपनाए और संगत कानूनों इत्यादि में आवश्यक संशोधन करे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्वाचन आयोग श्री ए० के० बुबैदा और

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

श्री रामकृष्ण हेगड़े के संबंध में जो 1990 में मामला चला था उसमें अधिनिर्धारित किया था, उस दृष्टि से तथा समिति ने जो अपनी सिफारिश की है, और यह विधेयक यहां लाया गया है। विधेयक में जो बातें कही गई हैं उनमें मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि एक समेकित विधेयक एक कोंप्रीहैंसिव बिल यहां लाना चाहिए था क्योंकि अब तक जैसे-जैसे और जब-जब लाभ के पद वह प्रश्न उठा उस तरह से यहां पर बिल लाया गया और उसमें संशोधन की बात की गई। कभी को-आपरेटिव के मामले को लेकर के और कभी किसी अन्य मामले को लेकर के और कभी किसी अन्य आयोग जैसे दूसरे मामले को लेकर के यहां संशोधन प्रस्तुत किए गए स्वीकार भी किए गए। आज भी एक संशोधन प्रस्तुत किया गया जैसी अभी आशंका व्यक्त की गई है कल आ करके आप कहेंगे महिला आयोग के संबंध में अल्पसंख्यक आयोग के सम्बन्ध में या और किसी ऐसे आयोग के सम्बन्ध में ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो ज्यादा अच्छा होता कि एक बार इस मामले में समग्र विचार कर लिया जाए। (व्यवधान) जहां तक इस बिल का सम्बन्ध में इसमें मैं समझता हूं कि यह जो बात कही गई है उससे कोई असहमति नहीं है। यह केवल योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद को लेकर है। उसके पीछे आपकी जो भावना है उसकी चर्चा नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा विचारार्थ लाए गए प्रस्ताव पर संशोधन संख्या "एक" को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद (अयोग्यता निरोध) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री के० विजयभास्कर रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीकांत जेना (कटक): माननीय मंत्री ने कुछ आश्वासन दिए थे। मंत्री महोदय ने कहा था कि वह कुछ स्पष्टीकरण देंगे।

श्री के० विजयभास्कर रेड्डी : मैं अब स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। क्योंकि इसका पहले ही फैसला हो चुका है। मैं नहीं समझता कि क्या हम पीछे जा सकते हैं। मैं इस बात की जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप मद संख्या 20, 21 और 22 को विचारार्थ लेना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): मैं सदन में उस समय पहले ही एक वक्तव्य दे चुका हूं जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि सरकारी कार्य के संबंध में खण्ड 21 और 22 इत्यादि को हम आज उठाने पर जोर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 22 अब 193 है। इसमें मैसर्स एशिया ब्राउन बोवेरी को विद्युत इंजनों की खरीद का ठेका देने से उत्पन्न हुई स्थिति पर बहस है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): 193 का क्या हुआ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मंत्री महोदय तैयार हैं। सदन पर निर्भर करता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): इस संबंध में हमने आपको एक पत्र लिखा कि उसी ए० बी० बी० कम्पनी ने गंधार विद्युत परियोजना और अन्य परियोजना को ठेका दे दिया है। यह उसी कम्पनी से संबंधित है। यह ठेका दो विद्युत परियोजनाओं के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : ठेका किसने दिया?

श्री चन्द्रजीत यादव : भारत सरकार ने, एन०टी०पी०सी० ने। यह उसी कम्पनी को दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह यही बात है जो कि वास्तव में हो रही है। यह कार्यसूची का एक विषय है। हम इसको दर किनार करके एक ऐसे विषय को ले रहे हैं जो कि कार्य-सूची में नहीं है। यह अलग मंत्रालय से संबंधित है।

श्री चन्द्रजीत यादव : जी नहीं, हमने आपको पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वही कम्पनी इसमें शामिल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो माननीय सदस्य मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि इस मामले को विचार करने के लिए लिया जाए। हम इस पर विचार क्यों नहीं कर सके? जबकि हमारे पास कार्यसूची में यह एक विषय था, हमने इस को एक किनारे कर दिया और किसी और ही विषय पर विचार करने लगे। कम्पनी वही हो सकती है, परन्तु ठेका अलग है। मंत्रालय अलग है। क्या आप समझते हैं कि अब हम इस पर चर्चा कर पाएंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हम यह सब नहीं कह रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : दोनों पर एक साथ चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कैसे चर्चा कर सकते हैं? मंत्रियों को यहां होना चाहिए। ठेका अलग है। मंत्रालय अलग है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

.........(व्यवधान)........

अध्यक्ष महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे नियम 193 के तहत चर्चा आरंभ करेंगे।

6.52 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

विद्युत इंजनों की खरीद के लिए मैसर्स एशिया ब्राउन बोवेरी (ए०बी०बी०) को क्रयादेश

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत इंजनों की खरीद के लिए मैसर्स एशिया ब्राउन बोवेरी को ठेका देने के इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। वास्तव में मैंने माननीय मंत्री को 27 मार्च को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने उनसे इस ठेके से संबंधित अनेक पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि बहस लम्बी चलने वाली है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यह बात पहले भी हुई थी, इसलिए मेरा सुझाव है कि अब बहस शुरू हुई है इसको अगले सेशन में आप आगे बढ़ाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कहने के बजाय कि हम इसे आगे ले जाएं इसमें कोई कठिनाई होगी वह इसको उठाने के लिए नया नोटिस दें।

...(व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इसको अगले सत्र में ले आना संभव है। हम अगले सत्र में इस पर चर्चा जारी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बात को समझें, यदि आप इस पर अगले सत्र में चर्चा करना चाहते हैं तो कोई भी आप को इस बात के लिए मना नहीं कर रहा है। लेकिन हमें इसको अगले सत्र तक जारी नहीं रखना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसे उदाहरण हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आप से सहमत हूं कि इसी बात पर चर्चा की जा सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: नियमों के अनुसार यह संभव है.....(व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय: मैं कोई वायदा नहीं करता। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसे अनेक उदाहरण हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप और माननीय सदस्य इच्छुक हैं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मंत्री जी ने मुझ से कई बार इसको चर्चा के लिए लेने के लिए कहा है और लिखा है। वह आगे भी इसको उठाने के लिए निश्चित रूप से तैयार होंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री बसुदेव आचार्य: हम अगले सत्र में इस पर चर्चा जारी नहीं रख सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा, मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगा। यदि हो सका तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, नौवीं लोक सभा में भी ऐसा हुआ था बोफोर्स के मामले पर मेरे नाम से चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन बाद में लोक सभा की बैठक स्थगित कर दी गई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सही बात है। यदि आप चाहें तो आप इस मामले पर अगले सत्र में चर्चा कर सकते हैं। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा। मंत्री जी चर्चा

करने के लिए कह रहे हैं। यह वह इस पर इस सत्र में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो वह अगले सत्र में भी इस चर्चा करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह नेक्स्ट हाउस में नहीं आ सकता है लेकिन अगले सैशन में हो आ सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा, क्या मैं यह समझूं कि आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : नहीं, मैं इस पर अभी चर्चा कराना चाहता हूं। मैं इस बात का पक्षधर हूं। पावती प्राप्त होने के बावजूद भी मुझे माननीय मंत्री से उन मामलों के संबंध में उत्तर नहीं मिला है जो मैंने अपने पत्र के जरिए उठाए थे। यह एक अति गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह अकेला मामला नहीं है। यह उन अनेक मुद्दों में से एक है जो इस देश के लोगों की गहरी चिन्ता का कारण रही है। महोदय रेल मंत्रालय ने यह ठेका विशेष "भेल" को देने से इन्कार कर दिया और यह ठेका ए०बी०बी० को दे दिया। इसी तरह जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) के संबंध में ठेका ए०बी०बी० को दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, क्या मैं एक बात कह सकता हूं। आप इस मामले को अब उठा रहे हैं और यह उम्मीद है कि मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया होता परन्तु फिर अगले सत्र में उन सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा जो इस पर बोलना चाहते हैं, एक बार वाद-विवाद का उत्तर दे देने के बाद अगले सत्र में इसका जवाब देना आवश्यक नहीं होगा। अतः यदि आप चाहते हैं कि इस पर अच्छी चर्चा हो तो. ....

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे इस पर अगले सत्र में चर्चा जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे वायदा नहीं कर रहा हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दो।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया पहले मेरी बात सुनें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मेरी बात सुनने के बाद आप कृपया मुझ से कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रक्रियात्मक मुद्दे पर पहले मेरी बात सुनिए। यदि आप अपने विचार रखें और फिर मैं मंत्री महोदय से उसका उत्तर देने के लिए कहूं, तो बाद में इस पर चर्चा होना मुश्किल है। यदि अगले सत्र में इसी मुद्दे को उठाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वह उत्तर नहीं देते....

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आठवीं लोक सभा में ऐसे अनेक उदाहरण थे जब नियम 193 के अंतर्गत अंशतः ही चर्चा की गई थी और उन पर शेष चर्चा अगले सत्र में की गई थी। आठवीं लोक सभा में ऐसा हुआ था। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है। आप पूर्वोदाहरण देख सकते हैं और अगले सत्र में मुझे चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं पूर्वोदाहरण देख लूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे इसका औचित्य का पता लगना चाहिए।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपना भाषण देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपना भाषण दे सकते हैं। आप अपनी बात शुरू कीजिए और यह मत समझिए कि कोई आपसे यह चाहता है कि आप अभी नहीं बोलें। जहां तक मैं समझता हूं कि हर कोई यह चाहता है कि अगले सत्र में इस पर विस्तार से चर्चा हो। इस पर विस्तार से अगले सत्र में चर्चा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। अतः आप इस पर अगले सत्र में भी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, नियम 193 के अंतर्गत दो विषयों पर चर्चा अगले सत्र में हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जांच करूंगा। इस मुद्दे पर मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप इस पर अगले सत्र में चर्चा करना चाहते हैं तब इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री आस्कर फर्नान्डीज़ : महोदय, इस बारे में नियम बिलकुल स्पष्ट है। नियम 336 में कहा गया है :

> "कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन, जो प्रस्तुत किया गया है और सभा में लंबित है, केवल सत्रावसान होने के कारण ही व्यपगत नहीं होगा।"

नियम बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस संबंध में कोई नियम है, तो वही लागू होगा।

श्री आस्कर फर्नान्डीज़ : यह नियम 336 है। नियम में यह बात कही गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तब ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य अंतिम सुझाव देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार को तब तक इस समझौते पर आगे कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जब तक कि सभा में इस पर चर्चा न कर ली जाए।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलाडुतुराई) : नहीं महोदय।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है। हमें यह देखना है कि इसे यह स्वीकार होता है या नहीं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, इस समझौते को अंतिम रूप देने में विलम्ब करने से देश को 4000 डालर अथवा 1 लाख रुपए की हानि होगी। अतः यदि इस विषय पर अगले सत्र में भी चर्चा करने से इस कार्य को पूरा करने में रेल मंत्रालय के रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है, तो हमारा यह दायित्व है कि हम ऐसा न करें। यदि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

7·00 म० प०

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, संसद के पास कार्यपालिका के अधिकार नहीं है। यह सुझाव दिया गया है कि अंतर सत्र अवधि में सरकार को निर्णय नहीं लेने चाहिएं। लेकिन यह ठीक नहीं है, सरकार को निर्णय लेने चाहिएं। उसे अपना काम करते रहना चाहिए। यदि आपके निर्णय सही हैं, तो हम उन्हें अपनी सहमति अवश्य देंगे। यदि आपके निर्णय सही नहीं हैं, तो हम अपनी सहमति नहीं देंगे।

इस प्रस्ताव पर अगले सत्र में चर्चा की जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हम इससे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

7·01 म० प०

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, दसवीं लोक सभा का तीसरा सत्र तथा इस वर्ष का बजट सत्र आज समाप्त हो रहा है। यह एक लंबा सत्र था जिसमें 49 बैठकें हुईं जो 310 घंटे तक चलीं।

माननीय राष्ट्रपति ने 24 फरवरी, 1992 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सभाओं को संबोधित किया था। इस अभिभाषण का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया गया। उसके बाद यह सत्र पंजाब से चुने गए सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान लेने के साथ शुरू हुआ।

सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 16 घंटे चर्चा की और बाद में उसे सर्वसम्मति से पारित किया। चर्चा के दौरान सदस्यों के बीच जीवन्त बहस हुई थी। और कुछ सदस्यों द्वारा उच्च स्तर के भाषण दिए गए थे। कुछ भाषणों की टेलीफिल्म बनाई गई है और यह स्थायी रिकार्ड के रूप में ग्रंथालय में उपलब्ध होगी।

इस सत्र में अधिकांश कार्य वित्तीय विषयों से संबंधित थे। 25 और 29 फरवरी को वर्ष 1992-93 का क्रमशः रेल तथा सामान्य बजट प्रस्तुत किया गया। पहली बार हमने दोनों बजट प्रस्तुत करने की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया और हमें दर्शकों से उस संबंध में अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

रेल बजट को सभा में लगभग 18 घंटे तक चर्चा करने के बाद पारित किया गया। सामान्य बजट पर 16 घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा हुई। सभा ने 20 घंटे तक बजट पर आम बहस की; 8 मंत्रालयों की मांगों पर 41 घंटे चर्चा की गई और शेष को गिलोटिन कर दिया गया और वित्त विधेयक पर 11 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की गई। 1991-92 की रेल और सामान्य अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान किया गया और 1992-93 के जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर के बजट भी पारित किए गए। कुल मिलाकर सभा ने 8 विनियोग विधेयक पारित किए। वित्तीय कार्यों के बारे में अनेक सदस्यों के भाषणों की टेलीफिल्म बनाई गई है और इसे ग्रंथालय में रखा गया है।

विधायी कार्यों के क्षेत्र में सभा ने 20 विधेयक पारित किए जिनमें मुख्य हैं – जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमयन बोर्ड विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान (76वां संशोधन) विधेयक। सभा ने संविधान (71वां संशोधन) विधेयक सभा की प्रवर समिति को सौंपा जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में था और राज्य सभा ने उसे पहले ही पारित कर दिया था।

नियम 193 के अंतर्गत बोफोर्स तोप सौदे की जांच की अद्यतन स्थिति के बारे में एक अल्पकालिक चर्चा हुई। इसके अलावा नियम 184 के अंतर्गत मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा के बारे में भी एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

सभा ने 3 सांविधिक प्रस्तावों पर भी चर्चा की तथा उन्हें पारित किया जो अगले छः माह तक जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने की अनुमति देने के बारे में था। अन्य दूसरे संकल्प संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को अनुमति देने के बारे में थे।

चार महत्वपूर्ण मामले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए और इन पर चार घंटे तक चर्चा हुई। ये मामले थे — पश्चिम बंगाल में पटसन कर्मचारियों द्वारा लंबे समय तक की गई हड़ताल, दिल्ली में डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे नकली दवाइयों के एक गिरोह का भंडाफोड़, वी एफ सी तंबाकू की कम कीमतों के कारण आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादकों में असंतोष तथा शेयर दलालों की हड़ताल के कारण स्टॉक एक्सचेंज का बंद होना। महत्वपूर्ण मामलों पर विभिन्न मंत्रालयों ने 28 वक्तव्य दिए। इसके अतिरिक्त नियम 377 के अंतर्गत 314 मामले उठाए गए।

47,370 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से 947 प्रश्नों को तारांकित सूची में रखा गया। 271 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जा सका और 9,715 प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया गया। एक अल्प सूचना प्रश्न तथा एक आधे घंटे की चर्चा भी हुई थी। मुझे बताया गया है कि इस बार बजट सत्र में सबसे अधिक 47,370 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। मुझे यह भी बताया गया कि एक बैठक के लिए औसतन 212 सदस्यों ने प्रश्नों की सूचनाएं दी जो कि पिछले सत्रों की तुलना में दुगुनी संख्या है। मुझे बेहद खुशी है कि इस कार्य में सदस्यों ने अत्यंत रुचि दिखाई।

हमेशा की तरह गैर-सरकारी सदस्यों ने भी विधेयक तथा संकल्प प्रस्तुत करने में बहुत रुचि दिखाई। दो अन्य विधेयकों पर भी चर्चा हुई जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित अधिकारों को प्रतिबंधित करने तथा योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को संविधानिक दर्जा देने के बारे में थे। एक अन्य विधेयक जो संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को शामिल करने के बारे में था और उसे सभा के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। पर अंशतः चर्चा हो सकी। इस सत्र में दो संकल्पों पर भी चर्चा हुई जो 'ट्रिप्स' से संबंधित प्रस्तावों को अस्वीकार करने और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के बारे में थे। पहले संकल्प को सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया लेकिन दूसरे संकल्प पर आंशिक चर्चा हो ही सकी।

सभा का काफी समय सदस्यों द्वारा 'शून्य काल' में उठाए गए विभिन्न विषयों में भी व्यतीत हुआ। मैं सदस्यों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया। हर रोज लगभग 75 मिनट तक ऐसे मामलों पर चर्चा हुई। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों को मामला उठाने का अवसर मिला।

मैं सभा की कार्यवाही का प्रसारण करने में हुई प्रगति से भी प्रसन्न हूँ। इस सत्र के दौरान हमने न केवल प्रश्न काल का प्रसारण किया बल्कि महत्वपूर्ण वाद-विवादों का भी प्रसारण किया। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि संसद के इतिहास में पहली बार सामान्य बजट और रेल बजट प्रस्तुत करने का सीधा प्रसारण किया गया। हमने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों के भाषण तथा मानव संसाधन विकास, खाद्य,

कृषि, विदेश, ग्रामीण विकास तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की मांगों पर सदस्यों के भाषणों की टेलीफिल्म बनाकर उसका प्रसारण किया गया। यह संतोषजनक बात है कि पूरे देश से इस बारे में उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों को मुझे तथा मेरे सहयोगियों – माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापतियों की सूची के माननीय सदस्यों – को सभा को सुचारु ढंग से कार्यवाही चलाने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा दलों को सचेतकों को मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनके सहयोग के अभाव में मेरे लिए कार्य करना आसान नहीं था। मैं संसद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उत्कृष्ट ढंग से अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। उनके सहयोग के बिना सभा ने जिस तरह कार्य किया है वैसा कर पाना संभव नहीं था।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : आप खुश रहते हैं और सदैव दूसरों को भी खुश रखते हैं। आपके प्रसन्न रहने से हम भी प्रसन्न हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मानसून सत्र में भेंट होने तक मैं सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

7.10 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

प्रभागमुको—से 7—1 एलएसएस/एमडी/93—26-7-93—250.